मासिक शिविरा पत्रिका

वर्ष : 58 | अंक : 4 | अक्टूबर, 2017 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹15

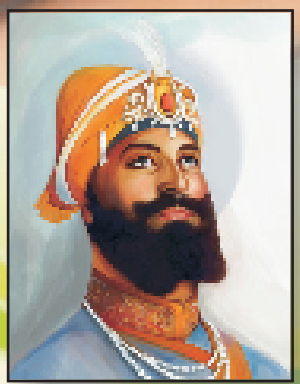

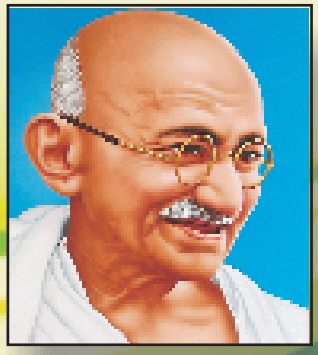

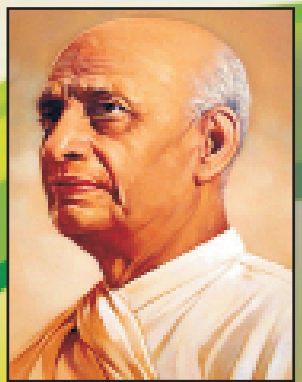

गार्ड ऑफ ऑनर

दीप प्रज्वलन

उद्बोधन

उपस्थित विशिष्टजन

लोकार्पण-प्रशस्तियाँ

लोकार्पण-शिविरा 'शिक्षक दिवस विशेषांक'

शिक्षक सम्मान समारोह-2017 में सम्मानित अधिकारीवृन्द

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते -श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।

In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 58 | अंक : 4 | आश्विन-कार्तिक २०७४ | अक्टूबर, 2017

प्रधान सम्पादक
नथमल डिडेल

❁

वरिष्ठ सम्पादक
डॉ. सऊद अख्तर

❁

सम्पादक
गोमाराम जीनगर
मुकेश व्यास

❁

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ **15**

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **-वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

अपनों से अपनी बात

- जगमग जगमग दीप जले 4

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- शिक्षा : स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्पन्नता 5

विशेष रपट

- राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2017 8
  सम्मान की उज्ज्वल परम्परा
  मुकेश व्यास

आलेख

- संयुक्त राष्ट्र संघ : शांतिपूर्ण विश्व निर्माण में भूमिका 11
  सलिज वर्मा
- संत नामदेव 13
  रूपनारायण काबरा
- युग पुरुष : गुरु गोविन्दसिंह जी 14
  अशोक कुमार वधवा
- ज्ञानार्जन की पहली शर्त है जिज्ञासा 15
  ओम प्रकाश सारस्वत
- रखें गुणात्मकता पर ध्यान 16
  विष्णुदत्त स्वामी
- आज के सन्दर्भ में गाँधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त 37
  वृद्धि चन्द गोठवाल
- गुदड़ी के लाल : लाल बहादुर शास्त्री 38
  कमल नारायण पारीक
- सफलता की सीढ़ी चढ़ता विद्यालय 40
  प्रमोद कुमार चमोली
- शनिवार को हो बस्ते की छुट्टी 42
  संदीप जोशी

रपट

- स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय, अजमेर 39
  मनीषा त्रिपाठी

मासिक गीत

- जगाया तुमको कितनी बार 10
  संकलनकर्त्ता : **उमेश व्यास**

स्तम्भ

- पाठकों की बात 6-7
- आदेश-परिपत्र 17-36
- विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 36
- शिविरा पञ्चाङ्ग (अक्टूबर 2017) 36
- शाला प्रांगण से 47
- चतुर्दिक समाचार 49
- हमारे भामाशाह 50

पुस्तक समीक्षा 44-46

- टांय टांय फिस्स
  व्यंग्यकार : डॉ. नीरज दइया
  समीक्षक : **डॉ. लालित्य ललित**
- जीवन अमृत का प्याला
  लेखक : कान्ता चाडा
  समीक्षक : **शिवराज भारतीय**
- गजरो
  गीतकार : शिवराज छंगाणी
  समीक्षक : **भंवरलाल 'भ्रमर'**

मुख्य आवरण :
नारायणदास जीनगर, बीकानेर
मो. 9414142641

सत्यमेव जयते

प्रो. वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

> "मैं चाहूँगा कि इस वर्ष भी गत वर्ष की भाँति 'विद्यार्थी दिवस' के दिन हमारे विद्यार्थी उत्तम अंकों के साथ उत्तीर्ण होने का संकल्प ग्रहण करें तथा उसे साकार रूप देने के लिए अभी से कड़ी मेहनत करें। गुरुजन को उन्हें ऐसा संकल्प दिलाना तथा उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।"

अपनों से अपनी बात

जगमग जगमग दीप जले

पिछले महीने, 25 सितम्बर 2017 के दिन कृतज्ञ राष्ट्र ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की 101वीं जयन्ती मनाकर उनका स्मरण किया तथा उनके द्वारा बताए गए सिद्धान्तों पर चलने का संकल्प लिया। वे इस युग के महापुरुष थे जिनके अनमोल अवदान को हम कभी भूल नहीं सकेंगे। वे सरलता और सादगी के साक्षात् अवतार थे। अभिमान उनको छू तक नहीं पाया था। मैं शिविरा पत्रिका में शिक्षा मंत्री के इस स्थाई कॉलम के माध्यम से विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों एवं कार्मिकों की ओर से उन्हें प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ।

पं. दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद एक अद्भुत दर्शन एवं आदर्श जीवन शैली का परिचायक है। वे पश्चिम की विकृति के प्रति सजग एवं सावधान थे। निःसंदेह उन्होंने सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने राजधर्म की नए ढंग से व्याख्या की। उनके मतानुसार भारतीय संस्कृति में जीवन का केन्द्र राज्य को नहीं अपितु 'धर्म और संस्कृति' को माना गया है। यह कितनी बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति की सर्वोपरि विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन और सृष्टि का संकलित विचार रखती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी है। भारतीय जीवन अध्यात्म प्रधान है। अतः इसमें भौतिक उत्कर्ष की अपेक्षा नहीं की जाती। हमारी संस्कृति यज्ञमयी है जिसमें **'इदम् न मम्'** (यह मेरा नहीं है) यज्ञ भाव प्रबल रहता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ सम्पति के विषय में न्यासी का भाव रहता है। इस संबंध में महात्मा गाँधी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार एक जैसे हैं।

इस माह में महात्मा गाँधी का जन्मदिन भी है। वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा बापू का सम्पूर्ण जीवन सत्य और त्याग का साक्षात्कार कराता है। उनकी आत्म कथा 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' एक अनमोल दस्तावेज है। हमारे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को इसे पढ़ना, मनन करना तथा जीवन में उतारना चाहिए। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के सभी विद्यालयों के पुस्तकालयों में यह पुस्तक होगी और यदि कहीं नहीं है तो इसे अवश्य प्राप्त किया जाए बल्कि मैं तो यह चाहूँगा कि विभिन्न उपलब्धियों के लिए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सम्मानित करते समय पुस्तक 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाए। इससे उनके जीवन में सत्य और साहस का संचार होगा जो सुखमय जीवन एवं सामाजिक व पारिवारिक खुशहाली का आधार है। विद्यालयों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अतिथियों को प्रतीक चिह्न के रूप में ऐसी उपयोगी पुस्तकें ही दी जानी चाहिए।

इस माह में झिल-झिल करते प्रकाश एवं उमंग का त्यौहार दीपावली हम मनाएँगे। विद्यालयों में मध्यावधि अवकाश दिनांक 09.10.2017 से 22.10.2017 तक रहेगा। इसके मध्य भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति रहे महान मनीषी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म दिन 15 अक्टूबर 2017 'विद्यार्थी दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। मैं चाहूँगा कि इस वर्ष भी गत वर्ष की भाँति 'विद्यार्थी दिवस' के दिन हमारे विद्यार्थी उत्तम अंकों के साथ उत्तीर्ण होने का संकल्प ग्रहण करें तथा उसे साकार रूप देने के लिए अभी से कड़ी मेहनत करें। गुरुजन को उन्हें ऐसा संकल्प दिलाना तथा उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

मेरी गुरुजन से अपील है कि वे आगामी महीनों के लिए अभी से अपने शिक्षण की सुनियोजित रूपरेखा बनाकर कार्य करें। टीचर डायरी इसका आधार होती है जिसका समुचित संधारण करना प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। विद्यालय विजिट के दौरान एस.आई.क्यू.ई. के अन्तर्गत निर्धारित डायरी प्रायः विस्तारपूर्वक भरी हुई पायी जाती है। अन्य सभी शिक्षकों को भी अपनी शिक्षण योजना डायरी इसी प्रकार विस्तार से संधारित करनी चाहिए। शिक्षा अधिकारियों को अपनी विजिट के दौरान टीचर डायरी के समुचित संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए। गृह कार्य (Home Work) प्रभावी अधिगम का आधार होता है। अतः इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

(प्रो. वासुदेव देवनानी)
शिक्षामंत्री

सत्यमेव जयते

नथमल डिडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

शिक्षा : स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्पन्नता

नवीन सत्र के आरम्भ से ही सभी के समन्वित प्रयासों से विद्यालयों में उत्साहजनक नामांकन वृद्धि हुई। विद्यालयों में शिक्षकों, संस्थाप्रधानों सहित सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर पदस्थापन हुए। चाहे विभागीय चयन समिति (DPC) से पदोन्नति हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से नियुक्ति हो, द्रुत गति से किए गए कार्य और प्रभावी क्रियान्वयन का सुफल रहा कि अधिकांश विद्यालयों को योग्य शिक्षक और कुशल नेतृत्व देने वाले संस्थाप्रधान (प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य) मिले।

ग्राम पंचायत और विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा सघन पर्यवेक्षण, निरीक्षण से सम्बलन का प्रयास जारी है। अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय सभी एकनिष्ठ होकर अपने विद्यालय को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनसहभागिता के विशिष्ट उदाहरण गत दिनों 20 सितम्बर 2017 को हुई अभिभावक शिक्षक सभा (PTM) में देखने को मिले। अपने विद्यालय को सही अर्थों में आदर्श और उत्कृष्ट बनाने की स्वस्थ आंतरिक प्रतिस्पर्धा दिखाई दी।

नवम्बर माह में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर अपने विद्यालय, जिले और राज्य के स्तर को, राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठतम स्थान दिलाने का सुअवसर आपके सामने है। कक्षा 3, 5 और 8 के विद्यार्थियों के स्तर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य का स्तर निर्धारित होगा। प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कार्यदिवसों में सुधारात्मक कार्य करवाकर उनकी क्षमता का श्रेष्ठतम परिणाम प्रकट करवाने का प्रयास करें। आपसे अपेक्षा है अपने राज्य को राष्ट्र में सम्मानजनक स्तर मिले और गौरव बढ़े।

गौरव की सहजानुभूति होती है जब हम महात्मा गाँधी की जयन्ती मनाते हैं। सम्पूर्ण विश्व 02 अक्टूबर को 'अन्तरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाता है। 02 अक्टूबर को ही सादगी और कर्त्तव्य का पर्याय, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री का पुण्य स्मरण करते हुए नई चेतना का संचार होता है। दोनों महान विभूतियों के जीवन चरित्र से हम प्रेरणा प्राप्त करें।

अक्टूबर माह में मध्यावधि अवकाश होने से सीमित कार्य दिवस हैं। सभी विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी शिक्षक और विद्यार्थी प्रभावी कार्ययोजना से कार्य करें।

इसी माह दीपोत्सव का महान पर्व है, सही अर्थों में यह पर्व स्वच्छता का स्वैच्छिक अनुष्ठान है। प्रत्येक व्यक्ति दीपावली पर अपने घर, प्रतिष्ठान सभी जगह सघन सफाई अभियान चलाता है। यही सफाई अभियान हमारे 'स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत' का रूप ले। हम स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से सम्पन्नता की ओर अग्रसर हों।

आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।

(नथमल डिडेल)

> "नवीन सत्र के आरम्भ से ही सभी के समन्वित प्रयासों से विद्यालयों में उत्साहजनक नामांकन वृद्धि हुई। विद्यालयों में शिक्षकों, संस्थाप्रधानों सहित सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर पदस्थापन हुए। चाहे विभागीय चयन समिति (DPC) से पदोन्नति हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से नियुक्ति हो, द्रुत गति से किए गए कार्य और प्रभावी क्रियान्वयन का सुफल रहा कि अधिकांश विद्यालयों को योग्य शिक्षक और कुशल नेतृत्व देने वाले संस्थाप्रधान (प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य) मिले।"

▼ चिन्तन

यथाग्निर्दा रुमध्यस्थो
नोत्तिष्ठेन्मथनं विना।
विना चाभ्यासयोगेन,
ज्ञानदीपस्तथा न हि।।

अर्थात्- जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि मंथन (रगड़) के बिना दिखलाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार ज्ञान-रूपी ज्योति बिना स्वाध्याय के प्रकाशित नहीं होती। अतः स्वाध्याय नित्यनियमित रूप से करना चाहिए।

- शिविरा का माह सितम्बर 2017 का अंक अनेक सारगर्भित लेखों से सुसज्जित है। स्वामी विवेकानन्द का शैक्षिक चिन्तन शिक्षा को व्यापकता देता है जो आज के परिप्रेक्ष के अनुकूल है। 'आदिवासी अंचल के राजकीय स्कूल का आनन्द' लेख आदिवासियों के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। 'जनजीवन में प्रतिबिम्बित शिक्षा' लेख से पाश्चात्य जगत की सभ्यता और संस्कृति की अनेक विशेषताओं से भिज्ञ होते हैं यथा अनुशासित जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षण, श्रम साध्य जीवन शैली, प्राचीन धरोहरों का संरक्षण, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच, प्रकाशित सभी लेखों का संकलन सराहनीय है।

महेन्द्र कुमार शर्मा, नसीराबाद, अजमेर

- शिविरा सितम्बर 2017 अंक के गहरे ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर कुछेक मोती माणक चुने हैं। प्रेरक प्रसंग-'आत्मसम्मान' में गुरु गोविन्द सिंह के दरबारी श्री टहकण द्वारा गुरु जी की कलंगी का सम्मान एवं 'कोई भी काम छोटा नहीं होता' में भारतीय विद्वान श्री ईश्वरचन्द विद्यासागर द्वारा स्वयं झाड़ू लेकर उस सम्मान समारोह की सफाई करने लगना अत्यन्त प्रेरणादायी है। डॉ. राधाकृष्णन् के विचार बिन्दु इस अंक में देकर 'गागर में सागर' की उक्ति को चरितार्थ कर दिया है। उनका पूरा जीवनदर्शन चन्द पंक्तियों में उडेल दिया है। यह काबिले तारीफ है। शिक्षा के सारथी श्री जस्साराम चौधरी का सान्निध्य मुझे भी मिला है जब वे झुंझुनूँ में कार्यरत थे। श्री सुरेश कुमार का हाइकू कवित्व अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है। बच्चों के लिए श्री मनमोहन गुप्ता की कविता 'ज्ञान का सूरज' शिक्षा के लिए सामयिक व प्रेरक है। 'ध्यान' आलेख संत ज्ञानेश्वर के प्रसंग को पाठक अवश्य पढ़ें। 'अनुभूति के दोहे' व 'स्वास्थ्य बत्तीसी' बेहतर पाठ्यसामग्री है। 'सुख चैन से जीना सीखो' व्यावहारिक सुझाव देने वाला आलेख है। 155 लेखकों की रचनायुक्त अंक संयोजन के लिए साधुवाद।

टेकचन्द्र शर्मा, झुंझुनूं

- शिविरा पत्रिका सितम्बर, 2017 का अंक समय पर उपलब्ध हुआ। सितम्बर माह का अंक अन्य अंकों से कहीं अधिक उपयोगी और श्रेष्ठ रहा क्योंकि इस माह में शिक्षक दिवस भी है और इस अंक में शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक व अन्य कार्मिकों को साहित्य के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिला। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन को समर्पित यह अंक अपनी गरिमामय प्रस्तुति के लिए याद रहेगा। मुखावरण पृष्ठ आकर्षक व रोचक है। 'अपनों से अपनी बात' में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक दिवस 5 सितम्बर पर गुरुजनों से राष्ट्र निर्माण में समर्पित भाव से जुटजाने का सराहनीय आह्वान किया है। आशा है मंत्री महोदय के विचार शिक्षकों में नई स्फूर्ति पैदा करेंगे। 'दिशाकल्प' में निदेशक महोदय ने जहाँ शिक्षक के सम्मान को सर्वोपरि स्थान दिया है वहीं विद्यार्थियों को भी बोर्ड परीक्षा परिणामों में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने का गरिमामय आह्वान निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लाएगा। इस अंक के शैक्षिक चिन्तन में विभिन्न विधाओं में प्रकाशित रचनाएँ इस अंक व शिक्षक के गौरव को बढ़ाती है। शैक्षिक चिन्तन के सभी आलेख शिक्षा क्षेत्र में नवीन नवाचारों से भरपूर व प्रेरणादायी लगे। यथा 'राष्ट्र विकास में शिक्षा का योगदान', 'स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व', 'क्रिया आधारित शिक्षण' व अन्य शैक्षिक नवाचार से सम्बन्धित रचनाएँ प्रेरणादायी हैं। इसी प्रकार हिन्दी विविधा, राजस्थानी विविधा तथा हिन्दी बाल साहित्य की समस्त सामग्री ज्ञानवर्धक व पाठकोपयोगी रही। इस प्रकार के विशेषांक से शिक्षकों में सृजन के प्रति रूचि व आकर्षण में वृद्धि होती है। शिविरा की टीम का यह प्रयास सराहनीय है।

रामजीलाल घोड़ेला, आडसर, बीकानेर

- 'शिविरा' का सितम्बर माह का अंक शिक्षक समाज की साहित्यिक प्रवृत्ति को प्रकाशित करने वाला महत्त्वपूर्ण अंक है। हिन्दी एवं राजस्थानी विविधा के अंतर्गत साहित्य की विविध विधाओं की एक साथ प्रस्तुति इस बात की साख भरती है कि प्रदेश का शिक्षक समाज अपने समय व समाज की जरूरी

चिंताओं के प्रति सजग है तथा उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति में समर्थ है। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से संकलित रचनाएँ शिक्षक रचनाकारों से उम्मीदें जगाती हैं। रचनाओं की विषयगत विविधता शिक्षक समाज के समृद्ध अनुभव संसार का द्योतक है। 'शिविरा' में स्तरीय साहित्यिक रचनाओं खासकर बाल साहित्य को नियमित रूप से जगह दी जाए तो शिक्षकों व विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। अंक-नियोजन के लिए संपादक मण्डल साधुवाद का अधिकारी है।

डॉ. मदन गोपाल लढ़ा, महाजन, बीकानेर

- इस बार की 'शिविरा' संग्रहणीय विशेषांक के रूप में नजर आई। डॉ. राधाकृष्णन् जी का शिक्षक दिवस पर नवीन चित्र देखने को मिला। साथ नवरात्रि में माता जी, शिक्षा के अधिकार की तख्ती लिए छात्रा व वसुंधरा जी का बालिकाओं के साथ तैयार आवरण सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। सदैव की भाँति पठनीय व संग्रहणीय सामग्री से भरपूर शैक्षिक चिन्तन, हिन्दी विविधा में हिन्दी के विभिन्न आयामों से सजे लेख, हिन्दी कविताओं में अलग-अलग रसों से टपकती रसानुभूति तथा बाल साहित्य व राजस्थानी विधा में सहज व सौम्य रचनाएँ पाठक के लिए मन को संतोष व सीख देने वाली है। निदेशक महोदय ने शिक्षकों के सम्मान को विभाग की एक उज्जवल परम्परा बताया तो, अपनों से अपनी बात में मंत्री जी की राष्ट्र निर्माण की बात समयानुकूल व सार्थक लगी। सम्पादक मण्डल के सामूहिक प्रयासों को साधुवाद व आभार। चलते रहो तुम, इन्हीं पद चिह्नों दौड़ती आएगी नई पीढ़ी, अनुसरण करते-करते।

धनराज जीनगर, पोकरण जैसलमेर

- माह सितम्बर 2017 का शिविरा विशेषांक मिला। आवरणीय सुन्दरता एवं आकर्षक कलेवर के साथ पठनीय सामग्री पाठकों को पाठक बनने पर मजबूर करती है। दिशाकल्प में उज्ज्वल परम्परा की बात हो या अपनों से अपनी बात में राष्ट्र निर्माण की बात हमारे शैक्षिक चिन्तन को प्रगाढ़ बनाते है। विशेषांक में चयनित विधाओं के आलेख सम्पादकीय परिपक्वता को चिह्नित करते है। शैक्षिक चिन्तन के आलेख, शिक्षा क्यों और कैसी हो? (पी.डी. सिंह), इंडिया देट इज भारत (आनंद कुमार नायर), क्रिया आधारित शिक्षण (डॉ. रामनिवास), हिन्दी विविधा में बच्चों को बनाइए अच्छाइयों का वारिस (सांवलाराम नामा), शिक्षा के सारथी (ओम प्रकाश सारस्वत), (सूर्यप्रकाश जीनगर), हमारे वीरवर भामाशाह (गोमाराम जीनगर) आदि अनेक सुन्दर व सीख देने वाली कविताओं के साथ बाल साहित्य में विभिन्न रंग व राजस्थानी की अपनी पहचान लिए नाटक, लघुकथा, कहानियों से सुसज्जित विशेषांक हेतु सम्पादक मण्डल का हृदय से आभार व धन्यवाद।

शेखर चन्द्र व्यास, श्री डूँगरगढ़, बीकानेर

- शिक्षक दिवस पर शिविरा (सितम्बर 2017) का विशेषांक आद्योपांत पढ़ा। इस संग्रहणीय अंक में साहित्य की विविध विधाओं एवं विभिन्न व्यंजनाओं का समावेश कर 'गागर में सागर भरने' का आपका अतुलनीय प्रयास श्लाघनीय एवं प्रशंसनीय है। यही नहीं रचना चयन में रचनाकार की निर्लिप्त भाव से एक स्तरीय रचना का चयन कर संपादक मंडल ने अपनी विश्वसनीयता एवं दायित्व निर्वहन का बखूबी संपादन किया है। यह भी सच है विशेषांक के 132 पृष्ठों में सभी स्तम्भों का समावेश करते हुए अपनी पैनी दृष्टि एवं कुशलता से 160 रचनाओं को स्थान देकर प्रकाशन की शृंखला में कीर्तिमान कायम किया है, रचनाएँ एक से बढ़कर एक है, स्तरीय है, पठनीय है। कोई किसी से कमतर नहीं है। इस दृष्टि से रचनाकारों का महत्त्व कम नहीं वे भी बधाई के पात्र हैं। पत्रिका का मुख पृष्ठ आकर्षक के साथ माह के तीज-त्यौहार उत्सव-पर्व आदि को लेकर बहुत कुछ संदेश देने में अपनी सार्थक भूमिका निभाता है। इसके सृजन में जिस किसी भी सृजनहार ने अपनी सार्थक भूमिका सजगता एवं जीवटता का परिचय दिया है काबिल-ए तारीफ है। पत्रिका के उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन एवं सम्पादकीय दूरदर्शिता पर हमारा हृदय से नमन/बधाई स्वीकारें। शिविरा पत्रिका इसी तरह ऊँचाइयों और बुलन्दियों को छूती हुई देश प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बनें। यही शुभ कामना।

महेश कुमार चतुर्वेदी, छोटी सादड़ी (राज)

- शिविरा सितम्बर, 2017 का विशेषांक मिला, पढ़कर आनन्दानुभूति हुई। इस अंक का कलेवर एवं विषयवस्तु सराहनीय है।

पूर्व में शिक्षक दिवस पर पाँच पुस्तकों का प्रकाशन हुआ करता था, उनकी उपलब्धता हम सामान्य पाठकों तक कभी भी नहीं हो पाती थी। पुस्तकें शायद लेखकों तक ही पहुँच पाती थी। इस अंक को पाकर आपकी उन पाँचों पुस्तकों को प्राप्त नहीं कर पाने का जो दुख था उसे आपने एक विशेषांक मिलाकर पूरा कर दिया है। इस विशेष कृपा के लिए संपादक मण्डल एवं वे विशेष लोग जिन्होंने विशेषांक निकालने का सुझाव दिया हो बधाई के पात्र हैं। उत्तरोत्तर प्रगति की हमारी शुभकामनाएँ इस आशा एवं विश्वास के साथ कि भविष्य में भी आप पाठकों की सुविधाओं का ध्यान सहानुभूति पूर्वक रखते रहेंगे।

राजनारायण सचान, झालावाड़

- 'शिक्षक दिवस' पर शिविरा का सितम्बर 2017 माह का अंक मिला। पढ़कर मनभर आया। यों तो पूरा अंक ही सराहनीय है लेकिन कुछ लेख विशेष प्रेरणास्पद लगे जैसे श्री गोमाराम जीनगर द्वारा लिखा गया 'हमारे वीरवर भामाशाह' भामाशाह के सम्बंध में प्रदत्त जानकारी संकलन योग्य है। इसी प्रकार डॉ. रामनिवास के 'क्रिया आधारित शिक्षण' से शिक्षण के विभिन्न आयामों की अतिमहत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। बालकों में क्रियेटीविटी संवर्धन के संबंध में जानकारी उल्लेखनीय है। गृहकार्य स्वरूप के संबंध में आपके विचार हृदयंगम योग्य है। प्रकाश वया जी का 'उच्चारण और वर्तनी : भाषा का प्राणतत्व' इस प्रकार के आलेखों का प्रकाशन सतत एवं प्रत्येक अंक में करने योग्य है। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का लाभ निहित है।

कैलाश चन्द राव, भीलवाड़ा

पहला सुख निरोगी काया
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।

राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2017

सम्मान की उज्ज्वल परम्परा

❒ मुकेश व्यास

महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का जन्म दिन कृतज्ञ राष्ट्र 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाता है। शिक्षा विभाग राजस्थान, गौरव का अनुभव करता है कि उसके पास राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की उज्ज्वल परम्परा का इतिहास है।

राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2017 में राज्य के श्रेष्ठ चयनित 35 शिक्षकों में 26 माध्यमिक शिक्षा से, 07 प्रारंभिक शिक्षा से और 02 शिक्षक संस्कृत शिक्षा विभाग से हैं। सम्मानित शिक्षकों के साथ उनके शुभ चिंतक और प्रफुल्लित परिवारजन भी हैं।

राज्य की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर का बिड़ला सभागार पिछले कई वर्षों से गरिमामय राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का पर्याय बन चुका है। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिड़ला सभागार मानो भीतर से बाहर से हर पल सम्मान का गौरव गान गाता प्रतीत होता है।

मुख्य परिसर की हरियाली, भवन का कलात्मक स्वरूप आकर्षित करते है। मुस्तैद स्काउट गाइड एन.सी.सी. के कैडेट सभी शिक्षकों के सम्मान में रोमांचित और अपने-अपने कार्य को त्वरित गति से सम्पन्न करने में लगे हुए है।

सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि और सम्माननीय अधिकारियों के साथ सभागार में प्रविष्ठ होते हैं सभागार में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर आगुन्तकों का अभिवादन करते हैं। गरिमामय मंच के साथ सभी ओजस्वी स्वर में राष्ट्र गीत **वंदेमातरम्** का गायन करते हैं। मुख्य अतिथि माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री **श्री राजेन्द्र राठौड़** और अध्यक्ष माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) **श्री वासुदेव देवनानी** विशिष्ट अतिथियों के साथ माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीपप्रज्वलन और डॉ. राधाकृष्णन् के चित्र पर पुष्पाहार अर्पित करते हैं। अतिथियों के आसन ग्रहण करने के पश्चात् शिक्षकवृन्द द्वारा प्रस्तुत माँ सरस्वती वन्दना से सम्पूर्ण वातावरण सुरमय हो गया।

मंच पर विराजे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री **श्री राजेन्द्र राठौड़,** समारोह के अध्यक्ष माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) **श्री वासुदेव देवनानी,** विशिष्ट अतिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अध्यक्ष **प्रो. बी.एल. चौधरी,** अतिरिक्त मुख्य सचिव **श्री राजहंस उपाध्याय,** शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग **श्री नरेश पाल गंगवार,** विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग **अशफाक हुसैन,** आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् **डॉ. जोगाराम** का पुष्पाहार से अभिनन्दन किया गया।

सभागार में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा **श्री पी.सी. किशन** और राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर **आनन्दी** का सान्निध्य भी मिला।

गरिमामय मंच, सम्माननीय शिक्षकों, उपस्थित अधिकारियों और अतिथि गणों का शिक्षकवृन्द द्वारा सम्मानगीत से अभिनन्दन किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री **श्री राजेन्द्र राठौड़** ने सम्मानित शिक्षकों को बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि- ''पहली शिक्षक माँ के बाद, हमारे शिक्षक जो संस्कार हमें देते हैं, उसी बुनियाद पर हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षक-विद्यार्थी में सुनहरे भविष्य के बीज बोने का काम करते हैं। हमें शिक्षक दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए शिक्षित और विकसित राजस्थान का संकल्प लेना चाहिए।''

समारोह के अध्यक्ष माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) **श्री वासुदेव देवनानी** ने शिक्षक दिवस को गौरव का दिन बताया। उन्होंने कहा-''मैं शिक्षक हूँ यह मेरे लिए सुखद अनुभूति का दिन है।'' ''शिक्षकों का सम्मान अब केवल राज्यस्तर पर नहीं जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर भी हो रहा है। आपका (शिक्षकों का) जोश और उमंग देखकर आशा की किरण जागती है। विद्यालयों में 17 लाख से अधिक नामांकन बढ़ा है। विद्यालय केवल भवन से नहीं शिक्षकों की ताकत पर श्रेष्ठ बनते हैं।'' पिछले 2-2½ वर्षों में सभी के सहयोग से स्कूल खुलने, पदोन्नति होने, नई नियुक्ति होने, गार्गी पुरस्कार, लैपटॉप वितरण और नवाचारों से प्रेरणा पाकर विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का, 100% परिणाम देने का जोश आया है। पाठ्यक्रम में 200 से अधिक वीरांगनाओं के पाठ जोड़े गए है।

राजस्थान देश भर के लिए (मॉडल) आदर्श रूप में जाना जा रहा है। केन्द्र सरकार के माननीय मानवसंसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अन्य राज्यों को राजस्थान से प्रेरणा लेने को कहा है। देश में ही नहीं विश्व के नक्शे पर भारत विश्व गुरु है और रहेगा।

''प्रत्येक बच्चे के प्रति हमारा कर्तव्य है हर बालक-बालिका पढ़े यह चुनौती हम स्वीकार करें तभी हमारा शिक्षक दिवस मनाना सार्थक होगा। हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के शिक्षकों का तो सम्मान हो ही रहा है पर जिन जिलों में शिक्षा में श्रेष्ठ कार्य हुआ है वहाँ के कलक्टर्स को भी सम्मानित करने का नया अध्याय इस वर्ष जोड़ा है। रमसा, एस एस ए, स्टेट ओपन स्कूल, एस आइ इ आर टी से भी श्रेष्ठ कार्य करने वालों का सम्मान किया गया है जिन जिला शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षा के श्रेष्ठ कार्य संपादित हुए हैं, उनको भी

सम्मानित करके नवाचार किया गया है।''

सम्मान समारोह में शिक्षक दिवस के अवसर शिविरा पत्रिका का **'शिक्षक दिवस विशेषांक'** और शिक्षकों के सम्मान में प्रकाशित **'प्रशस्तियाँ'** का लोकार्पण भी गरिमामय मंच पर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष ने सभागार में उपस्थित सभी को **'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'** की शपथ दिलाई। पूर्ण दृष्टि बाधित ग्यारह विद्यार्थियों को एण्ड्रायड मोबाइल गरिमामय मंच पर प्रदान किए गए। राज्य में 569 दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को एण्ड्रायड मोबाइल वितरित करने प्रस्तावित बताए गए। सम्मानित शिक्षकों को शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिह्न इत्यादि भेंट कर गौरवमयी स्मृति बनाई गई।

विशिष्ट शासन सचिव जनाब अशफाक हुसैन साहब ने सभी का आभार स्वीकार किया। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपने कहा– ''आप सभी के समारोह में आने से ही समारोह की शोभा बढ़ी हैं हम प्रोत्साहित हुए सभी सम्मानित शिक्षकों अधिकारियों के प्रति आभार।

राष्ट्रगान 'जन गण मन....' के ओजस्वी गायन से समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह का संचालन डॉ. ज्योति जोशी, डॉ. सुभाष कौशिक और आभा द्विवेदी ने किया।

शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या 4 सितम्बर, 2017 को राज्य के शिक्षक कलाकारों ने सांस्कृतिक संध्या में एक से बढ़कर एक आकर्षक मनमोहक रंगारंग प्रस्तुतियाँ दीं।

सम्मानित शिक्षकों की सूची

1. **श्री सोहन सिंह,** वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राउमावि. रोड़ावाली, हनुमानगढ़।
2. **श्री राजेश कुमार ओझा,** वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राआउमावि. नगरी, चित्तौड़गढ़।
3. **श्री पंकज गहलोत,** व्याख्याता, राउमावि. सुमेरपुर, पाली।
4. **श्री बद्रीलाल लौहार,** अध्यापक, राउमावि. कोशीथल, भीलवाड़ा।
5. **श्री कैलाश चन्द मीना,** प्रधानाचार्य, राआउमावि. पहाड़ी, करौली।
6. **श्री अनिल कुमार धींगरा,** वरिष्ठ अध्यापक, रामावि. ढण्ढ, जोधपुर।
7. **श्री मैराज सिंह,** वरिष्ठ अध्यापक, राउमावि. लवां, जैसलमेर।
8. **श्री विजयकृष्ण वैष्णव,** व्याख्याता, राउमावि. चन्दूजी का गड़ा, बाँसवाड़ा।
9. **श्रीमती अनिता शर्मा,** वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका, रादेबाउमावि., डूंगरपुर।
10. **श्री राजेश कुमार,** शारीरिक शिक्षक, राआउमावि. नगराणा, हनुमानगढ़।
11. **श्री थाना राम जाट,** वरिष्ठ अध्यापक, राआउमावि. जयसिंहपुरा, गोविन्दगढ़, जयपुर।
12. **श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित,** वरिष्ठ अध्यापक, राआमावि गोदन, जालौर।
13. **श्रीमती सुषमा रानी अग्रवाल,** व्याख्याता, राउमावि. खातीपुरा, जयपुर।
14. **श्री रजनीश ओझा,** व्याख्याता, राउमावि. आनन्दपुर कालू, पाली।
15. **श्री रामगोपाल बैरवा,** व्याख्याता, राउमावि. चापानेरी, अजमेर।
16. **श्रीमती कुसुम शर्मा,** प्रधानाचार्य, राआउमावि. कोलाना, झालावाड़।
17. **श्री हरसहाय मीना,** व्याख्याता, राआउमावि. छारेड़ा, दौसा।
18. **श्रीमती आकांक्षा शर्मा,** व्याख्याता, राबाउमावि. तलवण्डी, कोटा।
19. **श्री कन्हैया लाल वर्मा,** व्याख्याता, राआउमावि. अरनियाँ रासाँ, भीलवाड़ा।
20. **श्री नरेश कुमार जैन,** प्रधानाचार्य, राउमावि. कासिमपुर, धौलपुर।
21. **श्री लक्ष्मण सिंह गुर्जर,** व्याख्याता, राउमावि. सिकराय, दौसा।
22. **श्री सुनील कुमार सेन,** व्याख्याता, राउमावि. रायधनु, नागौर।
23. **श्रीमती अंजना कँवर,** प्रधानाचार्य, राउमावि. केबानिया, अजमेर।
24. **श्री हेमराज विजय,** वरिष्ठ अध्यापक, राउमावि. संवारिया, टोंक।
25. **श्री रामकरण यादव,** व्याख्याता, सेठ मूलचन्द प्रभूदयाल राआउमावि. पवाना अहीर, कोटपूतली, जयपुर।
26. **श्री रामजी लाल बोहरा,** व्याख्याता, राउमावि. पट्टी किशोरपुरा, दौसा।
27. **श्री देवकीनन्दन वैष्णव,** अध्यापक, राउप्रावि. प्रेमनगर, चित्तौड़गढ़।
28. **श्रीमती विद्या टेलर,** अध्यापिका, राउप्रावि. गणेशपुरा (पहुँना) राशमी, चित्तौड़गढ़।
29. **श्री रमेशचन्द्र व्यास,** अध्यापक, राप्रावि. कलासुआ मौहल्ला लौहारिया पाड़ा, गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
30. **श्री राकेश सिंह देवड़ा,** शारीरिक शिक्षक, राउप्रावि. हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर।
31. **श्री ओमप्रकाश भार्गव,** अति.ब्लॉक प्रा.शि.अधिकारी, कार्यालय ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी कोटपूतली, जयपुर।
32. **श्री जगतार सिंह,** अध्यापक, राउमावि. रजौरा कला, धौलपुर।
33. **श्री राम लाल जाट,** व्याख्याता, राआउमावि. आष्टीकला, जयपुर।
34. **श्री साँवरमल शर्मा,** प्राध्यापक, रावउसंवि. कालाडेरा, जयपुर।
35. **डॉ. रामगोपाल जाट,** अध्यापक, राउप्रासंवि. कसुम्बी जाखला, नागौर।
36. **श्री दुलीचन्द शर्मा,** प्रधानाचार्य, राआउमावि. सूरेवाला, हनुमानगढ़।
37. **श्रीमती सर्वेश कुमारी,** प्रधानाचार्य, राआबाउमावि. डूँगरसिंहपुरा, श्रीगंगानगर।
38. **डॉ.(श्रीमती) छाया शर्मा,** प्रधानाचार्य, राउमावि. सलेमाबाद, अजमेर।
39. **श्री प्रकाशचन्द्र लौहार,** प्रधानाध्यापक, राउप्रावि. करेल, तह. झाड़ोल, उदयपुर।
40. **श्री जमील अहमद,** अध्यापक, राबाउप्रावि. शेरानी आबाद डीडवाना, नागौर।
41. **श्री नंद किशोर गुर्जर,** प्रधानाध्यापक राबाप्रावि. कल्याणपुरा, बेगूं, चितौड़गढ़।
42. **श्री पंकज कुमार,** प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल. अनूपगढ़, (श्री गंगानगर)।

संपादक, शिविरा
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
मो. 9460618809

मासिक गीत

जगाया तुमको कितनी बार

तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार ।।ध्रु.।।
वेदों का आदेश यही है, गीता का उपदेश यही है,
अर्जुन का संदेश यही है,
चलते क्यों नहीं आज कृष्ण की शिक्षा के अनुसार ।।

जगाया तुमको ।।1।।

राज्य बुद्ध ने छोड़ दिया था, घर से नाता तोड़ लिया था,
स्नेहयोग से जोड़ दिया था,
धर्मचक्र के प्रवर्तकों के भूल गए उपकार।।

जगाया तुमको ।।2।।

शंकर ने जीवन दे डाला, आत्म पतन से तुम्हें संभाला
अंधकार में किया उजाला,
कुम्भकर्ण की निद्रा से अब करो न फिर तुम प्यार।।

जगाया तुमको ।।3।।

अस्सी घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में,
पानीपत के समरांगन में,
तुम्हें बचाने को चमकी थी, सांगा की तलवार।।

जगाया तुमको ।।4।।

शत्रु हृदय दहलाने वाला, अकबर से पड़ते ही पाला,
चमक उठा था जिसका भाला,
उस प्रताप के रण विक्रम को, तुमने दिया बिसार।

जगाया तुमको ।।5।।

विश्वविदित शिवराज बली थे, रण में कृष्ण समान छली थे,
जिनके सब उद्योग फली थे
सुनी नहीं क्या रण में तुमने उनकी जय-जयकार।।

जगाया तुमको ।।6।।

जिसकी तेज खड्ग के आगे, अपने प्राण यवन ले भागे
फिर भी मारे गए अभागे,
उस बन्दा ने मचा दिया था, रण में हाहाकार

जगाया तुमको ।।7।।

समय नहीं है अब सोने का, गफलत में अवसर खोने का
गया जमाना अब रोने का
रिपुगण से तुम हल्का कर दो, मातृभूमि का भार

जगाया तुमको ।।8।।

संकलनकर्त्ता : **उमेश व्यास**
एफ-716, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर
मो. 9414012034

स्थापना दिवस विशेष

संयुक्त राष्ट्र संघ : शांतिपूर्ण विश्व निर्माण में भूमिका

❒ सलिज वर्मा

आज सारा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है। विश्व शांति हेतु सभी राष्ट्र प्रयासरत है। भावी पीढ़ी के जीवन रक्षण व अस्तित्व के बारे में नेहरु जी ने ठीक ही कहा था ''संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कई बार हमारे उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। इसके बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते।'' यह भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारण्टी व विश्व संघर्षों को रोकने का 'सेफ्टी वाल्व' है। परन्तु यह भी सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को वह सफलता नहीं मिली जो इससे उम्मीद थी। यह विभिन्न देशों में विध्वंसक शस्त्रास्त्रों के निर्माण की होड़ को नहीं रोक सका। स्वतंत्रता और भ्रातृ-भाव की भावना सार्वभौम नहीं हुई, कहीं-कहीं जातीय भेदभाव (द. अफ्रीका) तथा उपनिवेशवाद के अवशेष अभी तक बचे हुए हैं। शाँतिपूर्ण सहअस्तित्व की तुलना में सत्ता लोलुपता तथा दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करने की प्रवृत्ति आज प्रबल है। यह संघ युद्धों का अंत नहीं कर सका तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के उल्लंघन व अवहेलना को नहीं रोक पाया। किंतु अनेक राजनीतिक विवादों को निपटाने में संघ को सफलता प्राप्त हुई है। कुछ प्रमुख विवादों जैसे कश्मीर, वियतनाम, अरब इजरायल आदि का संघ समाधान नहीं कर पाया। वैसे प्रत्येक बड़े संघर्ष के बाद उसने युद्ध विराम कराने की भूमिका निभायी है। यह बात सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को राजनीतिक विवादों के हल में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आर्थिक और रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में। उसने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की स्थिति सुधारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्वभर के बच्चों, विकलांगो और नेत्रहीनों के लिए संयुक्त राष्ट्र जो कुछ कर रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके सहयोग के फलस्वरूप ही अनेक देशों में ऐसी बीमारियों का नामोनिशान नहीं रहा जिनसे पहले लाखों लोग प्रतिवर्ष असमय काल के ग्रास बन जाते थे।

संघ की स्थापना से लेकर अब तक मानवता को तृतीय महायुद्ध का भीषण रूप देखने को नहीं मिला। इसका श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ को ही दिया जा सकता है।

इसकी स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार है-

1. सामूहिक व्यवस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शाँति व सुरक्षा कायम रखना व आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शाँतिपूर्ण समाधान करना।
3. राष्ट्रों के आत्म निर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना।
4. सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित व पुष्ट करना।

संयुक्त राष्ट का एक उल्लेखनीय कदम 14 दिसम्बर 1960 को की गई वह घोषणा थी, जिसमें औपनिवेशिक देशों और लोगों की स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। घोषणा में उपनिवेशवाद को मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन और विश्व शान्ति के मार्ग में रुकावट बताया गया था। इस घोषणा के बाद से बड़ी संख्या में अधीन क्षेत्रों ने उपनिवेशी दासता से मुक्ति पायी और सार्वभौमिक स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उभरकर सामने आए। वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 51 बढ़कर 196 हो गई।

उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद अनेक नये राष्ट्रों के उदय ने अन्तर्राष्टीय राजनीति की दुनिया में उथल-पुथल मचा दी। विश्व शाँति को खतरे में डालने वाले अनेक सीमा विवाद उठ खड़े हुए। इसके साथ ही युद्ध के तनाव के कारण भी स्थिति संकटपूर्ण रही। इन दोनों ही सिलसिले में अन्तर्राष्ट्रीय शाँति की स्थापना तथा विवादों के शाँतिपूर्ण समझौतों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वेज, बर्लिन, कांगो, कोरिया, लेबनान के झगड़ों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भयंकर युद्ध आरम्भ होने से विश्व को बचाया। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र ने 1956 में स्वेज संकट के समय से साइप्रस, लेबनान और कांगो के जरिये 'शाँति बनाए रखने में', बहुत कुछ किया है। रंगभेद तथा जातिभेद मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए जिनसे सदस्य राष्ट्रों में यह भेदभावपूर्ण स्थिति काफी कम हुई।

हाल ही में रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र संघ को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 12 नवम्बर 1992 को महासभा के 144 सदस्यों ने एक संधि के मसौदे को प्रयोजित किया जिसमें सभी प्रकार के रासायनिक हथियारों और जहरीली गैसों के इस्तेमाल, निर्माण व भंडारण पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है। 29 अप्रैल 1997 से यह संधि सम्पूर्ण विश्व में बिना किसी भेदभाव के लागू हो गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निरस्त्रीकरण की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (CTBT) के कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन 6-8 अक्टूबर 1999 को वियना में किया गया जिसमें 92 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन संधि के उस प्रावधान के तहत किया गया था जिसमें कहा गया है कि संधि को हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि (24 सितम्बर 1996) के तीन वर्षों के भीतर यदि विविध परमाणु क्षमता वाले सभी 44 राष्ट्रों

द्वारा इस संधि का अनुमोदन नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सम्मेलन में आगे की कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा। विविध परमाणु क्षमताओं वाले इन 44 राष्ट्रों में से अभी तक 26 में ही संधि का अनुमोदन किया है। जबकि तीन देशों–भारत, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया ने इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

नौवें दशक के अंत के दौरान शीत युद्ध की समाप्ति ने एक नए वैश्विक सुरक्षा परिवेश को जन्म दिया जिसमें अन्तः राज्यीय युद्धों के बजाय आंतरिक युद्धों पर जोर था। 21 वीं शताब्दी के प्रथम दशक में एक नया वैश्विक खतरा उभरा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। 1 सितम्बर 2001 को हमलों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की नयी चुनौती को स्पष्ट रूप से दर्शा दिया, जबकि बाद की घटनाओं ने आणविक हथियारों के प्रसार और अन्य परम्परागत हथियारों से खतरों की चिंता को बढ़ा दिया। 28 सितम्बर 2001 को सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रवर्तन प्रावधानों के अन्तर्गत एक व्यापक सीमा वाला प्रस्ताव तैयार किया जिसका उद्देश्य आतंकवाद के लिए वित्त को रोकना, ऐसे उद्देश्यों के लिए निधि संग्रह को आपराधिक करार देना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को तत्काल रोक देना था।

हाल के वर्षों के अनुभव ने संयुक्त राष्ट्र संघ को शाँति निर्माण अर्थात् शाँति को मजबूत व स्थायी बनाने वाले ढाँचे के समर्थन के लिए कार्यवाही की ओर पहले से अधिक ध्यान केन्द्रित करने की ओर प्रवृत्त किया। शाँति की स्थापना देशों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार संरक्षण, श्रेष्ठ शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बढ़ाने में सहायता देकर ही प्राप्त की जा सकती है। इन लक्ष्यों के समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास जैसा बहुपक्षीय अनुभव, योग्यता, समन्वय व निष्पक्षता है, उतनी किसी अन्य संस्था के पास नहीं। पूर्वी तिमोर व कोसावो में मिशन जैसे शाँति की स्थापना के कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने मध्य अफ्रीकी रिपब्लिक, गिनी बिसाऊ, साइबेरिया और ताजिकिस्तान में शाँति निर्माण समर्थन कार्यालय स्थापित किए हुए हैं। इतना होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ को निरस्त्रीकरण, हिन्द महासागर को शाँति क्षेत्र बनाने, रोडेशिया, नामीबिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में बहुसंख्यक अश्वेतों का शासन स्थापित करवाने, विकसित व विकासशील देशों के बीच आर्थिक असंतुलन को कम करने, विकसित व अविकसित देशों द्वारा समुद्री सम्पदा के उचित दोहन, गरीब राष्ट्रों को उनके कच्चे माल की वाजिब कीमत दिलाने आदि मसलों में आंशिक सफलता ही मिली। निर्मम हमलों के अनेक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यवाही करने में विफल रहा क्योंकि ऐसे मामलों से स्पष्टतः महाशक्तियों का सरोकार था और वे शीतयुद्ध की अपेक्षाओं को पूरा करते थे। ऐसे मामलों में चीन का भारत पर आक्रमण, सोवियत संघ की सेनाओं द्वारा हंगरी और चेकोस्लोवाकिया पर हमला, अमरीका का ग्रेनाडा पर कब्जा, चीन का वियतनाम पर, सोवियत सेनाओं का अफगानिस्तान पर कब्जा, अमरीका–ब्रिटेन द्वारा इराक पर आक्रमण शामिल हैं। 24 मार्च, 1999 को जब यूरो अमरीकी सैनिक संगठन नाटो ने बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृति प्राप्त किए यूगोस्लाविया पर बमबारी शुरू कर दी तो इस आक्रमण ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्प्रभुता व प्रासंगिकता पर सवालिया निशान अंकित कर दिया।

बोस्निया, सोमालिया और रवांडा ने शांति अभियानों में संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 1993–96 में विशेष सफलता नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र बोस्निया में सर्बो को शाँति समझौता मंजूर करने के लिए नहीं मना पाया। इराक पर अमरीकी और ब्रिटिश सेना के हमले के समय (मार्च 2003) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दो खेमों में बँटी नजर आयी जिसमें ब्रिटेन और अमरीका एक तरफ थे जो हमले की वकालत कर रहे थे और फ्राँस व रूस अलग खेमे में थे जो हमले का जोरदार विरोध कर रहे थे। ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। यह भी देखा गया है कि विश्व महाशक्तियों ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बजाय सीधे द्विपक्षीय परामर्श का सहारा लिया जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी को इंगित करता है। साल्ट–2 तथा हिन्द महासागर के विसैन्यीकरण पर अमरीका तथा सोवियत संघ सीधी बातचीत करते रहे। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब निर्धन देशों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों में संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढाँचे ने उनको नुकसान पहुँचाया है। जैसे विश्व बैंक में समर्थित सदस्यों की भीड़ के कारण मदद में प्राथमिकता पश्चिम समर्थक राष्ट्रों को ज्यादा मिली जरूरतमंद देशों को कम। सुरक्षा परिषद में 'वीटो' के अधिकार ने भी चीन, दोनों कोरिया तथा वियतनाम को सदस्यता के लिए लम्बे समय तक वंचित रखा। वीटो के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक स्थानों पर प्रभावकारी कार्यवाही नहीं कर पाया।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद संसाधनों का दायरा बढ़ाने के साथ–साथ अपनी शाँति अनुरक्षण क्षमता मजबूत की है। क्षेत्रीय संगठनों की भागीदारी बढ़ाई है, संघर्ष के बाद शाँति निर्माण क्षमता में वृद्धि की है और निरोधक राजनय का सहारा लेना फिर शुरू कर दिया है। असैन्य संघर्षों की समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद ने जटिल व अभिनव शाँति अनुरक्षण गतिविधियों की स्वीकृति दे दी है। इनसे स्थायी शाँति के आधार तैयार करने के लिए समय व स्थान दोनों मिले हैं और दर्जनों देशों में लाखों लोगों को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में भागीदारी मिली है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शाँति व सुरक्षा की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत की भूमिका अदा की है। विश्व राजनीति के बदलते स्वरूप से कदम मिलाते हुए अर्थात् उसने राजनीतिक व सुरक्षात्मक चुनौतियों के कम होने पर अनेक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में विकास व सहयोग कार्यक्रम आरंभ कर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की भावना जाग्रत की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक विश्व समस्याओं को सुलझाने में आंशिक सफलता ही प्राप्त कर पाया है पर उसने कई नाजुक मामलों में हस्तक्षेप कर विश्व समाज को महायुद्ध के विनाश से बचाया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया के समस्त राष्ट्र आपसी सहयोग, विश्वास व समझ के आधार पर विश्व संगठन को भरपूर समर्थन देने लगे तो अन्तर्राष्ट्रीय शाँति व सुरक्षा का स्वप्न साकार हो सकता है। मानवता की जीत हो सकती है।

प्रधानाचार्या
रा.उ.मा.वि. रोझां (लूणकरणसर), जिला–बीकानेर
मो: 9414143728

जयन्ती विशेष

संत नामदेव

❒ रूपनारायण काबरा

सन्त नामदेव की वाणी में, कविता में उनके अभंगों में पंजाबी, मराठी व हिन्दी का समावेश है। उन्होंने अपने अभंगों में सर्वव्यापी परमात्मा की आराधना का उपदेश है। इनमें सतगुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है- ढिंग ढिंग ढूँढ़े अंध ज्यूं, चीन्हे नाहीं सन्त। अर्थात् क्यों क्यों अन्धे की तरह ढूँढ़ते हो, सन्त को पहचानो, सन्त के बिना परमेश्वर को पाना असंभव है।

उनका जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र में हुआ। पिता का नाम था दामाशेठ और माता का नाम गोणाई। ये छींपा व दर्जी परिवार से थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु के पश्चात् नाना वामदेव ने पाला। वे भगवान विट्ठल के भक्त थे। एक बार काम से बाहर जाने पर भगवान विट्ठल की सेवा उन्हें सौंप गए। भोग लगाया तो भगवान ने दूध पिया ही नहीं। बालक नामदेव ने सोचा रोज तो मूर्ति दूध पीती है, आज मेरे हाथ से नहीं पी रहे हैं। वे रोने लगे और वहाँ से हटे ही नहीं तो उनके निर्मल प्रेम से प्रभावित होकर भगवान ने दूध पी लिया।

उनका विवाह तो हो गया था। पर सांसारिक कार्यों में कमाई में मन नहीं लगता था। उनकी तो लगना प्रभु भक्ति में थी, परमेश्वर प्राप्ति की ओर। एक बार नाग नाथ के मंदिर में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा कोढ़ि शिवलिंग पर पैर रखकर लेटा है। उन्हें बुरा लगा और पाँव हटाने को कहा। बूढ़े कोठी ने कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, हिल नहीं सकता, आप कृपा करके मेरे पाँव को वहाँ रख दीजिए जहाँ परमेश्वर न हो।

इस गूढ़ उत्तर को सुनकर नामदेव की चेतना जाग उठी और उन्हें ज्ञान हो गया कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। उनको तो गुरु मिल गया वे उनके चरणों में गिर पड़े और ज्ञान देकर सही मार्ग बताने की प्रार्थना की। बूढ़े ने कहा वह उठ नहीं सकता, मुझे बाहर ले चलो। कोढ़ी के प्रति अब उनकी घृणा तो दूर हो चुकी थी इसलिए बड़ी श्रद्धा एवं सावधानी से बाहर उठा लाए। बाहर लाकर जैसे ही एक स्वच्छ स्थान पर वृद्ध महोदय को बिठाया तो देखा कि बूढ़े के स्थान पर एक स्वस्थ तेजस्वी सुन्दर नौजवान बैठा हैं जो अपनी दया व कृपा भरी दृष्टि से उनको कृतार्थ कर रहा है। उनके चरणों में गिरकर उसने पूछा तो बताया कि वे थे महात्मा बिसोवा खेचर। उन्होंने

नामदेव को ज्ञान दिया और शब्द मार्ग का उपदेश भी दिया।

सतगुरु की चरण-शरण प्राप्ति से उनकी जीवन धारा ही बदल गई। उन्होंने अपने 'अभंग' में सत गुरु के प्रति कहा ''हे सतगुरु खेचर, आप सुख सागर स्वरूप हो, मेरे को परमेश्वर से मिला दिया है, मैंने उनका दर्शन कर लिया है। मेरा मन आनंदित एवं आँखें ध्यान से भरकर तन्मय हो गई है। जिस प्रकार पानी सागर में मिलकर उसी में समा जाता है, मेरा अहं भी नष्ट हो गया है, मैं उनमें ही समा गया हूँ। आपकी कृपा से अब आनन्द ही आनन्द है।''

परमेश्वर का अन्तर में साक्षात्कार होने से नामदेव उसी शक्ति को हर प्राणी में देखने लगे। एक बार यात्रा में एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोटी निकाली, रोटी एक तरफ रखकर चुपड़ने के लिए घी निकाला, इसी समय एक कुत्ता आया और रोटी लेकर भागने लगा। घी का बर्तन हाथ में लेकर नामदेव पीछे दौड़ते हुए उसे बोले-

रुखड़ी ना खाइयो स्वामी रुखड़ी ना खाइयो।
हाथ हमारे घिरत कटोरी, अपनी बांटाले जाइयो।
दौड़े दौड़े जात स्वामी, रोटी लिया मुख माहीं।
हम तो दौड़े पहुँच न सकें, मेल लेहु गोसाईं।।

वे परमात्मा से तादात्म्य की उस स्थिति तक पहुँच गए जहाँ वे स्वयं भी परमात्मा में थे और परमात्मा उनमें। वे कहते थे ''ऐसे रामहि जानो रो भाई, जैसे भृंगी कीट रहे ल्यो लाई।। सरल रूप सर बेसर स्वामी, त्रिगुण रहन देव अन्तरजामी।।'' उन्होंने सन्तों के सन्देश देश के कोने-कोने में फैलाए। 27 वर्ष की उम्र में सतगुरु से ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी यात्राएँ प्रारंभ कर दी। 25 वर्षों तक वे पैदल ही घूमते रहे।

आरंभ में ऐसी ही एक यात्रा में ज्ञान देव भी उनके साथ थे। यद्यपि दोनों के मार्ग अलग-अलग थे, पर वे एक-दूसरे का बहुत आदर करते थे। एक बार राजस्थान के रेतीले मैदानों में भी गए, जहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। एक बार सुबह से शाम हो गई चलते-चलते, पर पानी कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें एक कुआँ दिखाई दिया पर उसमें पानी बहुत नीचे था। ज्ञानदेव ने अपनी योगशक्ति द्वारा लघुरूप धारण कर कुएँ में प्रवेश किया और अपनी प्यास बुझाकर बाहर आ गए तो देखा नामदेव कुएँ के पास खड़े थे और प्यास के कारण मानों उनके प्राण निकल रहे थे। ज्ञानदेव ने कहा वे फिर जाकर पानी ले आते हैं परन्तु नामदेव को यह स्वीकार नहीं हुआ, वे बोले अगर भगवान की यही इच्छा है तो उन्हें प्यास से मरना मंजूर है पर मालिक की ऐसी कृपा हुई कि पानी ऊपर तक आ गया और कुएँ के ऊपर से बहने लगा और कुएँ से उछलता हुआ एक नदी की भाँति बहने लगा। नामदेव स्वयं के लिए अलौकिक शक्तियों को काम में लाने के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि भक्त को चाहिए कि न सुख के समय अधिक सुखी हो और न दुख के समय अधिक दुखी। समभाव से मालिका 'भाणा' अर्थात् उसकी मौज समझ कर मस्त रहो और मन को अडोल रखो। जो मालिक करवाए उसी में मस्त रहो। वे कहते थे-

कबहू खीरि खाँड घीउ न भावे,
कबहूं घर-घर टूक मंगाए।।
जिउ रामु राखै तिउ रहीए रे भाई,
हरि की महिमा किछु कथनु न जाई।।
भनति नाम देउ इकु नाम निस तारै,
जिहि गुरु मिले तिह पारि उतारे।।

नामदेव जी कहते हैं कि समभाव से परमात्मा की मर्जी और मौज को मानो क्योंकि केवल उसके नाम से ही निस्तार होता है और जिसे सन्त सतगुरु मिल जाते हैं वही भवसागर से पार होता है।

ए-438, किशोर कुटीर
वैशाली नगर, जयपुर-302021
मो. 8233360830

पुण्यतिथि

युग पुरुष : गुरु गोविन्दसिंह जी

❒ अशोक कुमार वधवा

गुरु गोविन्दसिंह जी इतिहास में ऐसे पुत्र के रूप में उल्लेखित है जिन्होंने मात्र नौ वर्ष की आयु में अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहादत के लिए प्रेरित किया। आपके जन्म के समय श्री गुरु तेग बहादुर साहिब बंगाल के ढाका शहर में थे। सन् 1670 में श्री गुरु गोविन्दसिंह जी का श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिलाप हुआ। छोटी आयु में ही आप में नेतृत्व के गुण प्रकट होने लगे थे। जब आप अपने साथियों के साथ खेलने के लिए निकलते थे, तो स्वतः ही बालकों का सारा समुदाय आपको अपना सरदार मान लेता था। बचपन से ही आप में शूरवीरों वाली शक्ति दिखाई देने लगी थी। आप अपने साथियों को दो टोलियों में विभाजित कर परस्पर युद्ध करवाते थे। सन् 1674 में भारतीयों पर अत्याचार हुए तो उन्होंने अपनी फरियाद गुरु तेग बहादुर जी के समक्ष की। श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने अपनी आत्मिक उच्चता का प्रमाण दिया और सहमी हुई हिन्दु शक्ति को मुगलों के भय से मुक्त करने के लिए अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब को कुरबान होने के लिए भेज दिया। जब रण में मुगलों के समक्ष श्री गुरु तेग बहादुर साहिब शहीद हुए तब श्री गुरु गोविन्दसिंह जी अल्प आयु (केवल 9 वर्ष के) थे। गुरु जी के विचार क्रांतिकारी थे। संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है, इस अवधारणा का खंडन करते हुए आपने पाँच सिखों को उदासी वस्त्र पहना कर बनारस संस्कृत पढ़ने के लिए भेज दिया। कालान्तर में यही पाँच सिख, श्री सिख समाज में पंज-प्यारे कहलाए। वहाँ वे कई वर्षों तक संस्कृत पढ़ते रहे। अमृत की दीक्षा लेने के बाद उनके नाम भाई रामसिंह, भाई वीर सिंह, भाई कर्म सिंह, भाई गण्डा सिंह तथा भाई शोभा सिंह वर्णित है। श्री गुरु गोविन्दसिंह जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें जुल्म तथा बुराइयों के विरुद्ध डटकर मुकाबला करने योग्य बनाना तथा उनके जीवन में इन्कलाब लाना था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कई धर्मयुद्ध लड़े। उन्होंने अत्याचार को जड़ से समाप्त करने के लिए एक ऐसी कौम को तैयार करने का फैसला किया जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम, आश्रय रहित लोगों के लिए दया की भावना तथा हाथों में जुल्म व अत्याचार का मुकाबला करने के लिए हथियार हो, जो जुल्म को समाप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की हिम्मत रखती हो। इस प्रकार श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने सिख कौम के आचार को ऊँचा रखने के लिए अपने जीवन को मर्यादित करने का फैसला किया।

श्री गुरु गोविन्दसिंह जी भारतीय इतिहास के उत्तर-मध्य युग में आते हैं। वे सिख पंथ के दसवें गुरु है। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी और उनके अनुवर्ती गुरुजी के विचारों को अपने चिंतन का आधार बनाया। अपने युग के प्रभावों को आत्मसात किया और पूर्ववर्ती गुरुओं के चिंतन में विस्तार किया। श्री गुरु गोविन्द सिंह जी की वाणी पर उनके युग की राजनीतिक स्थिति की जितनी स्पष्ट एवं गहरी छाप है, उतनी सामान्यतया अन्य गुरुओं की वाणी पर दिखाई नहीं देती है। श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के पूर्ववर्ती राजनीतिक गुरुओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध न के बराबर था। श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के महान कार्यों और उनके साहित्य की जानकारी के लिए युगीन परिस्थितियों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसी युगीन परिवेश का वर्णन अग्रांकित पंक्तियों में प्रस्तुत हैः-

श्री गुरु नानक देव जी के समय भारत पर सिकन्दर लोदी तथा इब्राहीम लोदी का शासन था। सन् 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहीम लोदी को परास्त किया और मुगल शासन की नींव डाली। बाबर एक निर्दयी बादशाह था। उसने आक्रमण के समय भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। उसके आक्रमण से भारत की हुई दुर्दशा को गुरुजी ने अपनी आँखों से देखा। उस भीषण अत्याचार को देखकर गुरु साहिब द्रवीभूत हो गए और उन्होंने परमात्मा को उपालंभ दिया। उस समय समाज में धर्म शब्द नाम मात्र का ही रह गया था। वास्तव में धर्म की आड़ में अधर्म का बोलबाला था। तत्कालीन धार्मिक वातावरण कुछ इसी प्रकार का था। झूठ, पाखंड, कर्मकाण्ड, अंधविश्वास, रूढ़िवाद आदि का प्रचलन था। ऐसे पाखण्डियों के बाहरी आडम्बरों को श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने 'व्यर्थ का धर्म' की संज्ञा दी। उनके नेतृत्व में सिक्खों ने धर्म संबंधी कई अच्छे कार्य किए। शस्त्र शिक्षा के साथ-साथ इन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। श्री गुरु गोविन्द सिंह जी द्वारा प्रेम और बंधुत्व की भावना का प्रवाह समाज में जोर पकड़ता जा रहा था। गुरु और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का पाठ घर-घर में पढ़ाया जाता था। उस वक्त भारतीय समाज का सामाजिक परिवेश ऊँच-नीच, छोटे-बड़े की भावना से ग्रस्त था। ऐसे भिन्न-भिन्न समाजों में विभाजित एवं एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना से पीड़ित समाज ने श्री गुरु गोविन्दसिंह जी को भी बहुत प्रभावित किया। श्री गुरु गोविन्दसिंह जी के समस्त कार्य-कलापों एवं साहित्यिक रचनाओं की पृष्ठभूमि के रूप में तद्युगीन सामाजिक वातावरण ही था। मत-मतान्तर एवं उपासना पद्धतियों के परस्पर विरोधी होने के परिणामों से परिचित होने के कारण दशमेश जी ने सबके दोषों का उद्घाटन किया और सर्वत्र सरल, जनोपयोगी उपासना जीवन-पद्धति और शांति के अभिनव संदेश को प्रचारित किया। इस प्रकार सामाजिक परिवेश के प्रभाव से श्री गुरु गोविन्दसिंह जी की वाणी में वीर भावनाओं की अभिव्यक्ति, धार्मिक परिवेश की प्रभावपूर्ण शक्ति और प्रेम के अनेक चित्र सहज रूप से ही आ गए। श्री गुरु गोविन्दसिंह जी के आविर्भाव से पूर्व देश का नैतिक और आर्थिक परिवेश भी अत्यन्त शोचनीय और दयनीय था। आर्थिक दृष्टि से साधारण लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक साधनों की कमी थी। श्री गुरु गोविन्द सिंह जी ने लोगों को शृंगारिक प्रवृत्तियों की ओर से हटाया और उन्हें सुन्दर जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। समग्रतः कहा जा सकता है कि श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के युगीन परिवेश ने उनके साहित्यकार के रूप को प्रभावित किया। उन्होंने उत्कृष्ट कोटि के साहित्य की रचना की। ये साहित्यबद्ध पंक्तियाँ सिख धर्म के पूजनीय ग्रंथ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में लिपिबद्ध है जो आज भी समाज को दिशा-बोध हेतु उपलब्ध है।

अति.जि.शि.अ. (मा.)
श्रीगंगानगर
मो. 9413229676

गाँधी जयन्ती विशेष

ज्ञानार्जन की पहली शर्त है जिज्ञासा

❒ ओम प्रकाश सारस्वत

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल अक्षर-अंक का ज्ञान दिलाना भर नहीं है अपितु अक्षर-अंक के इस एक तरह से गणितीय कौशल के सहारे व्यक्ति को जीवन की जटिलताओं से उबर कर सुखमय जीवन की राह दिखाना है। भारतीय दर्शन में निहित संदर्भ को लें तो इस स्थिति को 'सा विद्या या विमुक्तये' कहेंगे। पराधीनताओं से मुक्त होकर जीवन का आनन्द दिलाने वाली यह स्थिति सच में बडी रौमांचक होती है महात्मा गाँधी ने सात दशक पूर्व इस सम्बन्ध में अपने स्पष्ट विचार प्रकट किए थे। उन्होंने लिखा था (हरिजन/10 मार्च 1946) ''प्राचीन सूक्ति 'सा विद्या या विमुक्तये' आज भी उतनी ही सत्य है जितनी कि पहले थी। शिक्षा से यहाँ आशय केवल आध्यात्मिक शिक्षा से नहीं है और न विमुक्ति से आशय मृत्यु के उपरान्त मोक्ष प्राप्ति से है। ज्ञान में वह समस्त प्रशिक्षण समाहित है जो मानव जाति की सेवा के लिए उपयोगी है और विमुक्ति का अर्थ है वर्तमान जीवन की सभी प्रकार की पराधीनताओं से छुटकारा पाना। पराधीनता दो प्रकार की होती है : बाहरी आधिपत्य की दासता और आदमी की अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की दासता। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए किया गया ज्ञानार्जन सच्ची शिक्षा है।''

शिक्षा प्राप्ति के लिए एक आवश्यक शर्त है कि विद्यार्थी में जिज्ञासा, सीखने का भाव हो। 'मैं सीख गया हूँ' अथवा 'अब मुझे किसी के उपदेशों की आवश्यकता नहीं' जैसे भाव आगे बढ़ने से रोकने वाले है। विनम्रता और सदाशयता तो हर कदम पर सहयात्री की तरह नजर आने ही चाहिए। महात्मा गाँधी ने लिखा है,'' निरंतर शंका और शुद्ध जिज्ञासा किसी भी प्रकार के ज्ञानार्जन की पहली शर्त है। जिज्ञासा के मूल में विनम्रता और गुरुजन के प्रति आदरभाव होना चाहिए। ध्यान रहे कि वह विकृत होकर उद्धतता में बदल न जाए। उद्धतता बुद्धि की ग्रहणशीलता की शत्रु है। विनम्रता और सीखने की इच्छा के बिना ज्ञान की प्राप्ति सम्भव नहीं है।'' (हरिजन/8 सितम्बर 1946) गाँधीजी के ये विचार देश, काल, परिस्थिति से सर्वथा ऊपर होने के कारण सर्वमान्य है। सीखने की सच्ची इच्छा और उसे साकार रूप देने के लिए विनम्रता के साथ सच्चा भाव आगे बढ़ने के लिए खेत में पानी-बीज के साथ फर्टिलाइजर का महान् काम करता है।

महात्मा गाँधी नए विकसित भारत का सपना देखा करते थे और इसके लिए वे समय की चाल के अनुसार चलने और काम करने की शिक्षा और प्रेरणा देते थे। कई बार चरखे की चर्चा चलने पर आधुनिक पीढ़ी के लोग किंचित शंका प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के उस दौर में चरखे ने भारत को जोड़ने का अद्भुत कार्य किया था। वह खादी बुनने का एक उपकरण मात्र नहीं था बल्कि देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। आज कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का युग है और मेरा मानना है कि आज यदि गाँधीजी होते तो कदाचित वे इनका उपयोग करने की हमें सलाह देते। कहने का आशय यह है कि वे युगानुकूलीन शिक्षा के पक्षधर थे। हरिजन में (अंक 19 जनवरी 1947) उन्होंने लिखा है, ''नए संसार की रचना के लिए शिक्षा भी नई तरह की होनी चाहिए।'' बापू का यह कथन यही सिद्ध करता है कि यदि आज वे होते तो न केवल कम्प्यूटर, इंटरनेट, व्हाटसएप का वे प्रयोग कर रहे होते बल्कि ऐसा करने के लिए हमें प्रेरित भी कर रहे होते। बावजूद इसके चरखा तो भारत एवं भारतीयता का परिचायक रहा और है। वह हमारे प्राणों में रचा-बसा है। चरखे का महत्त्व बताते हुए बापू ने लिखा है-

''चरखा करोड़ों देशवासियों के साथ हमारा तादातम्य कराता है। लखपति सोचते हैं कि पैसा उन्हें दुनिया की हर चीज मुहैया करा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मृत्यु किसी भी क्षण आकर उनका जीवन-दीप बुझा सकती है। मनुष्य को भगवत् प्राप्ति के लिए त्याग के रूप में स्वेच्छा से अपनी हस्ती अथवा अहंकार को मिटाने का पाठ सीखना पड़ता है। चरखे में कोई अनन्यता नहीं है। वह निर्धनतम व्यक्ति सहित सभी का है। इसलिए वह हमसे विनम्र बनने तथा अपने गर्व को पूरी तरह से मिटा देने की अपेक्षा रखता है।''

वास्तविक शिक्षा हृदय में प्रकाश निपजने पर प्राप्त होती है। पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण, अधिगम सामग्री तो महज अवलम्बन होते हैं। एक हाड़ माँस का बना आदमी होता है और एक शिक्षा प्राप्त गुणवान आदमी होता है। इस गुणवान आदमी की निर्मिति बाबत बापू कहते हैं, ''आदमी (हाड़ माँस वाला) साक्षरता अथवा विद्वता से आदमी (गुणशील) नहीं बनता बल्कि सच्चे जीवन के लिए ली गई शिक्षा से बनता है। मेरा आग्रह है कि वयस्क मताधिकार के साथ-साथ, अथवा उससे भी पहले, सार्वजनीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसका पुस्तकीय होना अनिवार्य नहीं है- पुस्तकें तो सम्भवतः उसकी सहायक की भूमिका ही निभा सकती है। मेरा मानना है कि अंगेजी शिक्षा ने हमारे दिमागों को कंगाल बना दिया है, कमजोर कर दिया है और उन्हें साहसी नागरिकता के लिए कभी तैयार नहीं किया। मैं उन्हें समृद्ध भाषाओं में ऐसा पर्याप्त ज्ञान दूंगा जिस पर कोई भी देश गर्व कर सके। यदि हमारे में ईमानदारी और उत्साह हो तो नागरिकता के मर्म को समझने की शिक्षा अल्प समय में ग्रहण की जा सकती हैं।'' (हरिजन/2 व 3 मार्च 1947) स्पष्ट है कि महात्मा गाँधी राष्ट्र की तासीर एवं उत्तम मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के हामीदार थे। वे जो कहते थे, पहले स्वयं के आचरण में ढालकर तदनुसार व्यवहार करते थे। सच में उनका जीवन एक चलती फिरती प्रयोगशाला था। यह विदित ही है कि बापू ने अपनी आत्म कथा 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' नाम से लिखा है जिसमें वर्णित एक-एक शब्द खरा और प्रयोग द्वारा प्रमाणित है। उनका जीवन और संदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा देने वाला है।

जीवन परमात्मा की ओर से मिला शानदार उपहार है। इसका अर्थ समझना चाहिए। जीवन रीं-रीं करके बर्बाद करने के लिए नहीं है, अपितु आनन्द लेने के लिए है। यह आनन्ददायक स्थिति तभी हासिल हो सकती है जब उसमें मूल्यों एवं संस्कारों की उपस्थिति हो।

हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, आहार-विहार, दृष्टि एवं सोच सभी को समझना चाहिए। बापू ने हरिजन के अंक (1 सितम्बर 1946) में लिखा है, ''आज शुद्ध जल, शुद्ध पृथ्वी और शुद्ध वायु हमारे लिए अपरिचित हो गए हैं। हम आकाश और सूर्य के अपरिमेय मूल्य को नहीं पहचानते। अगर हम पंच तत्वों (पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु) का बुद्धिमता पूर्ण उपयोग करें। सही तथा संतुलित भोजन करें तो हम युगों का काम पूरा कर सकेंगे। इस ज्ञान के अर्जन के लिए न डिग्रियों की आवश्यकता है और न करोड़ों रूपयों की। इसके लिए ईश्वर में जाग्रत विश्वास चाहिए, सेवा करने का उत्साह चाहिए, पंच तत्त्वों से परिचय चाहिए और आहार विज्ञान की जानकारी चाहिए। इन्हें स्कूलों और कॉलेजों में समय बर्बाद किए बिना भी अर्जित किया जा सकता है।'' गाँधीजी के ये विचार कभी असामयिक अथवा असंगत नहीं हो सकते। श्रीमद्भगवद्गीता गाँधीजी का प्रिय ग्रंथ था। वे गीता में संसार का सारा ज्ञान, सारी शिक्षाएँ और जीवन का सच्चा समाधान पाते थे। गीता के छठे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाँच हजार वर्ष पूर्व यही तो कहा था-

युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु।
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।।

अर्थात् दुःखो का नाश करने वाला (जीवन में उमंग व उल्लास भरने वाला) योग तो यथा योग्य आहार-विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। महात्मा गाँधी के जीवन के हर मोड़ पर श्रीमद्भगवद्गीता के उपर्युक्त श्लोक में वर्णित दर्शन का सांगोपांग दर्शन होता है।

इस प्रकार महात्मा गाँधी के शिक्षा के सम्बन्ध में कहे गए विचार आज भी सामयिक एवं उपयोगी है। वे शिक्षा के कारण व्यक्ति में उत्तम मानवीय गुणों की संस्थापना को वास्तविक शिक्षा मानते थे। शिक्षा के साथ सश्रम एकाकार होने तथा स्वच्छता व नागरिक चेतना को वे अनिवार्य मानते थे। यह नागरिकों के विवेक पर निर्भर करता है। स्वच्छता के प्रति लापरवाही अथवा गैर जिम्मेदारी को गाँधीजी प्रकृति के विरुद्ध अपराध की संज्ञा देते थे। वे इसे भगवत जाप से प्राथमिक स्थान देते थे। उन्होंने कहा था, ''कोई व्यक्ति, जो लापरवाही के साथ यहाँ-वहाँ कूड़ा-करकट फेंककर या किसी अन्य रूप में जमीन को गंदा करके वायु को दूषित करता है, वह मनुष्य और प्रकृति दोनों के प्रति पाप करता है। मनुष्य का शरीर भगवान का मंदिर है। जो व्यक्ति इस मन्दिर में प्रवेश करने वाली वायु को दूषित करता है, वह मन्दिर को अपवित्र करता है। वह कितना ही रामनाम जपे, सब बेकार है।'' (हरिजन 7 अप्रैल 1946)

सफाई के लिए जन चेतना और नागरिक विवेक को बापू बहुत आवश्यक बताते हैं। वस्तुतः वर्तमान में चलाया जा रहा अभियान 'एक कदम स्वच्छता की ओर' का मूल यही है। बापू ने कहा था ''सामूहिक स्वच्छता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब सामूहिक विवेक हो और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के प्रति सामूहिक आग्रह हो। कोई नगरपालिका कर लगाकर अथवा संवेतन पर कर्मचारी रखकर नगर की गंदगी और भीड़भाड़ से पार नहीं पा सकती। यह महत्त्वपूर्ण सुधार धनी और निर्धन, सभी लोगों के स्वैच्छिक सहयोग से ही सम्भव है।'' (यंग इण्डिया 26 नवम्बर 1925) इस प्रकार लगभग एक शताब्दी पूर्व महात्मा गाँधी ने जो विचार प्रकट किए थे, वे आज उतने ही बल्कि कहना चाहिए कि उससे भी अधिक सार्थक हो गए हैं।

शिक्षा और स्वच्छता दोनों किसी भी समाज के अभ्युदय के लिए अतिआवश्यक है। हम शिक्षकों को इन कार्यों में सक्रिय रहकर सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। राष्ट्र का विकास नागरिकों के वैयक्तिक योगदान का योग होता है। हम जैसा चाहेंगे, वैसा राष्ट्र बना सकेंगे। राष्ट्र का स्तर उसमें निवास करने वाले नागरिकों के चरित्र एवं भाव पर निर्भर करता है। इसमें उन्हें कमी नहीं छोड़नी चाहिए।

महात्मा गाँधी का जीवन एवं चरित्र हमारे समक्ष जीवन क्षेत्र के विविध पक्षों का वैविध्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जिसके मूल में संस्कार एवं उत्तम आचार-विचार है। गाँधी बाबा ने जो भी कहा, उसे सत्य की कसौटी एवं स्वयं के जीवन में कसकर कहा। उनकी आत्मकथा का नाम ही 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' है। हमें सत्य को ईश्वर मानकर आचरण करना चाहिए। यही गाँधीजी के प्रति हमारा सच्चा सम्मान होगा।

संयुक्त निदेशक-प्रशिक्षण
माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर
मो. 9414060038

रखें गुणात्मकता पर ध्यान

❒ विष्णुदत्त स्वामी

कहते हैं कि ''कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती'' बशर्ते कि यह कोशिश मन से की जावे। मन से किया गया प्रयत्न अब फलदायी होने लगा है। विगत तीन वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा अनेकानेक कार्यों को वृहद रूप में सम्पन्न किया है जो अन्तत्वोगत्वा व्यवस्था सुधार हेतु अत्यावश्यक थे। लिपे-पुते चमकदार भवन हों और उन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम न्यून हो तो एक बारगी हमें हमारी मेहनत पानी में डूबती नजर आती है। विभाग का हर प्रयत्न तथा शिक्षकों का भी हर प्रयत्न परीक्षा परिणाम अभिमुख होना आवश्यक है।

वृहद रूप से विभाग द्वारा किए गए निर्णयों में महत्त्वपूर्ण निर्णय विद्यालय समेकन, स्टाफिंग पैटर्न, समानीकरण, पदोन्नतियाँ, नई भर्तियाँ, संसाधन-संयोजन व स्वरूपण, पंचायत स्तर के प्रधानाचार्य को पी.ई.ई.ओ बनाना, पोर्टल निर्माण तथा एस.आई.क्यू.ई आदि कार्यों ने सभी विद्यालयों को संबल प्रदान किया। इससे राजकीय विद्यालयों की छवि बेहतर बनी। अध्यापक उपलब्धि की प्रतिशतता 49 से 80 प्रतिशत तक हो गई यह शीघ्र ही 90 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है। व्यवस्थाओं में सुधार व अध्यापक उपलब्धता से गिरता नामांकन थमा ही नहीं अपितु अप्रत्याशित रूप से बढ़ भी गया। माना कि प्रत्येक स्तर पर कार्य का बोझ तो है पर क्या हमारे कन्धे बलशाली नहीं जो देश के कर्णधारों के लिए इस वजन को वहन न कर सकें। इन तीन वर्षों को 'पुनर्जागरण काल' के रूप में भी याद किया जाएगा।

अब सभी शिक्षकों के लिए 'लक्षभेददृष्टि' न्याय को अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है जहाँ अर्जुन ने केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखा। अभी का हमारा लक्ष्य केवल परीक्षा परिणाम ही होना चाहिए गुणात्मकता के साथ। 'आषाढ़ का चूका किसान और डाल से चूका बंदर कहीं का नहीं रहता' आशय स्पष्ट सा है इन दिनों पढ़ाई करने और कराने के दिन है। अतः हमारा कर्त्तव्य है कि संसाधनों को बेहतर उपयोग में लाकर समझदारी व कठोर मेहनत से वांछित परिणाम प्राप्त करें। हम सभी चाहते हैं कि हमारा प्रदेश शिक्षा में अग्रणी बने। तो आओ! इस जली मशाल को आगे ले जाकर लक्ष्य तक पहुँचाकर चहुँओर रोशनी फैला दें।

उपनिदेशक (क)
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

आदेश-परिपत्र : अक्टूबर, 2017

1. वर्ष 2018–19 की परिपक्वता सूची के संबंध में।
2. शिक्षा सत्र 2017–18 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के क्रम में ।
3. शिक्षा विभागीय(राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2017
4. पेंशन प्रकरण जाँच भिजवाने बाबत्।
5. प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के कारण आहरण वितरण अधिकार प्रकरणों के लिए समस्त जि.शि.अ. को जारी पूर्व निर्देशों की पालना के साथ नवीन निर्देशों की पालनार्थ परिपत्र।
6. विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा 2017–18 के सम्बन्ध में निर्देश।
7. समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्थाप्रधान एवं स्टाफ सदस्यों के मध्य पारस्परिक विमर्श द्वारा विद्यालय संचालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु जारी निर्देश।
8. सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश प्ररूप–6 की पूर्ति के सम्बन्ध में।
9. समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संरक्षा एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित एवं पर्याप्त प्रबन्ध एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

1. वर्ष 2018–19 की परिपक्वता सूची के संबंध में।

● निदेशालय, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग ●क्रमांक/एफ–() बीमा/जेडी/मूल्यांकन/2017–18/ 474–528 दिनांकः– 1–9–2017 ● वरि.अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग● समस्त सम्भाग/जिला कार्यालय ●विषय : वर्ष 2018–19 की परिपक्वता सूची के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है कि पूर्ववर्ती वर्षों की भाँति इस वर्ष भी राज्य बीमा पॉलिसी के परिपक्वता दावों का निस्तारण विशेष अभियान के तहत किया जाना अपेक्षित है। अधिवार्षिकी आयु के आधार पर दिनांक 01.04.2018 को परिपक्व होने वाले मामलों की सिस्टम एवं मूल्यांकन अनुभाग द्वारा तैयार की गई परिपक्वता सूचियाँ ई–मेल द्वारा दिनांक 14.07.2017 को आपको भिजवायी जा चुकी हैं।

परिपक्वता सूची के प्रकरणों में दिनांक 01.04.2018 के अधिकार पत्र ऑनलाइन निस्तारित किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए सिस्टम अनुभाग एवं मूल्यांकन अनुभाग की सूची को अपडेट करते हुए पूर्व में परिपक्वता, अध्यर्पण, मृत्यु स्वत्व एवं स्थानातंरण के मामलों को कम करते हुए अपडेट सूची तैयार कर माह दिसम्बर, 2018 के समाशोधनगृह (क्लियरिंग हाउस) में हॉर्ड एवं सॉफ्टकॉपी में मुख्यालय को भिजवाते हुए उक्त सभी मामलों में सत्यापन कर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

1. एसआईपीएफ. पोर्टल पर ऑनलाइन परिपक्वता सूची जिला कार्यालय स्वयं Emp- Report- Employee Search- DOB 01-04-1958 to 31-03-1959 द्वारा सर्च कर सकते हैं।
2. सूची के अनुसार पॉलिसियों की पत्रावलियों की उपलब्धता व प्रीमियम खतौनी की जाँच करें।
3. सूची में जिन प्रकरणों को आप द्वारा अन्य जिलों को स्थानान्तरित किया जा चुका है तो संबंधित जिले का नाम व भेजने की दिनांक सूची में ही अंकित कर मूल्यांकन अनुभाग मुख्यालय को दिनांक 15.11.2017 तक प्रेषित करें।
4. सूची के अनुसार प्रकरण यदि पूर्व में मृत्यु, अध्यर्पण या अल्ट्रेशन से निस्तारित हो चुके हैं तो निस्तारण का विवरण सूची में ही अंकित कर मूल्यांकन अनुभाग मुख्यालय जयपुर को दिनांक 15.12.2017 तक प्रेषित करें।
5. सूची के अनुसार जिन मामलों में पत्रावली उपलब्ध है तथा वर्तमान खतौनी भी प्राप्त है, उनमें पूर्ण सत्यापन कर लैजर तैयार करते हुए अधिक जोखिम वहन एवं ऋण आहरण मोड्यूल में भी फ्रीज करें।
6. सूची के अनुसार जिन मामलों में पत्रावली उपलब्ध नहीं है किन्तु खतौनी प्राप्त हो रही है, उनमें संबंधित विभाग से पत्र व्यवहार/सम्पर्क कर बीमेदार का पूर्ण पदस्थापन विवरण प्राप्त करें एवं संबंधित जिलों से खाता स्थानान्तरण की कार्यवाही करें। पत्रावली की उपलब्धता मास्टर इण्डेक्स से ज्ञात कर संबंधित जिले से पत्रावली प्राप्त कर कार्यवाही करें। उक्त विषय में मास्टर इण्डेक्स में दर्शित जिले से अधिकारी व्यक्तिशः दूरभाष पर वार्ता कर पत्रावली की वर्तमान लोकेशन ज्ञात करें।
7. सूची के अनुसार जिन मामलों में पत्रावली आपके कार्यालय में उपलब्ध है किन्तु कटौतियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं उनमें आपके जिले से सम्बद्ध अवधि का सत्यापन तैयार कर बैग में डालें एवं ऐसे मामलों की सूची मुख्यालय को दिनांक 15.11.2017 तक प्रेषित करें।
8. सूची के अनुसार जिन मामलों में पत्रावली एवं वर्तमान खतौनी दोनों आपके जिले में प्राप्त नहीं है, उनमें निम्नानुसार कार्यवाही करें।

I. यह ज्ञात किया जाए कि आपके जिला कार्यालय द्वारा इनमें पूर्व में मृत्यु/अध्यर्पण राशि का भुगतान तो नहीं कर दिया गया है?

II. यदि पत्रावली पूर्व में अन्य जिला कार्यालयों को स्थानान्तरित कर दी गई है तो उनका विवरण सूची में अंकित कर मुख्यालय भिजवायें।

III. यदि I एवं II दोनों की स्थितियाँ नहीं हो तो इस प्रकार की सूची बनाकर जिसमें बीमेदार का नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि/राज्य बीमा पॉलिसी नम्बर व इम्प्लॉई आई. डी. नम्बर का अंकन हो मुख्यालय मूल्यांकन अनुभाग को 15 नवम्बर, 2017 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाए।

9. दिनांक 01.04.2018 को परिपक्व होने वाले प्रकरणों के संबंध में उक्त समस्त कार्यवाही कर बीमेदारों को स्वत्व प्रपत्र प्रेषित करने के

पश्चात् संलग्न प्रारूप में क्रम संख्या-12 तक की सूचना दिनांक 31.12.2017 तक मुख्यालय को प्रेषित करावें।

10. परिपक्व होने वाले मामलों के स्वत्व प्रपत्र प्राप्ति/निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में कॉलम संख्या-18 तक की सूचना अधिकार पत्र जारी करने तक नियमित रूप से मुख्यालय को सॉफ्टकॉपी में भी प्रेषित करें। उक्त कार्यवाही निम्नानुसार पूर्ण करावें:-

a. स्वत्व प्रपत्र प्राप्त करने की कार्यवाही दिनांक 31.01.2018 तक पूर्ण करावें एवं समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को ई-मेल द्वारा सूचित करें।

b. जिन प्रकरणों में स्वत्व प्राप्त हो जाते हैं, उन समस्त प्रकरणों के अधिकार पत्र जारी करने की समस्त कार्यवाही दिनांक 20.03.2018 पूर्ण कर ली जावे।

c. निस्तारित प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में दिनांक 01.02.2018 से प्रति सप्ताह प्रत्येक शुक्रवार को संयुक्त निदेशक (बीमा) मुख्यालय को ई-मेल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. जिन एलोपेथी मेडिकल ऑफिसर्स की परिपक्वता स्वत्व की तिथि 60 वर्ष के अधिवार्षिकी आयु के आधार पर राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 31.03.2016 के द्वारा चिकित्सकों की अधिवार्षिक आयु 62 वर्ष किए जाने के कारण ऐसे प्रकरणों की आगामी परिपक्वता तिथि 01.04.2018 है। उनके भी दावा प्रपत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करें तथा मूल्यांकन तथा ऑनलाइन परिपक्वता सूची में जिन मेडिकल ऑफिसर्स की परिपक्वता सूची 60 वर्ष के आधार पर आ रही है उन्हें 62 वर्ष की आयु में परिवर्तित करते हुए 2020 की परिपक्वता सूची में शामिल करें।

12. सिस्टम अनुभाग के निर्देशानुसार एसआईपीएफ. पोर्टल के माध्यम से राज्य बीमा योजना के दिनांक 01.04.2018 को परिपक्व हो रहे दावों के ऑनलाइन निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है-

सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेवानिवृत्त हो रहे राज्य कर्मचारियों की सूचना प्रत्येक जिला कार्यालय एसआईपीएफ. पोर्टल पर Emp⟶Report⟶Employee Search- के मार्ग से DOB 01-04-1958 to 31-03-1959 द्वारा फीड करते हुए विस्तृत सूची डाउनलोड की जावें। उक्त सूची को एक्सल में सेव कर निम्न प्राथमिक प्रक्रिया अपनाई जाए:-

1. सूची में से जिन राज्य कर्मचारियों के दावे पूर्व में ही मृत्यु/अध्यर्पण/परिपक्वता के कारण निस्तारित हो चुके हैं, उनकी पहचान कर एसआईपीएफ. पोर्टल के एम्प्लॉई मॉड्यूल में एम्प्लॉई स्टेटस को यथोचित रूप से अपडेट किया जाए।
2. जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष हुई है या जन्म तिथि में परिवर्तन हुआ है उन प्रकरणों को यथावश्यक रूप में एसआईपीएफ. पोर्टल पर संशोधित किया जाए।
3. जिन राज्य कर्मचारियों के मास्टर डाटा में राज्य बीमा पॉलिसी का अंकन नहीं हो उन प्रकरणों को सही एम्प्लॉई आई.डी. एवं पॉलिसी के साथ S.I⟶Transaction⟶S.I. Scheme Detail में जाकर टैग किया जाए।
13. एसआईपीएफ. पोर्टल पर एम्प्लॉयी मास्टर में एम्प्लॉई डाटा में बीमेदार की जन्म तिथि, केटेगरी तथा उसके डी.डी.ओ. का मिलान कराएँ। यदि त्रुटिपूर्ण हो तो उसे अल्ट्रेशन में जाकर प्रमाणित रिकॉर्ड के अनुसार सही कर लेवें ताकि क्लेम गणना परिणाम सही प्राप्त हो सके।
14. एसआईपीएफ. पोर्टल पर दिनांक 01.04.2013 के पश्चात् प्राप्त अंतिम ऋणों को ही फीज किया जाना है जो कि S.I -⟶Transaction⟶Last Loan स्क्रीन पर जाकर सबमिट कराएँ जिसमें भुगतान तिथि अंकित की जानी है न कि स्वीकृति तिथि। यदि उक्त अवधि का ऋण पोर्टल के माध्यम से ही वर्कफ्लो के तहत अप्रूव किया गया है तो उसे पुनः सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है।
15. दिनांक 01.04.2018 को परिपक्व हो रही समस्त पॉलिसियों को पुनः एडिट कर सबमिट किया जाना है, इस हेतु S.I⟶Transaction ⟶Edit Contract पर क्लिक करके खुलने वाली विण्डो में समस्त कॉन्ट्रेक्ट का मूल बीमा पत्रावली से पुनः मिलान करें तथा यदि कॉन्ट्रेक्ट में सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार कर सबमिट करें।
16. बीमेदार के अद्यतन फरदर पूर्ण करने (Edit Contract से) के बाद एडिट किए गए प्रकरण की एम्प्लॉई आई.डी. सर्च करें जिससे प्राप्त रिजल्ट में डाउनलोड व अपलोड के बटन दिखेंगे।

a. डाउनलोड बटन पर क्लिक करके बीमेदार की लेजर को एक्सल में डाउनलोड करें। उक्त लैजर 02/2018 तक प्राप्त होगी। एक्सल में दो भिन्न भिन्न रंगों के ऑलीव ग्रीन एवं लाइट ओरेंज सेल्स दिखेंगे। सभी ऑलीव ग्रीन सेल्स एडिटेबल हैं जिसमें आप आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं। समस्त लाइट ओरेंज सेल्स अपरिवर्तनीय हैं जिनमें फरवरी, 2012 के पश्चात् पे-मैनेजर से प्राप्त होने वाली कटौतियाँ सम्मिलित हैं। पे-मैनेजर तथा ई-ग्रास से प्राप्त कटौतियों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

b. एक्सल में प्राप्त लेजर को फरवरी, 2012 तक या कटौतियाँ यदि पे-मैनेजर के माध्यम से नहीं हुई हो तो उन मामलों में फरवरी, 2018 तक विभागीय हार्ड लेजर/बीमा रिकॉर्ड बुक के अनुरूप यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन करें अर्थात् प्रीमियम गेप्स, शॉर्ट प्रीमियम, एक्सेस प्रीमियम व फ्रीज किए गए ऋणों की कटौती का इन्द्राज एक्सल लेजर में करने के पश्चात् अपलोड करें।

17. एसआईपीएफ. पोर्टल पर अब विभागीय स्तर से क्लेम फार्म सबमिट नहीं कराए जाएँ बल्कि क्लेम एप्लीकेशन (परिपक्वता दावा प्रपत्र ⟶ एम्प्लॉई/डी.डी.ओ. के लॉगिन से ही सबमिट/फारवर्ड कराना है। इस हेतु एम्प्लॉई को स्वयं के लॉगिन से Portal Open

करने पर Transaction⟶MISC⟶Quick Apply तथा DDO को MISC⟶Transaction⟶Quick Apply में जाकर क्लेम फार्म सबमिट कराने की सुविधा उपलब्ध है।

18. एसआईपीएफ. पोर्टल पर Quick Apply के मार्ग से प्राप्त एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी एवं वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर विभाग द्वारा एसआईपीएफ. पोर्टल पर प्रकरण को स्वीकार किया जाएगा। Quick Apply से आवेदन किए गए क्लेम फार्म डी.डी.ओ. के स्तर से अप्रूव हो जाते हैं। LDCSI को Last Loan, Edit contract पूर्ण करने के पश्चात SI⟶Transaction⟶Claim में Quick Applied Claim में से Claim को सलेक्ट किया जाना है।

19. LDCSI द्वारा बीमेदार के Previous Unsetteled Loan, Interest on Previous unsetteled Loas Interest, Other Due Interest, Duplicate Policy fees, Loan Received तथा Interest on Excess Loan आदि में यदि कोई बकाया अथवा देय राशि का इफेक्ट डालने की आवश्यकता हो तो वह एन्टर करें। नीचे की ओर उपलब्ध दोनों डिक्लेरेशन के चैक बॉक्स पर टिक करें एवं सबमिट कर देवें।

20 उपर्युक्तानुसार पॉलिसी टेगिंग/कॉन्ट्रेक्ट एडिटिंग/लॉन सबमिशन/ऑटो लेजर अपडेशन/ अधिक प्राप्त/ कम प्राप्त राशियों को यथा स्थान इन्द्राज करने, एप्लीकेशन सबमिशन आदि प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् समस्त कार्यवाही वर्कफ्लो के तहत एलडीसी/यूडीसी द्वारा सबमिट करने के पश्चात् सुपरवाइजर अपनी लॉगिन आई.डी. से लॉगिन करके प्रकरण में जन्म तिथि, केटेगरी (चतुर्थ श्रेणी अथवा अन्य)/डी.डी.ओ./गणना की आदि की जाँच करते हुए क्लेम फॉरवर्ड करें।

21. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक द्वारा जाँच किए गए ऑनलाइन क्लेम को एप्रूव करने के पश्चात् MISC⟶Transaction⟶Generate Ref. No. द्वारा Reference Number Generate करें, तदुपरान्त SI⟶ Report⟶Submitted Claim से Authority का Print प्राप्त कर विभागीय प्रक्रिया एवम् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए।

21. एसआईपीएफ. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निस्तारित दावों की बुकिंग/स्वीकृति/समायोजन पंजिकाएँ भी स्वतः तैयार होती रहेगी, अतः उनकी रिपोर्टिंग भी आपको समय-समय पर जाँच करते रहना है। यदि रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो पूर्ण विवरण सहित सिस्टम अनुभाग मुख्यालय के ध्यान में लाया जाए।

22. उल्लेखनीय है कि एसआईपीएफ. पोर्टल पर बीमेदारों के अधिक समाश्वासनों के इन्द्राज (Edit Contracts) के अनुसार यह पोर्टल ऑटो जनरेट लेजर तैयार कर रहा है तथा दिनांक 01.04.2012 से पे-मैनेजर से ऑनलाइन पारित वेतन बिलों के माध्यम से प्राप्त एस.आई. कटौतियों को एसआईपीएफ. पोर्टल में इम्पोर्ट कराया गया है। अतः उपर्युक्तानुसार लेजर में उपलब्ध कटौतियों की विभागीय लेजर/राज्य बीमा रिकार्ड बुक आदि प्रामाणिक रिकार्ड से पूर्णतः मिलान करने के बाद ही प्रकरण को निस्तारित करावें ताकि गलत भुगतानों से बचा जा सके।

23. परिपक्वता भुगतान बाबत जिला सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी करके जिले की समस्त समाचार पत्र-पत्रिकाओं में निःशुल्क प्रकाशित करने की व्यवस्था भी कराएँ।

अतः मुख्यालय एवं सिस्टम अनुभाग के निर्देशों के अनुरूप उपर्युक्त बिन्दु अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का श्रम करावें।

● संलग्नः- उपर्युक्तानुसार

● **(किशनाराम ईशरवाल)** वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा) मुख्यालय राजस्थान, जयपुर।

2. शिक्षा सत्र 2017-18 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के क्रम में।

● कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/3664/शैक्षिक भ्रमण/सीएम घोषणा/17-18 दिनांक-28/08/2017 ● 1. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा ● विषय : शिक्षा सत्र 2017-18 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण के संबंध में योजना एवं वित्तीय प्रावधान राज्य सरकार के पत्रांक प.1 (17) 9 शिक्षा-1/प्राशि/2010 दिनांक 01.09.2011 के द्वारा स्वीकृत किया गया। इसकी पालना में सत्र 2017-18 के लिए योजना जारी की जा रही है। योजना के अनुसार राजकीय विद्यालयो में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थियों के लिए अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल ऑर्गनाइजर सीओ. स्काउट एवं गाइड (नोडल अधिकारी) को दिया जाता है, कार्यक्रम की क्रियान्विति निम्नानुसार की जानी हैः

क्र. सं.	कार्यक्रम	तिथि/ अवधि
1.	जिशिअ. प्रारं. शिक्षा कार्यालय में संस्थाप्रधान के माध्यम से छात्र-छात्राओं से आवेदन प्राप्त करना।	15.9.17
2.	जिशिअ. प्राशि. द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से वरीयता के आधार पर निर्धारित संख्या में छात्र-छात्राओं का चयन कर संबंधित को सूचित करना।	20.9.17
3.	उपनिदेशक प्राशि. द्वारा अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन करना।	27.9.17 तक
4.	पाँच दिवसीय अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण की अवधि	11.10.17 से 15.10.17 तक

उक्तानुसार कार्यक्रम के अनुसार अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। भ्रमण के समय विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस हेतु पाँच दिवसीय कार्य-योजना बनाकर भ्रमण हेतु प्रस्थान करें तथा अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप., जयपुर के द्वारा छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने में बरती जाने वाली सावधानियों के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश (छात्राप्रति संलग्न) भी प्रसारित किए जाने हैं, जिनमें संलग्न पत्र के अनुसार Standard Safety Measures के बिन्दु लिखे हैं। उक्त दिशा-निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। समय-समय पर इस कार्य की प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए तथा शैक्षिक भ्रमण कार्य की समाप्ति के पश्चात लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या आगामी कार्यदिवस में इस कार्यालय को ई-मेल आई.डी.- shakshikcelledu@gmail.com पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु आवंटित बजट का दिनांक- 31.10.17 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाए तथा यदि आवंटित बजट कम है तो जितना बजट उपलब्ध है उसका व्यय करने के पश्चात शेष राशि हेतु वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक- 15.11.17 तक अतिरिक्त बजट माँग के प्रस्ताव अनिवार्यतः भिजवाएँ।

● संलग्नः- उपर्युक्तानुसार (योजना निर्देश एवं आवेदन पत्र)

● निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

● कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● विषयः प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में योजना।

विद्यार्थियो को शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ राज्य के परिवेश, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थलों की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करवाई जानी भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इस हेतु योजना निम्नानुसार हैः-

1. उद्देश्य :-

1. राज्य के ऐतिहासिक/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहरों से परिचित करवाना।
2. स्थापत्यकला की जानकारी कराना।
3. विद्यार्थियों को प्राकृतिक धरा का आनंद उठाने का अवसर प्रदान करना।
4. विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से ओतप्रोत करना।
5. विद्यार्थियों में पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान की वृद्धि करना।

2. शैक्षिक भ्रमण :-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यता-

1. राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दीपावली अवकाश में राज्य के अन्य जिले में 5 दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जाएगा।

2. योग्यता:-

- राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा कक्षा 6 व 7 में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
- राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद/स्काउट एवं गाइड प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों।

3. विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या:-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण-प्रत्येक जिले के 24 विद्यार्थी (कक्षा 7 के 12 व कक्षा 8 के 12) एवं 02 अध्यापक।

4. मेरिट का निर्धारण :-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रणाली (Objective Pattern) के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा।

अ प्रतिभावान (Scholar) के आधार पर जिले की वरीयता से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के 6+6=12 (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय) का चयन होगा।

ब गतिविधियाँ (Activity) राज्य पुरस्कार/तृतीय सोपान प्राप्त स्काउट एवं गाइड प्रतियोगिताओं में सहभागिता के आधार पर 12 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। कुल 24 विद्यार्थियों का दल होगा। चयन हेतु छात्र-छात्रा द्वारा गत परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर गणना की जाएगी।

5. विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करना एवं चयन प्रक्रिया-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण-जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जिले में संस्थाप्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के द्वारा शैक्षिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियो का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियो को दीपावली अवकाश के समय राज्य के अन्य ज़िलों के लिए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों पर पाँच दिवस के लिए भ्रमण पर भेजा जाएगा।

6. यात्रा व्यय- विद्यार्थियों की यात्रा का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। इस हेतु बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह बजट संबंधित नोडल अधिकारी को आंवटित किया जाएगा जो संबंधित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पालना करते हुए व्यय करेगा। अध्यापक की यात्रा का संपूर्ण व्यय यात्रा भत्ता नियमों के तहत राजकीय मद से देय होगा। यह विद्यार्थियों के व्यय में सम्मिलित नहीं होगा तथा समस्त लेखे विधिवत संधारित करते हुए व्यय विवरण **सहायक लेखाधिकारी योजना एवं लेखाधिकारी बजट प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर** को नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत करेंगे।

7. नोडल अधिकारी-अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल ऑर्गनाइजर स्काडट/गाइड द्वारा भ्रमण की योजना का निर्माण किया जाएगा तथा अपने जिले में आने वाले दल के भ्रमण तथा आवास आदि की व्यवस्था की जाएगी।

8. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में अनुमानित व्यय का विवरण–

(अ) विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय हेतु विवरण प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित व्यय (रुपयों में) किराया– 1500/– भोजन–600 अल्पाहार–300/ आवास–500/ स्टेशनरी–200/– अन्य व्यय–186 कुल प्रति विद्यार्थी 3286/–

(ब) प्रतियोगिताओं में प्रथम से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगी।

प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 350/–

द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 250/–

तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 200/–

9. भ्रमण के दौरान समस्त संभागी विद्यार्थी एवं एस्कोट शिक्षक जिला मुख्यालय पर स्थित स्काउट हैड क्वार्टर पर ठहरेंगे।

10. अध्यापक का चयन–स्काउट/गाइड अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी।

11. संभाग स्तर का शिक्षा उपनिदेशक प्रारम्भिक तथा सहायक राज्य संगठन आयुक्त (ए.एस.ओ.सी.) यात्राओं का अनुमोदन तथा उनके परिक्षेत्र में आने वाले दलों की यात्रा एवं व्यवस्था का परिवीक्षण करेंगे। व्यय का संपूर्ण समायोजन कर अपने कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी से जाँचोपरान्त प्रेषित करेंगे।

एक जिले के दल व भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारण संबंधित संभाग के उपनिदेशक एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

12. भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों की कुछ प्रतियोगिताएँ यथा–**भ्रमण आलेख, क्विज, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ** आदि भी आयोजित की जाएँ तथा प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा।

13. प्रतिवेदन– अन्तर्जिला दर्शन हेतु शैक्षिक एवं साँस्कृतिक यात्रा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी विधिवत यात्रा वृतान्त लिखेंगे, इस हेतु उन्हें एक डायरी एवं एक बॉलपैन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अध्यापक संभागियों में से किसी एक को मुख्य प्रतिवेदक (Chief Reporter) यात्रा के प्रबंधक नोडल अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा जो यात्रा उपरान्त सभी यात्रा सहभागी अध्यापकों/विद्यार्थियों से उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

● निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

शिक्षा सत्र 2017–18 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हेतु छात्र/छात्रा आवेदन पत्र।

फोटो संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित

1. छात्र/छात्रा का नाम.....
2. पिता का नाम .....
3. जन्म तिथि .....
4. कक्षा (जिसमें अध्ययनरत है) .....
5. विद्यालय का नाम .....
6. विद्यालय स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक .....
7. घर/पत्र व्यवहार का पता .....
8. घर का फोन नम्बर ..... मोबाइल नं.....
9. शैक्षिक सत्र 2016–17 में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण–

कक्षा	कुल अंक	प्राप्तांक	उत्तीर्ण %
कक्षा 6 (कक्षा 7 में अध्ययनरत)			
कक्षा 7 (कक्षा 8 में अध्ययनरत)			

10. शैक्षिक सत्र 2016–17 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें):–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राष्ट्र स्तर		
2. राज्य स्तर		

11. शैक्षिक सत्र 2016–17 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राष्ट्र स्तर		
2. राज्य स्तर		

आवेदन पत्र के साथ मेरे द्वारा आवश्यक प्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिए गए हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं। मैं अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु जाना चाहता/चाहती हूँ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक द्वारा सहमति

मैं (नाम).....अपने पुत्र/पुत्री (नाम).....को विभाग द्वारा आयोजित अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण पाँच दिवसीय राजस्थान दर्शन यात्रा पर भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मेरा पुत्र/पुत्री यात्रा हेतु पूर्णतया स्वस्थ है तथा किसी गंभीर रोग से ग्रस्त नहीं हैं।

हस्ताक्षर

नाम अभिभावक

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित

आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यता की जाँच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई हैं। छात्र/छात्रा के अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर संस्थाप्रधान मय मोहर)

Standard safety measures

i. The Head of the Institution should ensure that the tour undertaken is required for the benefit of students and is related to the curriculum of the course in which such students are enrolled.
ii. The Head of the Institution should ensure issuing security i-cards to all such students and maintain a separate data base of the personal details like guardian/local guardian, home address, mobile, email etc. of such students and the same is carried by the Students on his person.
iii. The Head of the Institution should ensure that written permission of one of the parents or the local guardian is submitted on behalf of every such student wanting to participate in an educational tour.
iv. The Head of the Institution should ensure that there is a senior teacher accompanying the students on such an educational tour. Further, a senior lady teacher should accompany if there are girl students Participating in the educational tour.
v. The Head of the Institution should ensure that prior permission of the organisation is obtained in advance such educational tours are undertaken.
vi. If the tours is undertaken to public places, dam, cities, power plants, sea beaches etc., a written communication must be made to the District magistrate of concerned authorities.
vii. If the educational tour has more than 10 participants it is necessary to hire a local tour operator who is well aware of the local conditions and can advise accordingly.
viii. The Head of the Institution should ensure that an undertaking is taken from every participating student that they would abide by all the rules and also that they have submitted the permission by their parents of local guardian before they participate in the educational tour.
ix. The Head of the Institution should also certify in the form of an undertaking that the institute will provide all necessary help in case of emergency or otherwise to all such students who are part of the educational tour.

3. शिक्षा विभागीय(राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2017

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4399(49) (14)/2017 दिनांक 04/09/2017 ● उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक) शिक्षा विभाग बीकानेर/जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/पाली/भरतपुर/चूरू ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) / प्रारंभिक शिक्षा विभाग ● विषयः शिक्षा विभागीय(राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2017

शिक्षा विभाग द्वारा अपने मंत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य कर विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाई है को प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता रहा है, इस क्रम में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2017 का आयोजन दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को विभागीय मुख्यालय बीकानेर में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

विभाग में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किए जाने बाबत उनके चयन के प्रस्ताव अनिवार्यतः निदेशालय को उपलब्ध कराने का दायित्व आपका है।

1. इस योजना में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी ही सम्मिलित होंगे जो अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमों के अन्तर्गत वर्णित पद नाम के हैं तथा संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक कार्यालय अधीक्षक, लिपिक ग्रेड–1, लिपिक ग्रेड–2, वाहन चालक, जमादार, सहायक कर्मचारी एवं समकक्ष, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, आशुलिपिक इत्यादि। कुल 38 कार्मिकों को राज्य स्तरीय मेरिट बनाकर तदनुसार सम्मानित किया जाएगा।
2. जिले में संचालित समस्त विद्यालयों, कार्यालयों एवं विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत सहा. कर्म. संवर्ग/मंत्रालयिक संवर्ग/निजी सहायक संवर्ग/वाहन चालक संवर्ग में न्यूनतम 15 वर्ष की शिक्षा विभागीय सेवाएँ पूर्ण कर चुके उत्कृष्ट कार्य वाले कार्मिकों के प्रस्ताव स्वयं संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तावित किए जाकर गोपनीय स्तर पर तीन प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) को दिनांक 25.10.2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु परिशिष्ट–(1), (क), (ख–I), (ख–II), (ग), (घ) संलग्न है।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त प्राप्त प्रस्तावों में प्रमाण–पत्र मय आवश्यक अनुशंसा सहित प्रस्ताव तीन प्रतियों में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम) स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष गोपनीय रूप से दिनांक 07.11.2017 तक प्रस्तुत करेंगे।

प्रपत्र की पूर्तियाँ संबंधित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्मिक के रिकार्ड, व्यक्तिगत पंजिका, सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन आदि स्रोतों से की जाए। इसके साथ ही सभी सूचनाएँ, प्रशंसा प्रमाण–पत्रों, शैक्षिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा प्रकाशित पुस्तक, लेख साहित्य इत्यादि की पुष्टि के अभिलेख संलग्न किए जाएँ। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित वर्ष का संतोषजनक सेवा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए।

4. कार्मिक से किसी भी प्रकार का प्रपत्र नहीं भरवाया जाए। अनुशंसा नितान्त निष्पक्ष एवं न्यायोचित होनी चाहिए इसमें पूर्णतया गोपनीयता बरती जाए।
5. अब तक राज्य स्तर पर पुरस्कृत समस्त कार्यरत कार्मिकों एवं भविष्य में पुरस्कृत कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में उक्त पुरस्कार का इन्द्राज संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वतः किया जाए। पूर्व वर्षों में पुरस्कृत कार्मिक जो कि वर्तमान में सेवा में हैं, की

सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें। पुरस्कृत कार्मिकों को अपना राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. (I) जिले में संचालित विद्यालयों एवं कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का जिला स्तर पर चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है। यह कमेटी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों पर संलग्न सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का चयन कर मेरिट के आधार पर न्यूनतम 10 प्रस्ताव अनिवार्य रूप से संबंधित उपनिदेशक (माध्य.) को गोपनीय रूप से दिनांकः 16.11.2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगी।

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक-प्रथम) अध्यक्ष
(2) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) सदस्य
(3) प्रशासनिक अधिकारी(जिशिअ.मा./मा.-प्रथम) सदस्य
(4) प्रधानाचार्य, राउमावि. (जिशिअ.मा./मा.-प्रथम द्वारा मनोनीत) सदस्य
(5) अति.जिशिअ (माध्यमिक/माध्यमिक-प्रथम) सदस्य सचिव

6. (II) एसआईईआरटी,(ईटीसेल सहित) उदयपुर, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, शा. शिक्षक महाविद्यालय, शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल तथा उप निदेशक(माध्यमिक/प्रारंभिक) अपने कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के न्यूनतम दो प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में सीधे ही संबंधित उप निदेशक माध्यमिक (नोडल अधिकारी) की अध्यक्षता में गठित समिति को गोपनीय रूप से अनुशंसा सहित दिनांकः 16.11.2017 तक प्रेषित करेंगे। मण्डल स्तर पर अंतिम चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः-

(1) उप निदेशक (माध्यमिक) नोडल अधिकारी
(2) उप निदेशक (प्रारंभिक) सदस्य
(3) जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/माध्यमिक-प्रथम मण्डल मुख्यालय सदस्य
(4) संस्थापन अधिकारी, उप निदेशक-माध्यमिक सदस्य
(5) सहायक निदेशक, उप निदेशक-माध्यमिक सदस्य-सचिव

उपर्युक्त समिति जिला चयन समितियाँ, विशिष्ट संस्थानों एवं उप निदेशक कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का चयन कर मेरिट के आधार पर न्यूनतम 10 (दस) प्रस्ताव दो-दो प्रतियों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को गोपनीय रूप से दिनांक 23.11.2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगी।

6. (III) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुभाग/ग्रुप अधिकारी गोपनीय रूप से कार्मिकों का चयन कर अपनी अनुशंसा सहित निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष दिनांक 16.11.2017 तक दो-दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा में चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1	उप निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	संस्थापन अधिकारी (संस्थापन एबी)	सदस्य
3	सहायक निदेशक (माध्यमिक)	सदस्य
4	लेखाधिकारी (बजट)	सदस्य
5	सहायक निदेशक (प्रशासन)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का मेरिट के आधार पर चयन कर न्यूनतम दस प्रस्ताव दो प्रतियों में निदेशक,माध्यमिक शिक्षा की अनुशंसा सहित राज्य स्तरीय चयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 23.11.2017 को प्रस्तुत करेंगी।

6. (IV) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुभाग/ग्रुप अधिकारी गोपनीय रूप से कार्मिकों का चयन समिति के समक्ष दिनांक 16.11.2017 तक प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।

निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा में चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है

1	उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	अध्यक्ष
2	संस्थापन अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
3	सहायक निदेशक (शैक्षिक), प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
4	लेखाधिकारी (बजट) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
5	सहायक निदेशक,(प्रशासन) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का मेरिट के आधार पर चयन कर न्यूनतम दस प्रस्ताव दो प्रतियों में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा की अनुशंसा सहित राज्य स्तरीय चयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 23.11.2017 तक प्रस्तुत करेंगी।

7- राज्य स्तर पर चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

1	अतिरिक्त निदेशक (RAS) माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा (RAS)	सदस्य
3	वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
6	सहायक निदेशक, (प्रशासन)	सदस्य सचिव

सूक्ष्म अंक योजना कुल 90 अंकों की होगी, अधिकतम 10 अंक राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रकार राज्य स्तरीय मेरिट कुल 100 अंकों की होगी। राज्य स्तरीय चयन समिति अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त एवं निदेशालय (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) स्तर पर गठित कमेटियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं अंकों की जाँच रिकार्ड के आधार पर की जाकर प्रस्तावित अंकों की समीक्षा करने में सक्षम होगी। तत्पश्चात राज्य स्तर पर मेरिट बनाकर कार्मिकों का चयन अन्तिम रूप से अनुमोदन एवं निर्णय हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को 28.11.2017 को प्रस्तुत करेंगी।

8. पंचांग :–

मंत्रालयिक कर्मचारी सम्मान से संबंधित सभी कार्यों के लिए समयबद्ध निष्पादन के लिए निम्नानुसार पंचांग निर्धारित किया जाता हैः

1	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक स्तर पर) प्रकरण अधीनस्थों से प्राप्त कर जिला स्तरीय चयन समिति को अनुशंसा सहित प्रस्ताव मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराना एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध करवाना।	16.11.17
2	उप निदेशक माध्यमिक (नोडल अधिकारी) स्तर पर समिति द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवाना।	23.11.17
3	निदेशालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की राज्य स्तरीय गठित कमेटी को उपलब्ध करवाना।	23.11.17
4	राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा चयन कर प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।	28.11.17
5	चयनिक कार्मिकों की सूची जारी करना।	04.12.17
6	राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन, बीकानेर।	16.12.17

प्रस्ताव में पूर्ण गुणवत्ता व विशेष रुचि के साथ कार्य संपादित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। सम्मान हेतु अनुशंसित किए जाने वाले प्रकरणों में पूर्णतः गोपनीयता बरती जाए। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक को उप निदेशकों (नोडल अधिकारी) द्वारा निदेशालय को भिजवाए जाने वाले प्रस्ताव सीलबंद पैकेट में संबंधित प्रभारी अधिकारी के साथ ही भिजवाएँ। यह ध्यान रहे कि प्रस्तावों के साथ भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र में चयनित कर्मचारियों के नाम अंकित नहीं करें बल्कि उनके प्रस्तावों की मात्र संख्या ही अंकित की जाए।

पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित कार्मिक एवं जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है/प्रस्तावित है उनके प्रस्ताव नहीं भिजवावें।

उक्त प्रस्ताव हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि इस संबंध में विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जाए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को इस योजना का लाभ मिल सके।

पूर्व वर्षों में यह देखने में आया है कि मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मान समारोह हेतु कुछ इकाईयों द्वारा एक भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में उस मण्डलाधीन कार्यरत उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान से वंचित रह जाते हैं अतः समस्त मण्डल अधिकारियों/जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन उत्कृष्ट कार्मिकों के प्रस्ताव व्यक्तिशः रुचि लेकर तैयार कर सक्षम अधिकारी को समय पर प्रस्तुत करें। यदि किसी भी स्थिति में आपके मण्डल द्वारा प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों की सूचना शून्य भिजवाई जाती है तो विपरित परिस्थितियों में उत्तरदायित्व आपका निर्धारित किया जा सकता है।

उक्त पत्र मय संलग्न अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/संस्थानों/विद्यालयों में आपके कार्यालय स्तर पर तत्काल प्रसारित किया जाकर प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही निर्धारित पंचांग के अनुसार संपादन हेतु आपको एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है।

● संलग्न 1. प्रपत्र 2. सूक्ष्म चयन अंक योजना

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.,** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

फोटो

परिशिष्ट–1

राज्य स्तरीय सम्मान हेतु कार्मिक की अनुशंसा करने के लिए प्रपत्र

प्रपत्र का भाग 'क' कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, सेवा पुस्तिका आदि स्रोतों से भरे जाएँ। भाग 'ख–I' और 'ख–II' क्रमशः जिला समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष तथा इस प्रयोग हेतु नियुक्त समिति द्वारा भरे जाएँ। प्रपत्र 'ग' मण्डल स्तर पर नॉडल समिति तथा प्रपत्र 'घ' राज्य स्तरीय समिति द्वारा भरा जाए।

1. नाम :.....
2. वैवाहिक स्थिति व स्त्री/पुरुष :.....
3. पद नाम, स्कूल का पूर्ण पता (पिनकोड सहित) :.....
4. नियुक्ति स्थान का पता (पिनकोड सहित) :.....
5. पूर्ण स्थाई पता (पिन कोड, दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर यदि हो तो) :.....
6. कार्यालय/संस्था का नाम :.....
7. जिला :.....
8. जन्मतिथि :.....
9. प्रथम नियुक्ति तिथि :.....
10. वर्तमान आयु :.....
11. सेवानिवृत्ति तिथि :.....
12. शिक्षा विभाग में कार्मिक द्वारा सेवा शुरू करने की तिथि सहित कुल सेवा — कुल सेवा..... वर्ष.....माह.....

13. सेवा रिकॉर्ड संस्था/कार्यालय का नाम	पद जिस पर कार्य किया/कार्यरत है	सेवा की अवधि दिनांक महीना एवं वर्ष सहित
1	2	3

14. कुल अनुभव प्रकार	अवधि	कुल अनुभव
	.....से.....तक वर्ष	माह दिन
विद्यालय		
कार्यालय		

अन्य		
अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति		
कुल		

नोटः– शिक्षा विभागीय परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्मिक की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कुल अनुभव अवधि में कम किया जाए।

15. शैक्षिक/तकनीकी योग्यता

भाग– 'क'

1. क्या कार्मिक ने कार्यालय/संस्था के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनों का संघटन किया है? यदि हाँ तो विवरण देवें।
2. क्या कर्मचारी ने कार्यालय पद्धति अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया है? संक्षिप्त विवरण देवें।
3. क्या कार्मिक ने किसी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया है, यदि हाँ तो विगत पाँच वर्षों का विवरण देवें।
4. क्या कार्मिक ने कोई लेख, रचना, पुस्तक आदि लिखी है? यदि हाँ तो विवरण देवें।
5. क्या विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्मिक को संस्था/कार्यालय समुदाय या सरकार से कोई मान्यता प्राप्त पुरस्कार या इनाम मिला हैं? यदि हाँ तो विवरण देवें।
6. ऊपर अनुल्लिखित कोई अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि जो कार्मिक को पुरस्कार हेतु पात्रता में सहायक हो।
7. क्या कार्मिक अपने सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखते हैं?
8. संस्था प्रधान द्वारा समग्र मूल्यांकन.....
   .....
9. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समग्र मूल्यांकन.....
   .....

हस्ताक्षर मय मोहर
जिशिअ. (माध्यमिक/प्रारंभिक)
अनुभाग/ग्रुप अधिकारी
निदेशालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)
संस्था प्रधान, विशिष्ट संस्थान

भाग – 'ख–I'

जिला समिति/मण्डल समिति (नॉडल)/मा.शि. एवं प्रा. शि. निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरा जाएगा (मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए)

कुल अंक–90

अंक 10

1	कार्य का मूल्यांकन	उत्कृष्ट 1	बहुत अच्छा 3/4	अच्छा ½	संतोषप्रद 1/4
1	नोटिंग				
2	पत्र लेखन की क्षमता				
3	पंजिकाओं का संधारण				
4	पीयूसी प्रस्तुत करने की स्थिति				
5	लंबित प्रकरणों की स्थिति				
6	दैनंदिनी संधारण				
7	स्मरण डायरी की स्थिति				
8	कार्य निष्पादन की गति				
9	टंकण कार्य की कुशलता /कम्प्यूटर				
10	कार्यालयी कार्य क्षमता				

अंक– 12

2	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा	उत्कृष्ट 1	बहुत अच्छा 3/4	अच्छा 1/2	संतोषप्रद 1/4
1	व्यक्तित्व				
2	व्यवहार				
3	शिष्टाचार				
4	धैर्यता				
5	चारित्रिक गुण				
6	शारीरिक गुण				
7	मानसिक जागरूकता				
8	प्रशासनिक क्षमता				
9	दूरदर्शिता				
10	कार्य निष्पादन क्षमता				
11	जनता/सहकर्मियों से संबंध				
12	मानवीय दृष्टिकोण				

अंक– 06

3	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा	उत्कृष्ट 3	बहुत अच्छा 2	अच्छा 1½	संतोषप्रद ½
1	स्थानीय कार्यालय/संस्था में प्रतिष्ठा				
2	समाज सेवा				

अंक– 10

(प्रतिवर्ष 2 अंक)

4 गत 05 वर्षों के गोपनीय वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की टिप्पणी

	वित्तीय वर्ष	उत्कृष्ट 2	बहुत अच्छा 1½	अच्छा 1	संतोषप्रद ½
1	2012–13				
2	2013–14				
3	2014–15				
4	2015–16				
5	2016–17				

नोट– वा.का.मू. प्रतिवेदन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित वर्ष का संतोषजनक प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए। इस हेतु अंक योजना की गणना प्रतिवर्ष 1/2 अंक के आधार पर देय होगी।

5. अंक-7

	सेवा की पूर्ण अवधि	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 से अधिक
		1 अंक	5 अंक	7 अंक
	कुल सेवा			

6. अंक-10

(राष्ट्रीय-10, राज्य-7, मण्डल-5, जिला-03, स्थानीय स्तर-02)

क्या कर्मचारी ने लेख/रचनाएँ/पुस्तक लिखी हैं?

यदि हाँ तो उनका पूर्ण विवरण देवें।

7. अंक-10

(राष्ट्रीय-10, राज्य-7, मण्डल-5, जिला-03, स्थानीय स्तर-02)

क्या कर्मचारी ने विभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया है अथवा आयोजन में रचनात्मक कार्य/सहयोग दिया है, उल्लेख करें।

8. अंक-02

यदि कर्मचारी विकलांग हैं।

(जिन्हें नियमानुसार विकलांग वाहन भत्ता देय है।)

9. अंक-10

कर्मचारी को संस्था/कार्यालय/समुदाय/समाज /जिला प्रशासन/राज्य सरकार/भारत सरकार से कोई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र मिले हो तो विवरण दें। (सत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जाएँ)	राष्ट्रीय स्तर-10 राज्य स्तर-07 मण्डल स्तर- 05 जिला स्तर-03 स्थानीय स्तर-02

10. अंक-05

अन्य महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का जिसका उल्लेख ऊपर न आया हो

11. अंक-03

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समग्र मूल्यांकन/अनुशंसा

12. अंक-02

शैक्षणिक योग्यता

स्नातकोत्तर स्तर-02

स्नातक स्तर-01

13. अंक-03

तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर इत्यादि)

स्नातकोत्तर स्तर-03

स्नातक स्तर-02

सर्टिफिकेट/कोर्स-1

कुल अंकों का योग-

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) .....

अंकों में शब्दों में अंकित करें। .....

श्री/सुश्री/श्रीमती..... पद .....

पिता/पति का नाम..... जन्मतिथि.....

कार्यालय/विद्यालय.....

के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जाँच/कानूनी कार्यवाही वर्तमान में न तो चल रही है और न ही विचाराधीन है।
2. इनको पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है।
3. कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है।
4. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कुल सेवा में से कम कर दिया गया है।
5. इनके प्रस्ताव के साथ वाँछित प्रलेख संलग्न कर दिए गए हैं, तथा प्रलेखों की जाँच कर ली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्तारक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग- 'ख'-II

जिला समिति/मण्डल समिति (नॉडल)/मा.शि. एवं प्रा. शि. निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरा जाएगा

(च. श्रे.क. व समकक्ष संवर्ग के कर्मचारियों के लिए)

कुल अंक-90

अंक 24

1	**व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा**	**उत्कृष्ट 2**	**बहुत अच्छा 1½**	**अच्छा 1**	**संतोषप्रद ½**
1	व्यक्तित्व				
2	व्यवहार				
3	शिष्टाचार				
4	धैर्यता				
5	चारित्रिक गुण				
6	शारीरिक क्षमता				
7	मानसिक जागरूकता				
8	प्रशासनिक क्षमता				
9	दूरदर्शिता				
10	कार्य निष्पादन क्षमता				
11	जनता/सहकर्मियों से संबंध				
12	मानवीय दृष्टिकोण				

अंक- 10

2	**व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा**	**उत्कृष्ट 5**	**बहुत अच्छा 3**	**अच्छा 2**	**संतोषप्रद 1**
1	स्थानीय कार्यालय/संस्था में प्रतिष्ठा				
2	समाज सेवा				

अंक-3

3	**सेवा की पूर्ण अवधि**	**15 से 20 वर्ष**	**20 से 25 वर्ष**	**25 से अधिक**
		1 अंक	**2 अंक**	**3 अंक**
	कुल सेवा	15 वर्ष तक लगातार माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में सेवा पर 2 अंक अतिरिक्त देय होगा।		

4 अंक–10

(राष्ट्रीय–10, राज्य–7, मण्डल–5, जिला–03, स्थानीय स्तर–02)

क्या कर्मचारी ने लेख/रचनाएँ/पुस्तक लिखी हैं? यदि हाँ तो उनका पूर्ण विवरण देवें।

5. अंक–10

(राष्ट्रीय–10, राज्य–7, मण्डल–5, जिला–03, स्थानीय स्तर–02)

क्या कर्मचारी ने विभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया है अथवा आयोजन में रचनात्मक कार्य/सहयोग दिया है? उल्लेख करें।

6. अंक–05

यदि कर्मचारी विकलाँग है।
(जिन्हें नियमानुसार विकलांग वाहन भत्ता देय है।)

7. अंक–10

कर्मचारी को संस्था/कार्यालय/समुदाय/समाज/ जिला प्रशासन/राज्य सरकार/भारत सरकार से कोई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र मिले हो तो विवरण दें। (सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाएँ।)	राष्ट्रीय स्तर–10
	राज्य स्तर–07
	मण्डल स्तर–05
	जिला स्तर–03
	स्थानीय स्तर–02

8. अंक–05

अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का जिसका उल्लेख उपर्युक्त में न आया हो

9. अंक–08

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समग्र मूल्यांकन/अनुशंसा

10. अंक–02

शैक्षणिक योग्यता
स्नातकोत्तर स्तर–02
स्नातक स्तर–01

11. अंक–03

तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर इत्यादि)
स्नातकोत्तर स्तर–03
स्नातक स्तर– 02
सर्टिफिकेट/कोर्स–1

कुल अंकों का योग– (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
अंकों में शब्दों में अंकित करें।

श्री/सुश्री/श्रीमती..... पद .....
पिता/पति का नाम..... जन्मतिथि.....
कार्यालय/विद्यालय.....
के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जाँच/कानूनी कार्यवाही वर्तमान में न तो चल रही है और न ही विचाराधीन है।
2. इनको पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है।
3. कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है।
4. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कुल सेवा में से कम कर दिया गया है।
5. इनके प्रस्ताव के साथ वाँछित प्रलेख संलग्न कर दिए गए हैं तथा प्रलेखों की जाँच कर ली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्तारक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग – 'ग'

मण्डल (नॉडल) स्तर पर गठित समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्तारक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग – 'घ'

राज्य स्तर पर गठित समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्तारक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

4. पेंशन प्रकरण जाँच भिजवाने बाबत्।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34842/2013 दिनांकः 6.9.2017 ● समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक ● विषयः पेंशन प्रकरण जाँच भिजवाने बाबत। ● प्रसंगः अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग, बीकानेर के पत्रांकः अनिपि/बीका/पी. आर–3/2017–18 दिनांक 28.08.2017 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालयों से आने वाले पेंशन प्रकरणों में नीचे उल्लेखित बिन्दुओं से सम्बन्धित पूर्ण जाँच/समीक्षा उपरान्त ही पेंशन प्रकरण भिजवाएँः–

1. पेंशन नियम–1996 के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों/कुलक में ही भिजवाएँ। अभी तक कई कार्यालयों द्वारा 1996 से पूर्व प्रचलित प्रपत्रों/कुलक में प्रकरण भिजवाए जा रहे हैं, जो 21 वर्ष पूर्व बन्द हो चुके हैं। सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र/कुलक तैयार कर भिजवाए जाएँ।
2. पेंशन कुलक के साथ कार्मिक का नाम–परिवार सूची अंग्रेजी में कैपिटल लैटर (CAPTIATL LETTER) में भरकर संलग्न की जाए। (प्रारूप संलग्न है।)
3. पेंशन नियम 81 (1)(बी) (V) के अनुसार वरिष्ठतम लेखाकर्मी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र पूर्ण जाँच पश्चात् दिया जाए व उसमें अन्तिम वेतन राशि अंकित की जाए।
4. कुलक के साथ प्रारूप 6–अ में सेवानिवृत्ति आदेश संलग्न किया

जाए। (सुविधा हेतु प्रपत्र 6 A संलग्न है।)

5. जिन अध्यापकों की नियुक्ति विकास अधिकारी द्वारा अस्थाई/तदर्थ (Adhoc) रूप में की गई, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.917 () पराप्राशि/2011/967 दिनांक 17.10.2016 के अनुसार कार्यवाही करें। साथ ही राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.16 (2) एफ.डी. (रूल्स)/98 दिनांक 29.06.09 की पालना की जाए।
6. वाहन/भवन ऋण प्राप्त करने की स्थिति में सेवा-पुस्तिका में वाहन/भवन ऋण अदेय प्रमाण-पत्र की प्रवष्टि करें व पेंशन कुलक के प्रपत्र-28 में भी प्रविष्टि करें।
7. पेंशन नियम-1996 के नियम-83 परिशिष्ट-8 (22) के अनुसार पेंशन प्रकरण यथा सम्भव 6 माह पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु की दशा में परिवार के सभी पात्र सदस्यों के प्रपत्र-12 व 14 'क' तीन प्रतियों में संलग्न करें।
9. यदि कोई कार्मिक सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रतिनियुक्ति पर रहा हो तो पेंशन अंशदान की राशि निदेशक, पेंशन विभाग को भिजवाई जाए व अंशदान भिजवाने की प्रविष्टि सेवा-पुस्तिका में कराई जाए। यदि वैदेशिक सेवा का सत्यापन पेंशन निदेशालय द्वारा नहीं करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रपत्र सी-4 में अंशदान जमा की सूचना पेंशन निदेशालय को भिजवाकर प्रति पेंशन कुलक के साथ संलग्न की जाए।
10. असाधारण अवैतनिक अवकाश की अवधि पेंशन कुलक के प्रपत्र-7 के क्रम संख्या-16 (।।) में दर्शाते हुए पेंशन योग्य सेवा से कम करें।
11. प्रकरण के साथ अदेयता प्रमाण-पत्र व अन्तिम एल.पी.सी. संलग्न की जाए।

●लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

5. प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के कारण आहरण वितरण अधिकार प्रकरणों के लिए समस्त जि.शि.अ. को जारी पूर्व निर्देशों की पालना के साथ नवीन निर्देशों की पालनार्थ परिपत्र।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ●क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/17-18 दिनांक 07-09-2017 ●परिपत्र ।

प्रायः जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों में प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के कारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट-प्रथम के नियम-3 के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकार हेतु प्रस्ताव समय-समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों की जाँच में यह पाया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में अपूर्ण सूचना पूर्ति के पश्चात प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आहरण एवं वितरण अधिकार आवंटित करने में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा सम्बन्धित अधिकारियों व कार्मिकों को वेतन भुगतान में विलम्ब होता है। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप व दिशा-निर्देश पूर्व में भी जारी किए जा चुके हैं। आहरण एवं वितरण अधिकार प्रकरणों को प्रस्तुत करते समय समस्त जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व में जारी निर्देशों की पालना के साथ-साथ निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करने के पश्चात् ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें। निर्देशों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, अधीनस्थ शालाओं के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक रिक्त पद होने की स्थिति में आहरण-वितरण हेतु राजपत्रित शिक्षा अधिकारी का नाम सम्बन्धित शाला का ही प्रस्तुत करें। सम्बन्धित शाला में राजपत्रित शिक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निकटतम शाला के राजपत्रित अधिकारी का नाम ही प्रस्ताव में प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित राजपत्रित शिक्षा अधिकारी का पदस्थापन/शाला अधिकतम 15 किलोमीटर से अधिक दूरी का नहीं होना चाहिए।
3. आहरण एवं वितरण अधिकार हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त कॉलमों की स्पष्ट अक्षरों में पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
4. आहरण-वितरण अधिकार हेतु निर्धारित प्रारूप पर जिला शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी-प्रथम व द्वितीय के स्पष्ट हस्ताक्षर मय दिनांक व सील अंकित होना अनिवार्य है।
5. आहरण वितरण अधिकार हेतु प्रस्तावित नाम के अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, गम्भीर ऑडिट आक्षेप, न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं होनी चाहिए।
6. आहरण-वितरण अधिकारी हेतु प्रस्तावित नाम सम्बन्धित शाला/अन्य शाला के वरिष्ठतम अधिकारी के नाम से ही प्रस्तुत किया जाए। वरिष्ठता का आधार राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति तिथि से माना जाए।
7. आहरण-वितरण अधिकारी के प्रस्ताव ई-मेल caosecedu@gmal.com पर वर्ड की फाइल में व हस्ताक्षरित पी.डी.एफ. दस्तावेज में भेजा जाए। व्यक्तिगत व अन्य ई-मेल पर भेजे गए प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।
8. आहरण-वितरण के प्रस्ताव 05 से अधिक होने की स्थिति में समस्त प्रस्ताव वर्ड की फाइल में Kruti Dev 010 फोन्ट में भेजा जाना अनिवार्य है।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी के प्रस्ताव वाहक स्तर पर नहीं भिजवाए जाएँ।
10. आहरण एवं वितरण अधिकार सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई यात्रा के सम्बन्ध में कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. जिला शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ शालाओं के प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्यालय में पंजिका संधारित करेंगे तथा प्राप्त प्रकरणों

के सम्बन्ध में विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें।

12. आहरण-वितरण अधिकार सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों की गहन जाँच के पश्चात् ही प्रकरण निदेशालय में प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

● वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

6. विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा 2017-18 के सम्बन्ध में निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/माध्य./मा/स/22461/2017-18 दिनांकः 08.09.2017 ● (1) समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग (2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम ● विषयः विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा 2017-18 के सम्बन्ध में निर्देश।

विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा के संबंध में योजना एवं वित्तीय प्रावधान राज्य सरकार के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-1/2011/दिनांक 22.1.2011 के द्वारा स्वीकृत किया गया। इसकी पालना में सत्र 2017-18 के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं। योजनानुसार राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए अन्तर जिला एवं कक्षा 11 व 12 के लिए अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अन्तर जिला और अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण की जो राशि स्वीकृत हुई है उसे अलग से जारी किया जा रहा है।

अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक-प्रथम) को नोडल अधिकारी बनाया जाता है। अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण हेतु उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को नोडल अधिकारी बनाया जाता है। ये नोडल अधिकारी निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार क्रमशः अन्तर जिला और अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण की क्रियान्विति करेंगे।

अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण प्रस्तावित तिथियाँ (कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए)

क्र. सं.	कार्यक्रम	तिथि/ अवधि
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा संस्थाप्रधान के माध्यम से जिशिअ. (मा.) प्रथम को आवेदन प्रस्तुत करना।	18.9.17
2.	जिशिअ.(मा.) प्रथम द्वारा वरीयता से छात्र/छात्राओं का चयन कर संबंधित को सूचना करना।	29.10.17
3.	पाँच दिवसीय अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण की अवधि	8.10.17 से 23.10.17 के मध्य

अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण प्रस्तावित तिथियाँ (कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए)

1.	छात्र/छात्राओं द्वारा संस्था प्रधान के माध्यम से जिशिअ. (मा.) प्रथम को आवेदन प्रस्तुत करना।	18.9.17
2.	जिशिअ.(मा.) प्रथम द्वारा वरीयता से छात्र/छात्राओं का चयन कर परिक्षेत्र के उपनिदेशक (मा.) को नाम व आवेदन भेजना	22.9.17
3.	परिक्षेत्र के उपनिदेशक (मा.) द्वारा जिलों से प्राप्त छात्र/ छात्राओं के नाम व दल प्रभारी के रूप में एक शिक्षक का नाम नोडल अधिकारी को प्रेषित करना।	29.9.17
4.	नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय से शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त करना।	3.10.17
5.	दस दिवसीय अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण की अवधि	8.10.17 से 17.10.17

योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। शैक्षिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा व उचित देखभाल को ध्यान में रखते हुए यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 28.7.14 के पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए लेख है कि उक्त पत्र में वर्णित मानक सुरक्षा मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।

● संलग्न- उपर्युक्तानुसार

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.,** निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भारत/राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में योजना।

विद्यार्थियो को शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ राज्य एवं देश के परिवेश, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थलों की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करवाई जानी भी आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हो सकते है, इस हेतु योजना निम्नानुसार हैः-

1. उद्देश्य :-

1. देश/राज्य के ऐतिहासिक/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहरों से परिचित कराना।
2. स्थापत्य कला की जानकारी कराना।
3. विद्यार्थियों को प्राकृतिक धरा का आनंद उठाने का अवसर प्रदान करना।
4. विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से जोड़ना।
5. विद्यार्थियों के लिए पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान की वृद्धि करना।

2. शैक्षिक भ्रमण :-

(अ) अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यताः-

1. राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर राज्य के अन्य जिले में पाँच दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जाएगा।
2. योग्यताः–

- राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा (कक्षा 8 एवं 9) में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
- राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों।

(ब) अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यताः–

1. राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर अन्य राज्य में 10 दिवसीय भारत दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जाएगा।
2. योग्यता

- राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा (कक्षा 10 एवं 11) में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
- राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों।

3. विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्याः–

अ. अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमणः–प्रत्येक जिले के 20 विद्यार्थी (कक्षा 9 के 10 एवं कक्षा 10 के 10) एवं 02 अध्यापक।

ब. अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमणः– अधिकतम 66 विद्यार्थी (प्रत्येक जिले से कक्षा 11 का 01 एवं कक्षा 12 का 01 विद्यार्थी) एवं 07 अध्यापक (प्रत्येक मण्डल से 01)

4. मेरिट का निर्धारण :–

अन्तर जिला/अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रणाली (Objective Pattern) के आधार पर किया जाएगा। छात्र/छात्रा द्वारा गत वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत को 80 प्रतिशत श्रेयांस Weightage दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलकूद/सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतियोगिताओं में सहभागिता (Participation) के लिए खेलकूद के 15 अंक (राष्ट्रीय स्तर 15, राज्य स्तर 10) सांस्कृतिक/साहित्यिक के 05 अंक (राष्ट्रीय स्तर 05, राज्य स्तर 03 अंक) दिए जाएँगे।

5. विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करना एवं चयन प्रक्रिया–

(अ)अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमणः–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम) द्वारा जिले में संस्थाप्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के द्वारा शैक्षिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियो को निर्धारित समय पर राज्य के अन्य ज़िलों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों पर पाँच दिवस के लिए भ्रमण पर भेजा जाएगा।

(ब) अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमणः– राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा अपने संस्थाप्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को आवेदन किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के द्वारा कक्षा 11 का 01 एवं कक्षा 12 का 01 विद्यार्थी का चयन किया जाएगा तथा चयनित विद्यार्थियों के नाम एवं आवेदन पत्र की प्रति मय पूर्ण विवरण अपने परिक्षेत्र के उप निदेशक (मा.) को भेजेंगे। उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा जिलों से प्राप्त चयनित छात्र/छात्राओं के नाम, आवेदन पत्र की प्रति मय पूर्ण विवरण सहित एवं प्रभारी के रूप में 01 अध्यापक का नाम **उप निदेशक (मा.) बीकानेर** (नोडल अधिकारी) को भेजेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा समस्त जिलों से प्राप्त चयनित विद्यार्थियों को अन्य राज्यों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों पर विभाग द्वारा निर्धारित समय पर 10 दिवसीय यात्रा पर भेजा जाएगा। यात्रा दल के साथ एक संस्थाप्रधान (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय) को दल प्रभारी के रूप में नोडल अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा। नोडल अधिकारी समस्त कार्यक्रम तैयार कर पूर्ण अनुमति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त करेंगे।

6. यात्रा व्यय– विद्यार्थियों की यात्रा का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। इस हेतु बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह बजट संबंधित नोडल अधिकारी को आंवटित किया जाएगा जो संबंधित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पालना करते हुए व्यय करेगा। अध्यापक की यात्रा का संपूर्ण व्यय यात्रा भत्ता नियमों के तहत राजकीय मद से देय होगा। यह विद्यार्थियो के व्यय में सम्मिलित नहीं होगा तथा समस्त लेखे विधिवत संधारित करते हुए व्यय विवरण उप निदेशक (योजना) एवं लेखाधिकारी (बजट) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत करेंगे।

7. नोडल अधिकारी–अन्तरजिला शैक्षिक भ्रमण–

अ. अन्तरजिला शैक्षिक भ्रमणः जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)

ब. अन्तरराज्य शैक्षिक भ्रमणः उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, बीकानेर

8. प्रतिवेदन– अन्तरजिला एवं अन्तरराज्य दर्शन हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी एवं अध्यापक विधिवत यात्रा वृतान्त लिखेंगे, इस हेतु उन्हें एक डायरी एवं एक बॉलपैन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अध्यापक संभागियों में से किसी एक को मुख्य प्रतिवेदक यात्रा के प्रबंधक नोडल अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा जो यात्रा उपरान्त सभी यात्रा सहभागी अध्यापकों/विद्यार्थियों से उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

- **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.,** निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

आवेदन पत्र

राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हेतु
छात्र/छात्रा हेतु आवेदन
(अन्तर जिला)

फोटो प्रमाणित

1. छात्र/छात्रा का नाम.....
2. पिता का नाम .....
3. जन्म तिथि .....
4. कक्षा (जिसमें अध्ययनरत है) .....
5. विद्यालय का नाम .....
6. विद्यालय स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक .....
7. घर/पत्र व्यवहार का पता .....
8. घर का फोन नम्बर ..... मोबाइल नं.....
9. शैक्षिक सत्र 2016–17 में उत्तीर्ण परीक्षा का वर्णन–

कक्षा	कुल अंक	प्राप्तांक	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा 8 (कक्षा 9 में अध्ययनरत)			
कक्षा 9 (कक्षा 10 में अध्ययनरत)			

10. शैक्षिक सत्र 2016–17 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद गतिविधि में सम्भागित्व

(प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राज्य स्तर		
2. राष्ट्र स्तर		

11. शैक्षिक सत्र 2016–17 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राज्य स्तर		
2. राष्ट्र स्तर		

आवेदन पत्र के साथ मेरे द्वारा आवश्यक प्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिए गए हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं। मैं अन्तरजिला शैक्षिक भ्रमण हेतु जाना चाहता/चाहती हूँ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक द्वारा सहमति

मैं (नाम).....अपने पुत्र/पुत्री (नाम)..... को विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण पाँच दिवसीय राजस्थान दर्शन यात्रा पर भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर
(नाम अभिभावक)

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित

आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यता की जाँच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। छात्र/छात्रा के अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुशंसा की जाती हैं।

(हस्ताक्षर संस्थाप्रधान मय मोहर)

आवेदन पत्र

भारत दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हेतु
छात्र/छात्रा हेतु आवेदन
(अन्तर राज्य)

फोटो प्रमाणित

1. छात्र/छात्रा का नाम.....
2. पिता का नाम .....
3. जन्म तिथि .....
4. कक्षा (जिसमें अध्ययनरत है) .....
5. विद्यालय का नाम .....
6. विद्यालय स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक .....
7. घर/पत्र व्यवहार का पता .....
8. घर का फोन नम्बर ..... मोबाइल नं.....
9. शैक्षिक सत्र 2016–17 में उत्तीर्ण परीक्षा का वर्णन–

कक्षा	कुल अंक	प्राप्तांक	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा 10 (कक्षा 11 में अध्ययनरत)			
कक्षा 11 (कक्षा 12 में अध्ययनरत)			

10. शैक्षिक सत्र 2016–17 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद गतिविधि में सम्भागित्व

(प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राज्य स्तर		
2. राष्ट्र स्तर		

11. शैक्षिक सत्र 2016–17 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राज्य स्तर		
2. राष्ट्र स्तर		

आवेदन पत्र के साथ मेरे द्वारा आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिए गए हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं। मैं अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण हेतु जाना चाहता/चाहती हूँ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक द्वारा सहमति

मैं (नाम).....अपने पुत्र/पुत्री (नाम)..... को विभाग द्वारा आयोजित अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण दस दिवसीय यात्रा पर भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर

(नाम अभिभावक)

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित

आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यता की जाँच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। छात्र/छात्रा के अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुशंसा की जाती हैं।

(हस्ताक्षर संस्थाप्रधान मय मोहर)

Standard safety measures

i. The Head of the Institution should ensure that the tour undertaken is required for the benefit of students and is related to the curriculum of the course in which such students are enrolled.
ii. The Head of the Institution should ensure issuing security i-cards to all such students and maintain a separate data base of the personal details like guardian/local guardian, home address, mobile, email etc. of such students and the same is carried by the Students on his person.
iii. The Head of the Institution should ensure that written permission of one of the parents or the local guardian is submitted on behalf of every such student wanting to participate in an educational tour.
iv. The Head of the Institution should ensure that there is a senior teacher accompanying the students on such an educational tour. Further, a senior lady teacher should accompany if there are girl students Participating in the educational tour.
v. The Head of the Institution should ensure that prior permission of the organisation is obtained in advance such educational tours are undertaken.
vi. If the tours is undertaken to public places, dam, cities, power plants, sea beaches etc., a written communication must be made to the District magistrate of concerned authorities.
vii. If the educational tour has more than 10 participants it is necessary to hire a local tour operator who is well aware of the local conditions and can advise accordingly.
viii. The Head of the Institution should ensure that an undertaking is taken from every participating student that they would abide by all the rules and also that they have submitted the permission by their parents of local guardian before they participate in the educational tour.
ix. The Head of the Institution should also certify in the form of an undertaking that the institute will provide all necessary help in case of emergency or otherwise to all such students who are part of the educational tour.

7. समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्थाप्रधान एवं स्टाफ सदस्यों के मध्य पारस्परिक विमर्श द्वारा विद्यालय संचालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु जारी निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र ।

शिविरा पंचांग में शैक्षिक सत्र समाप्ति पर समस्त संस्थाप्रधानों के लिए स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करने एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार-विमर्श उपरान्त तैयार योजना की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने बाबत् स्थाई निर्देश प्रदत्त हैं। संस्थाप्रधान द्वारा स्टाफ सदस्यों के साथ समुचित समन्वय तथा बेहतर तालमेल से न केवल विद्यालय संचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है, अपितु विद्यालय एवं विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त साजो-सामान, भौतिक सुविधाएँ एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकती है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थाप्रधान एवं विद्यालय स्टाफ के मध्य निरन्तर संवाद एवं सतत सामंजस्य आवश्यक है। एतदर्थ समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्थाप्रधान एवं स्टाफ सदस्यों के मध्य पारस्परिक विमर्श द्वारा विद्यालय संचालन की प्रवृति को बढ़ावा देने हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को आवश्यक रूप से स्टाफ मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। उक्त क्रम में प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस का निर्धारण स्टाफ मीटिंग के आयोजन हेतु किया जाता है। इस हेतु माह के अन्तिम कार्य दिवस को प्रत्येक शिक्षण कालांश में से पाँच-पाँच मिनट की समयावधि कम करते हुए उक्तानुसार समायोजित 40 मिनट की समयावधि में आठवें कालांश उपरान्त यह बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय की शैक्षिक-सहशैक्षिक गतिविधियों/क्रियाकलापों एवं विद्यालय के भौतिक-शैक्षिक विकास सम्बन्धी योजनाओं/कार्यक्रमों पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त ठोस एवं सार्थक कार्ययोजना निर्मित की जाएगी। आठवें कालांश पश्चात् समस्त विद्यार्थियों को विद्यालय से प्रस्थान हेतु मुक्त कर दिया जाएगा।
2. स्टाफ मीटिंग के सतत, सार्थक एवं परिणामोन्मुख आयोजन हेतु संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय स्टाफ में से ऐसे सदस्य को उक्त स्टाफ मीटिंग हेतु प्रभारी नामित किया जाएगा, जो स्टाफ सदस्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग एवं सहकार की प्रवृत्ति जागृत कर सके। उक्त प्रभारी द्वारा प्रत्येक माह स्टाफ बैठक का समुचित रिकार्ड संधारित किया जाएगा, जिसमें स्टाफ बैठक हेतु एक कार्यवाही रजिस्टर का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। प्रभारी द्वारा प्रत्येक माह बैठक आयोजन से पूर्व संस्थाप्रधान के साथ विमर्श कर बैठक हेतु ज्वलंत एवं समसामयिक एजेण्डा बिन्दु तैयार किए जाएँगे। प्रत्येक

स्टाफ बैठक की अध्यक्षता संस्थाप्रधान द्वारा की जाएगी तथा संस्था प्रधान के अवकाश पर होने की अवस्था में वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। बैठक के दौरान उपस्थित स्टाफ सदस्यों का उपस्थिति विवरण रजिस्टर में हस्ताक्षर सहित दर्ज किया जाएगा तथा बैठक में हुए विचार विमर्श, प्रस्तुत प्रस्तावों, पारित प्रस्तावों तथा निर्णयों का स्पष्ट तथा विस्तृत उल्लेख कार्यवाही विवरण में किया जाएगा। स्टाफ मीटिंग प्रभारी द्वारा बैठक समापन के उपरान्त आगामी कार्य दिवस को कार्यवाही विवरण का अनुमोदन संस्थाप्रधान से आवश्यक रूप से करवाया जाएगा।

3. आगामी माह की स्टाफ मीटिंग विगत स्टाफ मीटिंग में लिए गए निर्णयों एवं प्रस्तावों की क्रियान्विति/पालना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श से प्रारम्भ होगी तथा पूर्व प्रस्तावित तथा निर्णीत निर्णयों/प्रस्तावों की प्रगति समीक्षा की जाएगी। बैठक में पारस्परिक विमर्श द्वारा निर्णयों /प्रस्तावों की अपेक्षित पालना हेतु करणीय कार्यवाही एवं क्रियान्विति की सुनिश्चितता हेतु कार्ययोजना निर्मित की जाएगी।

4. मासिक स्टाफ मीटिंग हेतु स्थाई महत्त्व के एजेण्डा बिन्दु अग्रांकित विवरणानुसार हैंः-

- विद्यालय विकास योजना में प्रदत्त वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित मासिक लक्ष्यों की प्रगति समीक्षा एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य योजना।
- SMC/SDMC की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति में पारित प्रस्तावों/निर्णयों की क्रियान्विति/पालना हेतु अपेक्षित कार्यवाही।
- विद्यालय में आगामी माह आयोज्य उत्सवों, समारोहों एवं विभिन्न आयोजनों (प्रवेशोत्सव, वार्षिक उत्सव, सखा संगम, खेलकूद प्रतियोगिता इत्यादि) की पूर्व तैयारी हेतु विमर्श।
- गत माह के भौतिक एवं शैक्षिक लक्ष्यों की लब्धि की समीक्षा।
- आगामी माह हेतु भौतिक एवं शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण पर चर्चा।
- परख/परीक्षा/यूनिट टैस्ट के परिणामों की समीक्षा एवं परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु कार्ययोजना का निर्माण।
- पाठ्यक्रम के मासिक लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा तथा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर एवं अवबोधन क्षमता संवर्धन हेतु अपनाए जाने वाले नवाचारों/उपागमों पर चर्चा।
- सह-शैक्षिक गतिविधियों के विद्यालय में संचालन की समीक्षा।

5. पूर्व निर्धारित मासिक बैठक के अलावा विद्यालय हेतु तात्कालिक महत्त्व के किसी मुद्दे अथवा विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों से सम्बन्धित किसी आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण विषय पर निर्णय संस्थाप्रधान द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्तानुरूप स्टाफ बैठक में विस्तृत विमर्श एवं चिंतन उपरान्त किया जाना अपेक्षित है। उक्तानुसार इस प्रकार की आपात बैठक का आयोजन सुविधानुसार मध्यान्तर अवकाश हेतु निर्धारित 25 मिनट की समयावधि में या विद्यालय समय पश्चात् अथवा नियमित स्टाफ बैठक हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रत्येक शिक्षण कालांश में से 5-5 मिनट का समय कम करते हुए आठवें कालांश के पश्चात् भी की जा सकती है। उक्तानुसार आयोजित आकस्मिक स्टाफ मीटिंग का कार्यवाही विवरण भी नियमित स्टाफ मीटिंग हेतु निर्धारित रजिस्टर में ही दर्ज किया जाएगा।

6. समस्त विभागीय पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विद्यालय परिवीक्षण के दौरान विद्यालय में स्टाफ मीटिंग के नियमित आयोजन के परीक्षण हेतु स्टाफ मीटिंग रजिस्टर का अवलोकन आवश्यक रूप से किया जाएगा तथा स्टाफ मीटिंग आयोजन के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की टिप्पणी निरीक्षण प्रतिवेदन में आवश्यक रूप से की जाएगी।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.,** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

8. सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश प्ररूप-6 की पूर्ति के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34925/पी-2/2012 दिनांकः 13.9.17 ● परिपत्र ● विषयः सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश प्ररूप-6 की पूर्ति के सम्बन्ध में।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 18.07.17 द्वारा प्रतिस्थापित राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम-78 के नीचे दिए गए सेवानिवृत्ति के आदेश का प्ररूप-6 का वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.15 द्वारा संशोधित किया जाकर प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त प्ररूप-6 के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति के आदेश प्ररूप में निम्न प्रमाण-पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिए जाने होते हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....जो
(पदनाम)..... के रूप में
(सेवा)..... में
कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री/श्रीमती/कुमारी.....के विरुद्ध आज तकः-

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको को पेंशन/पेंशन परिलाभों का समय पर भुगतान कराए जाने के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम-78 के नीचे दिए गए सेवानिवृत्ति के आदेश का प्ररूप-6 की पूर्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में आ रही विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखते हुए निम्न दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन जारी किए जाते हैं:-

(1) उक्त प्ररूप-6 के बिन्दू 2 (1,2) की पूर्ति के सम्बन्ध में कार्मिक की सेवापुस्तिका/सर्विस रिकॉर्ड तथा कार्मिक विभाग से जानकारी प्राप्त की जाए एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 व 19 में लम्बित जाँच बकाया होने अथवा नहीं होने का प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए पेंशन नियम-7 (6) (ए) जो निम्नानुसार है, का भी ध्यान रखा जाए :-

7 (6) (a) Departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the charges together with a statement of allegations on which they are based, or the proposal of Government to take disciplinary action together with the allegations on which it is proposed to be taken, are issued to the Government servant of pensioner, or if the Government servant has been placed under suspension form an earlier date, on such date.

साथ ही प्ररूप-6 के बिन्दु 2(3) के सम्बन्ध में कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित हैं अथवा नहीं, की पूर्ति के सम्बन्ध में पेंशन नियम 7 (6) (b) जो निम्नानुसार है व वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 05.12.16 का ध्यान रखा जाए।

7(6) (b) Judicial proceedings shall be deemed to be instituted-
(I) in the case of criminal proceeding on the date on which the complaint or report of a police officer, of which the Megistrate takes congnizance, is made, and
(II) In the case of civil proceedings on the date the plaint is presented in the court.

(2) सेवानिवृत्ति आदेश को निर्धारित प्ररूप में ही जारी किया जाए, निर्धारित प्ररूप से भिन्न कोई प्ररूप जारी नहीं किया जाए अथवा अपने स्तर पर कोई नया बिन्दु नहीं जोड़ें। यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक से सेवानिवृत्ति आदेश में निर्धारित बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य बिन्दू जोड़े जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन/पेंशन परिलाभों का समय पर भुगतान नहीं होता है तो, नियम 89 (3) के अनुसार प्रशासनिक विभाग उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और उस सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जो सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब के लिए उत्तरदायी है/उत्तरदायी पाए गए हैं, राजस्थापन सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करेगा और पेंशनर के ब्याज का भुगतान करने के कारण सरकार को हुई हानि की वसूली उत्तरदायी ठहराए गए सरकारी अधिकारी/कर्मचारी से करेगा।

● वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

9. समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संरक्षा एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित एवं पर्याप्त प्रबन्ध एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/बाल संरक्षण/2017-18 दिनांक: 22-9-2017 ● समस्त संस्थाप्रधान, राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय, पूर्व प्राथमिक/प्रावि./उप्रावि./मावि./उमावि. राजस्थान राज्य परिक्षेत्र, राजस्थान। ● विषय-समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संरक्षा एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित एवं पर्याप्त प्रबन्ध एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ जीवन जीने का कौशल, संस्कार, कर्त्तव्य, दायित्व, नैतिक आचरण तथा सुबोध नागरिक बनने के लिए सभी आवश्यक संस्कार विद्यालय में प्राप्त करते हैं। रात्रिकालीन नींद के अलावा विद्यार्थियों के शेष समय का बड़ा हिस्सा विद्यालय में ही व्यतीत होता है। अभिभावक अपनी संतान को शिक्षा, संस्कार एवं सुरक्षा हेतु विद्यालय के भरोसे छोड़ कर निश्चिन्त हो जाते है। ऐसे में विद्यालय का दायित्व है कि वह मात्र औपचारिक पाठ्यक्रम पूर्ति पश्चात परीक्षा लेकर उसे उत्तीर्ण करवाने तक ही अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझे वरन विद्यालय का दायित्व है कि वो विद्यार्थी को सुयोग्य नागरिक बनाने में, नैतिक मूल्यों की स्थापना में, संस्कारों के निर्माण में तथा उनकी सुरक्षा का अपना दायित्व भी पूर्ण निष्ठा से निर्वहित करे। विद्यार्थी में दिखाई पड़ने वाले नैतिक विकारों, दिशाहीन विकास और उनकी भौतिक, नैतिक, शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा के प्रति चिन्ता एवं भय की पृष्ठभूमि में विद्यालयों द्वारा इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं देना भी सम्मिलित है। विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों में पैदा असुरक्षा तथा अनाचार के समाचार इसी दशा को अभिव्यक्त करते हैं। अत: समस्त विद्यालयों/संस्थाप्रधानों/शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा अग्रांकित विवरणानुसार अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है :-

1. विद्यालय एवं संस्थाप्रधान के दायित्व :-

I. विद्यालय स्वच्छ, पहुँच वाले स्थान पर स्थित हो। सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जावे। विद्यालय की एकांत या सुनसान स्थान पर अवस्थिति अनैतिक आचरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकती है।

II. विद्यालय परिसर में शौचालय सुनसान स्थान पर न हो ताकि वे विद्यालय स्टाफ की नजर में रहें।

III. विद्यालय में अगर विद्यार्थी स्कूल बस अथवा ऑटो से आता है तो इसका रिकॉर्ड विद्यालय में रखा जावे। बस एवं ऑटो तथा उनके चालक/परिचालक का पुलिस सत्यापन कराया जावे। इसी प्रकार विद्यालय में कार्य कर रहे कार्मिकों/संविदा या ठेके पर कार्यरत कार्मिकों का भी सत्यापन कराया जावे। उनका पहचान पत्र साथ रहे एवं उसका संधारण भी हो।

IV. अनजान/संदिग्ध नजर आने वाले व्यक्ति के विद्यालय परिसर में देखे जाने पर उससे तत्काल पूछताछ कर पुष्टि की जावे।

V. विद्यार्थियों को उनके शरीर एवं उसके विकास के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी जावे। विशेषत: छोटी उम्र के विद्यार्थियों को अन्य व्यक्ति के स्पर्श (Good Touch and Bad Touch) के सम्बन्ध में उचित माध्यम से जानकारी प्रदान की जाए।

VI. विद्यालय की प्रार्थना सभा नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों के लिए उर्वरा होती है। अत: प्रार्थना सभा में नैतिक एवं अनुकरणीय कथन/कथा एवं प्रेरक जीवनियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे।

VII. परिवेश में विद्यार्थियों के सम्बन्ध में घटित होने वाली अच्छी-बुरी घटनाओं से विद्यार्थी अवश्य परिचित हों, परन्तु यह ध्यान रखा जावे कि इसका उद्देश्य भय पैदा करना न हो वरन विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करना हो।

VIII. प्रत्येक अभिभावक का दूरभाष नम्बर उपस्थिति रजिस्टर में बालक के नाम के साथ अंकित हो। विशेष परिस्थिति में माता-पिता के स्थान पर अन्य अभिभावक का दूरभाष नम्बर हो सकता है, जिसका कारण सुस्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

IX. विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के शौचालय/मूत्रालय पृथक-पृथक हों तथा पर्याप्त दूरी पर स्थित हों।

X. प्रत्येक विद्यालय में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था हो व प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बाक्स हो।

XI. अगर विद्यालय में जल संधारण अन्डरग्राउन्ड टेंक/कुआं/खुले स्रोत द्वारा होता है, तो स्रोत समुचित रूप से ढका हुआ होना चाहिए एवं ढक्कन पर सदैव ताला होना चाहिए। स्रोत से जल निकालने की सुरक्षित व्यवस्था हो एवं विद्यार्थियों से जल निकासी का कार्य नहीं करवाया जाए।

XII. विद्यालय परिसर से हाईटेंसन विद्युत लाईन नहीं गुजरनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तत्काल सक्षम स्तर पर सूचित कर उसे हटाने की कार्यवाही करावें।

XIII. विद्यालय में विद्युत फिटिंग सुरक्षित हो, विद्युत तार खुले नहीं हो, विद्युत उपकरण सुरक्षित स्थिति में हो।

XIV. विद्यालय के पास धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों का क्रय-विक्रय नहीं हो एवं विद्यार्थियों को इस सम्बन्ध में जागरूक रखा जावे।

XV. किसी भी स्थिति में असुरक्षित अथवा क्षतिग्रस्त कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था न हो।

XVI. विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनके आवास परिक्षेत्र को आधार मानते हुए अधिकतम 40 विद्यार्थियों का समूह बनाया जावे, जिनके लिए यथासंभव उसी आवासीय अवस्थिति में निवास करने वाले शिक्षक को उनका स्कूल अभिभावक (मार्गदर्शक शिक्षक) नियुक्त किया जावे, जिसका यह उत्तरदायित्व होगा कि विद्यालय में इस बालकों से सम्बन्धित सभी विषयों/समस्याओं इत्यादि के सम्बन्ध में सतत जानकारी रखें तथा निरन्तर इन बालकों के सम्पर्क में रहें।

XVII. अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में अभिभावकों से ये मार्गदर्शक शिक्षक भी मिलेंगे तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक से विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति एवं समस्याओं पर विमर्श करेंगे।

XVIII. प्रत्येक विद्यालय में तीन सदस्यी सतर्कता समिति का गठन किया जाए, जिसमें एक सदस्य उपलब्ध होने पर महिला हो, जो नित्य प्रति विद्यालय में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों/गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए आवश्यकतानुरूप पूर्वानुमान कर आवश्यक सुझाव संस्था प्रधान को प्रदान करेंगे।

XIX. विद्यार्थियों, विशेषत: बालिकाओं में आत्मसुरक्षा हेतु उन्हें जानकारी दी जावे।

XX. विद्यालयों में बाल यौनाचार एवं उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु दिशा-निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 18.05.2017 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

2. शिक्षकों के दायित्व:-

I. कक्षा शिक्षक विद्यालय के प्रारंभ, मध्याह्न एवं समापन पर यह पुष्ट करें कि कक्षा में विद्यार्थी अकेला तो नहीं है।

II. विद्यार्थी अन्तराल अवधि में ही लघुशंका हेतु जावे। इससे अतिरिक्त अवधि में जाने वाले विद्यार्थी का ध्यान रखा जावे कि वो नियत समय पर लौट आया/आई है कि नहीं? शौचालय/मूत्रालय के दूर अवस्थित होने की स्थिति में आने-जाने के दौरान विद्यार्थी पर दृष्टि रखी जानी चाहिए। आवश्यकतानुरूप छोटे विद्यार्थियों/बालिकाओं को यथा संभव लघुशंका हेतु अकेला नहीं भेजा जावे।

III. विद्यार्थी विद्यालय में मोबाईल का प्रयोग न करें। टेबलेट/लेपटॉप अथवा कम्प्यूटर का उपयोग शिक्षक की निगरानी में ही हो। विद्यालय के कम्प्यूटर में ऐसे कार्यक्रम/सॉफ्टवेयर/गेम (जैसे ब्लू ह्वेल) आदि कदापि न हो, जो विद्यार्थियों में निराशा/भय का वातावरण अथवा आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देता हो।

IV. विद्यालय परिसर में खेलने के दौरान विद्यार्थियों की गतिविधियों पर शिक्षकों की सामान्य दृष्टि हो।

V. विद्यार्थी के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन दृष्टिगत होने पर उसे जानने का प्रयास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्थाप्रधान को सूचित करें। संस्थाप्रधान आवश्यक होने पर अभिभावकों से बात करें अथवा मुलाकात करें।

VI. छोटी कक्षाओं (1 से 5) के विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखा जावे। उनका बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ असामान्य रूप से/अधिक संगति करने पर भी पैनी दृष्टि रखी जानी चाहिए।

VII. लगातार अनुपस्थित रहने/देरी से आने/जल्दी जाने वाले विद्यार्थी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जावे। कई बार विद्यार्थी आवास से विद्यालय की ओर प्रस्थान कर जाता है, परन्तु विद्यालय नहीं पहुँचता है, इस प्रकार की पस्थितियों में संस्थाप्रधान को अवगत करवाते हुए कारण की गहनता से जाँच करे।

3. अभिभावकों के दायित्व :-

I. विद्यालय में बालक/बालिका का प्रवेश करवाने से पूर्व अभिभावक

विद्यालय के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी यथा विद्यालय की मान्यता/संबद्धता/मूलभूत सुविधाएँ/शैक्षिक- सहशैक्षिक प्रगति के सम्बन्ध में आवश्यक अवगति प्राप्त करें। प्रवेश दिलाने के साथ ही विद्यालय, संस्थाप्रधान, कक्षा-शिक्षक, विषयाध्यापक, शारीरिक शिक्षक तथा मार्गदर्शक शिक्षक के दूरभाष नम्बर प्राप्त कर लेवें।

II. अभिभावक का दायित्व है कि प्रत्येक अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में भाग लेकर बालक/बालिका के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से विमर्श करें।

III. अभिभावक प्रत्येक दिवस पर विद्यार्थी की स्कूल डायरी तथा गृहकार्य पुस्तिकाओं को देखेंगे और शिक्षक की टिप्पणी पर आवश्यक रूप से अपनी प्रतिक्रिया करें ।

IV. प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि वह अपने बालक/बालिका के साथ नित्य कुछ समय व्यतीत करें, उनके असामान्य व्यवहार के कारणों को जानने का प्रयास करें। इस हेतु आवश्यकतानुसार विद्यालय में संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों से सम्पर्क करें।

V. अभिभावक को आवश्यक रूप से उनके बालक/बालिकाओं के मित्रों से परिचित होना चाहिए तथा बच्चों द्वारा विद्यालय के अतिरिक्त बिताए जाने वाले समय के स्थान एवं व्यक्तियों की जानकारी भी होनी चाहिए।

VI. विद्यार्थी जिस बाल वाहिनी/ऑटो से विद्यालय जाता है,उसकी तथा उसमें कार्य करने वाले चालक/परिचालक की जानकारी भी अभिभावक को होनी चाहिए।

VII. घर में बालक द्वारा उपयोग में लिए जा रहे कम्प्यूटर/ लेपटॉप/मोबाइल फोन और उसके उपयोग पर अभिभावक की सूक्ष्म निगरानी होनी चाहिए।

● **(पी.सी. किशन) आई.ए.एस.,** निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.,** निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

माह : **अक्टूबर, 2017**

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

प्रसारण समय : **दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
2.10.2017	सोमवार	जयपुर		गैर पाठ्यक्रम		गाँधी जयन्ती व शास्त्री जयन्ती
3.10.2017	मंगलवार	उदयपुर	7	हिन्दी	10	छोटा जादूगर
4.10.2017	बुधवार	जयपुर	4	पर्यावरण अध्ययन	9	पानी रे! अजब तेरी कहानी
5.10.2017	गुरुवार	उदयपुर	8	सामाजिक विज्ञान	10	सामाजिक न्याय
6.10.2017	शुक्रवार	जयपुर	5	हिन्दी	10	नारी शक्ति की प्रतीक
7.10.2017	शनिवार	उदयपुर	10	हिन्दी (अनिवार्य)	11	मुंशी प्रेमचन्द
25.10.2017	बुधवार	जयपुर	6	विज्ञान	10	गति
26.10.2017 गुरुवार से 28.10.2017 शनिवार तक द्वितीय परख सभी कक्षाओं के लिए।						
30.10.2017	सोमवार	उदयपुर		गैर पाठ्यक्रम		संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाने का औचित्य
31.10.2017	मंगलवार	जयपुर		गैर पाठ्यक्रम		संकल्प दिवस

निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, अजमेर।

शिविरा पंचांग 2017

अक्टूबर 2017

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	31
बुध	4	11	18	25	
गुरु	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

अक्टूबर 2017 ● कार्य दिवस-12, रविवार-05, अवकाश-14, उत्सव-03 ● 1 अक्टूबर-मोहर्रम (अवकाश-चन्द्र दर्शनानुसार) **2 अक्टूबर-विद्यालय समय परिवर्तन-1.** एक पारी विद्यालय-विद्यार्थियों हेतु प्रात: 09.35 से 3.40 बजे तक। (शिक्षकों हेतु प्रात: 9.30 से 3.40 बजे तक, संस्था प्रधान हेतु प्रात: 9.20 से 3.40 बजे तक) **2.** दो पारी विद्यालय - प्रात: 07.30 से सायं 05.30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे) **2 अक्टूबर-**गाँधी जयंती व शास्त्री जयंती (उत्सव) **2 से 3 अक्टूबर-**जिला स्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेला का आयोजन (SIERT) **3 से 5 अक्टूबर-**संभाग स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **3 से 6 अक्टूबर-**तृतीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन **9 से 10 अक्टूबर-**राज्य स्तरीय रोल प्ले एवं लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन (SIERT) **9 से 22 अक्टूबर-** मध्यावधि अवकाश। **19 अक्टूबर-**दीपावली (अवकाश) **20 अक्टूबर-**गोवर्धन पूजा (अवकाश) **21 अक्टूबर-**भैया दूज (अवकाश) **23 से 24 अक्टूबर-**राज्यस्तरीय शैक्षिक सम्मेलन। (शिक्षकों के लिए अवकाश) **24 अक्टूबर-**संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (उत्सव) **26 से 28 अक्टूबर-**द्वितीय परख। **30 अक्टूबर से 04 नवम्बर-**तृतीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। **31 अक्टूबर-1.** इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस-उत्सव)**2.** सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार-2017 के प्रस्तावों की समीक्षा कर मण्डल अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजना। **नोट:-**माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन। **माह अक्टूबर : 2017 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रम** ● एआरजी का प्रशिक्षण ● मासिक कार्यशाला ● लीडरशिप एसआरजी प्रशिक्षण ● यूपीएस शिक्षकों के विषयवार शिक्षक प्रशिक्षण ● Divisional Level Workshop for Capacity Building for Wash in Schools (RPs/Engineers/Nodal Principals & BEEOs) ● सामान्य शिक्षकों, केजीबीवी शिक्षिकाओं एवं संदर्भ व्यक्तियों हेतु 10 दिवसीय आईसीटी प्रशिक्षण।

गाँधी जयन्ती विशेष

आज के सन्दर्भ में गाँधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त

❐ वृद्धि चन्द गोठवाल

महापुरूषों की नीति एवं उनके बनाए सिद्धान्त से ही मानव समाज का उद्धार होता है। उनका जीवन पृथ्वीवासियों के लिए वरदान साबित होता हैं एक प्रसिद्ध और प्रचलित शेर है:-

हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर रोती है।
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ऐसे ही महापुरूष थे। बर्नार्ड शाह ने उचित ही कहा था- ''आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाएगी कि क्या संसार में गाँधी जैसा व्यक्ति भी रहा होगा?'' गर्व की बात है कि महात्मा गाँधी जी का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में अंकित है। क्योंकि उनका मत था कि मानव सही अर्थों में मानव बन जाए और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यों को अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार करे तो समस्त समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आज हम देख रहे हैं नैतिक मूल्य टूटते जा रहे हैं, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, अमीरी-गरीबी का फासला बढ़ रहा है, मानव का मानव द्वारा शोषण हो रहा है, धर्म और मजहबों के नाम पर मानव की नृशंस हत्याएँ हो रही है, आतंकवाद विश्व की भीषण समस्या बन चुकी है तो हमें महात्मा गाँधी जी एवं उनके सिद्धान्तों की याद आती है और मानवता तार-तार हो गई है तब हम उनकी प्रासंगिकता की बात करने लगते हैं। सचमुच वे महान देश भक्त, प्रबुद्धविचारक, मानवतावादी, नैतिकवादी, समाजसुधारक, राजनीतिज्ञ एवं एक आदर्श महापुरूष थे।

महात्मा गाँधी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त आज के सन्दर्भ में खरा उतरता है। क्योंकि वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें अमीर-गरीब नामक वर्ग का अस्तित्व न हो, अतः उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया और कहा कि धनवानों को अपनी सम्पत्ति का उपयोग समाज के कल्याण हेतु करना चाहिए। इसी भावना के आधार पर गाँधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अर्थात् इसका

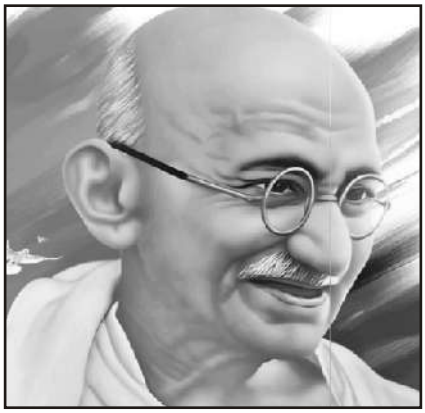

उद्देश्य है अमीर अपनी सम्पत्ति को यह समझकर अपने पास रखे कि यह देशवासियों की सम्पत्ति है और वे केवल इसके ट्रस्टी हैं, यानि सम्पत्ति के अमानतदार है उसकी देखभाल करने के लिए हैं। यदि हम कुछ सोचें-समझें और गौर करें तो लगता है कि ट्रस्टीशिप की धारणा अपरिग्रह एवं अस्तेय के विचारों का ही व्यवस्थित रूप है जो सामाजिक जीवन में फलदायी साबित होता है। यह सिद्धान्त यह बताता है कि संसार की सभी वस्तुओं का वास्तविक मालिक ईश्वर है और सभी कुछ जो ईश्वर ने निर्मित किया है वह सबके लिए किया है। आज की दुनिया इस सिद्धान्त को आत्मसात करले तो सुख-शान्ति का आलम छा जाए। हम व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ें, आवश्यकताओं को यथा-संभव सीमित रखें, अधिक साधनों एवं सम्पदाओं को अपने पास संग्रह न करें। क्योंकि ईश्वर ने विश्व का सृजन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया बल्कि समस्त प्राणियों के लिए किया है।

ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में यह बात निहित है कि-''सम्पत्ति सब-रघुपति के आही-सर्वे भूमि गोपाल की।'' गाँधी जी के इन विचारों के अनुसार आज का मानव समाज यह ध्यान लगावे कि संसार का सब कुछ भगवान का है, और यदि किसी के पास अनुपात से अधिक है तो वह उस धन का जनता की ओर से ट्रस्टी अथवा अमानतदार ही है। देशवासियों ने जीवन मूल्यों एवं मानवीय मूल्यों को एक ताक में रख दिया और नम्बर दो से आय से भी अधिक राशि से गोदाम भरना शुरू किया तो असामाजिकता का जीवन हो गया। रिश्वत और भ्रष्टाचार से दूर होने की शिक्षा ट्रस्टीशिप सिद्धान्त देता है। इसके अन्तर्गत आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए जो भी प्रयास अथवा उपाय किए जाते है उसमें हिंसा को आधार नहीं, बल्कि विचार परिवर्तन और हृदय परिवर्तन की ही धारणा संजोई गई है। ट्रस्टीशिप जैसे सिद्धान्त को अमल में न लाने से सामाजिक जीवन ही अस्त-व्यस्त हो गया और हम देख रहे हैं कि अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब बनता जा रहा है। बेरोजगारी मुँह फाड़े खड़ी है तथा महंगाई पिशाचिनी न्यून आयधारियों को खाने को दौड़ रही है।

ट्रस्टीशिप सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि पूंजीपतियों के पास जो सम्पत्ति है वह जनता के श्रम का फल है, केवल उन्हीं के प्रयासों का फल नहीं, तो सामाजिक समरसता उत्पन्न होती है और दमन की भावना तथा असमानता की भावना मिट सकती है। वैसे भी देखें तो हमारे देश की संस्कृति में दान करना नैतिक रूप से आवश्यक माना गया है। ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त सम्पत्ति के समान वितरण की समस्या के समाधान के लिए भी वरदान है और पूंजीवाद की बुराइयों को कम करने में रामबाण है। गाँधीजी के अनुसार ईश्वर का कानून है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए वे सभी उपाय करे जिससे उसमें नैतिकता उच्चस्तर की आ जाए। आज आदमी कितना ही स्वार्थी हो, ट्रस्टीशिप द्वारा उसके आन्तरिक हृदय एवं भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है। यदि राष्ट्र इस सिद्धान्त के उद्देश्य अपनाएँ तो अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों के कारण कम हो सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि गाँधीजी का यह ट्रस्टीशिप सिद्धान्त विश्व को स्वाभिमान और शान्ति से जीना सिखाता है जो आज के सन्दर्भ में अत्यावश्यक है।

व्याख्याता (से.नि.)
पो.कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)
मो. 9414732090

जयंती विशेष

गुदड़ी के लाल : लाल बहादुर शास्त्री

❒ कमल नारायण पारीक

भारत की जनता के सच्चे प्रतिनिधि लालबहादुर शास्त्री को लोग एक ऐसे नेता के रूप में याद करते हैं जिन्होंने उच्च पदों पर कार्यरत रहने के बावजूद अपनी सादगी, सच्चाई और ईमानदारी से सबको अपना कायल बना लिया था।

उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को एक अत्यन्त गरीब और साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी जब डेढ़ वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। ननिहाल में ही उनका लालन पालन हुआ। उनकी आंरभिक शिक्षा वाराणसी में हुई।

सत्रह वर्ष की अल्पायु में ही गाँधीजी द्वारा स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने की अपील पर वह पढ़ाई छोड़कर असहयोग आन्दोलन में शामिल हो गए। जेल से रिहा होने के पश्चात् उन्होंने काशी विद्यापीठ में पढ़ाई आरंभ की। विद्यापीठ में उनके आचार्य डा. भगवानदास, आचार्य नरेन्द्र देव, बाबू संपूर्णा नन्द और श्री प्रकाश जी थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर 'शास्त्री' की उपाधि प्राप्त की।

सन् 1926 में शास्त्रीजी ने 'लोक सेवा समाज' की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। बाद में वह इलाहाबाद नगर पालिका के सदस्य भी बने।

सन् 1947 में देश आजाद होने के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह और परिवहन मंत्री बने। इसी पद पर कार्य करते समय शास्त्री जी की प्रतिभा पहचान कर 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव आन्दोलन को संगठित करने का भार नेहरू जी ने उन्हें सौंपा।

सन् 1952 में शास्त्री जी राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्हें केन्द्र में रेल और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। चार वर्ष पश्चात् 1956 में अडियालूर रेल दुर्घटना के लिए, जिसमें डेढ़ सौ से अधिक लोग मारे गए थे, अपने आपको नैतिक रूप से उत्तरदायी मानकर उन्होंने रेलमंत्री का पद त्याग दिया।

शास्त्रीजी के इस निर्णय का, आज भी जब कोई रेल दुर्घटना होती है, तो उदाहरण दिया जाता है।

1957 के द्वितीय आम चुनाव में वे विजयी हुए और पुनः केन्द्रीय मंत्रीमंडल में शामिल किए गए तथा परिवहन और संचार मंत्री का कार्य भार संभाला। सन् 1958 में वे वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाए गए। पंडित गोविन्द वल्लभ पंत के निधन के बाद सन् 1961 में शास्त्री जी को देश का गृहमंत्री बनाया गया, किन्तु सन् 1963 में जब कामराज योजना के अन्तर्गत पद छोड़कर संस्था का कार्य करने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो शास्त्री जी ने बेहिचक अपना पद छोड़ दिया।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जब अस्वस्थ रहने लगे तो उन्हें शास्त्री जी की बहुत आवश्यकता महसूस हुई। जनवरी 1964 में वे पुनः सरकार में शामिल हुए और उन्हें मंत्री का पदभार सौंपा गया। तत्पश्चात पंडित नेहरू के निधन के बाद चीन के हाथों युद्ध में पराजय की ग्लानि के समय 9 जून 1964 को उन्हें भारत का प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया। सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने विजयश्री का सेहरा पहनाकर देश को ग्लानि और कलंक से मुक्त करा दिया। इस भारत-पाक युद्ध में शास्त्री जी ने अपने कद के साथ साथ भारत का कद भी दुनिया की नजरों में ऊँचा कर दिया।

देश में खाद्यान संकट उत्पन्न होने पर अमरीका के प्रतिमाह अन्नदान देने की पेशकश पर शास्त्री जी तिलामिला उठे किन्तु संयत वाणी में उन्होंने देश को आह्वान किया, ''पेट पर रस्सी बाँधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास करो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएँगे वरना भूखे मर जाएँगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी।''

शास्त्री जी ने कहा था कि ''देश की सुरक्षा आत्मनिर्भरता तथा सुख समृद्धि केवल सैनिकों व शस्त्रों पर ही आधारित नहीं बल्कि कृषक और श्रमिकों पर भी आधारित हैं इसलिए उन्होंने सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध के समय 'जय जवान जय किसान' नारा दिया।

छोटे कद के विराट हृदय वाले शास्त्री जी अपने अंतिम समय तक शाँति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे। सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध विराम के बाद उन्होंने कहा था, ''हमने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी अब हमें शांति के लिए पूरी ताकत लगानी हैं।'' शांति की स्थापना के लिए ही उन्होंने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद (रूस) में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां के साथ 'ताशकंद समझौते' पर हस्ताक्षर किए।

हमारे देश का दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद वह इस महापुरुष के नेतृत्व से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो गया। 11 जनवरी 1966 को इस महापुरुष का ताशकंद में ही निधन हो गया। मरणोपरान्त सन् 1966 में उन्हें भारत के सर्वोच्च अलंकरण 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया। राष्ट्र के विजयी प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी समाधि का नाम भी 'विजय घाट' रखा गया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री सच्चाई और सादगी के लिए विख्यात रहे हैं। उनकी सादगी के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब वे केन्द्रीय रेलमंत्री थे, अपनी धर्म पत्नी श्रीमती ललिता जी के साथ रेल द्वारा दिल्ली से मुम्बई जा रहे थे। मई

का महीना था, भीषण गर्मी पड़ रही थी। रेल के डिब्बे में सवार होने के बाद शास्त्री जी ने अपने निजी सचिव कैलाश बाबू से कहा, ''बाहर तो भीषण गर्मी है परन्तु डिब्बे के अन्दर ठंडक कैसे हैं।'' उन्हें जवाब मिला कि ''डिब्बे में गर्मी से बचने के लिए कूलर लगा हुआ हैं।'' यह सुनते ही शास्त्री जी बोले, ''इस गाड़ी में जो और यात्री हैं क्या उन्हें-गर्मी नहीं लगती हैं? तुमने मुझसे पूछे बिना कूलर क्यों लगवा दिया?'' उन्होंने अपने निजी सचिव को आदेश दिया गाड़ी जहाँ कहीं भी रुके, कूलर हटवा दीजिए। रेल मथुरा स्टेशन पर रुकी एक डिब्बे से कूलर हटवाया गया।

शास्त्री जी ने निजी सचिव से कहा ''भइया यह ठीक है कि मंत्री होने के नाते हम साधारण डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते। परन्तु सरकारी धन का अपनी सुविधा के लिए उपयोग करना उचित नहीं है।'' रेल में उनके साथ यात्रा कर रहे अधिकारी उनकी ये बात सुनकर विस्मित रह गए। ऐसे थे हमारे गुदड़ी के लाल, लाल बहादुर शास्त्री जो सच्चाई, सादगी, कर्त्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा कुशल प्रशासक की प्रतिमूर्ति थे।

सेवानिवृत्त अध्यापक
म.नं. 1/131 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी
हनुमानगढ़ जं. 335512 (राज.)

रपट : उद्घाटन

स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय, अजमेर

❐ मनीषा त्रिपाठी

राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और उन नवाचारों का सकारात्मक प्रभाव दिनांक 07 सितम्बर 2017 को अजमेर नगर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के माकड़वाली ग्राम पंचायत में देखने को मिला। उक्त माकड़वाली ग्राम में विवेकानन्द मॉडल विद्यालय का उद्घाटन देश के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता राज्य के प्राथ., माध्य. शिक्षा भाषा विभाग एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वासुदेव देवनानी एवं विशिष्ट अतिथियों के रूप में अजमेर नगर के महापौर श्री धर्मेन्द्र गहलोत, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शिवशंकर हेड़ा, जिला प्रमुख सुश्री वंदना नोगिया, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री अरविन्द यादव, जिला देहात अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद शर्मा, संभागीय आयुक्त श्री हनुमान सहाय मीणा, पुलिस महानिरीक्षक मालिनी अग्रवाल, जिलाधीश श्री गौरव गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, माकड़वाली ग्राम पंचायत सरपंच श्री महेन्द्र सिंह एवं प्रधान सुनिता रावत उपस्थित थे। कार्यक्रम में शिक्षा जगत के सर्वोच्च अधिकारियों के रूप में शिक्षा शासन सचिव श्री नरेश पाल गंगवार, रमसा कमिश्नर आनन्दी, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर श्री सीताराम गर्ग तथा उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा श्री जीवराज जाट उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरूआत केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर एव शिक्षा राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने विवेकानन्द मॉडल विद्यालय के लोकार्पण पट्टिका के अनावरण एवं स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति के माल्यार्पण के साथ की।

समारोह की शुरूआत शिक्षा शासन सचिव श्री नरेश पाल गंगवार के स्वागत उद्बोधन से हुई। स्वागत उद्बोधन में विवेकानन्द मॉडल विद्यालय के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों का उल्लेख किया गया। उक्त विद्यालयों में राज्य के लगभग 40000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पंचायत समिति में आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा पद्धति से अध्ययन करवाना है ताकि ये विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर भविष्य में राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें एवं स्वयं को समाज में स्थापित कर सकें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षा राज्यमंत्री एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि ''आज देश में राजस्थान के शिक्षा मॉडल को अपनाया जा रहा है। राजस्थान में एक लाख शिक्षकों की पदोन्नति हुई तथा विगत 3 वर्षों में हजारों अध्यापकों एवं व्याख्याताओं की भर्तियाँ हुई।'' उन्होंने विवेकानन्द मॉडल विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को स्वामी विवेकानन्द की संज्ञा देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि ''ये बच्चे ही स्वामी विवेकानन्द के भारत के सपने को साकार करने में सहयोग करेंगे।''

समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने उद्बोधन में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे एवं शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव देवनानी द्वारा किये गये प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जावडेकर जी ने कहा कि ''सभी निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को बी.एड. अनिवार्य होगी। जो प्रशिक्षित नहीं है सरकार दो साल के कोर्स में उन्हें ऑनलाइन कम्प्यूटर से प्रशिक्षित करेगी। 2019 के बाद शिक्षक बिना प्रशिक्षण नौकरी नहीं कर पाएँगे।'' कार्यक्रम में समस्त अतिथियों द्वारा 'वासुदेव देवनानी एप' की शुरूआत की गई। इसमें शिक्षा विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम का ब्यौरा दिया गया हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षक संवाद कर सुझाव दे सकेंगे। कार्यक्रम के अन्त में धन्यवाद जिला प्रमुख सुश्री वन्दना नोगिया द्वारा दिया गया।

समारोह में आए 3000 अतिथियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था अक्षय पात्र फाउन्डेशन, अजमेर की ओर से की गई।

व्याख्याता
राजकीय मोइनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर
मो: 9413809603

एस.आई.क्यू.ई. विशेष

सफलता की सीढ़ी चढ़ता विद्यालय

❐ प्रमोद कुमार चमोली

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिसरासर, हनुमानगढ़ का चयन निदेशालय के लैब विद्यालयों में किया गया था। इन चयनित लैब विद्यालयों के संस्था प्रधानों की एक दिन की कार्यगोष्ठी पूर्व में निदेशालय में हुई थी। इस गोष्ठी में इन्हें लैब विद्यालयों की संकल्पना समझाते हुए इन विद्यालयों में एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम को पूर्ण रीति-नीति से चलाने हेतु निर्देशित किया गया था। निदेशालय के एस.आई.क्यू.ई. सैल के द्वारा इन विद्यालयों का अवलोकन किया जाता है तथा ऑन साइड सपोर्ट दिया जाता है। हम 6 सितम्बर 2017 को इस विद्यालय का अवलोकन करने गए।

सरदारशहर, हनुमानगढ़ मैगा हाईवे पर स्थित इस विद्यालय के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही यह अपनी कहानी कहना प्रारम्भ कर देता है। विद्यालय का पक्का, साफ-सुथरा प्रांगण और रंग-रोगन किया हुआ भवन आकर्षित करता है। इसके प्रवेश द्वार से प्रांगण तक सीमेंट की सड़क जिसके दोनों तरफ का वृक्षारोपण आगन्तुक को आनन्दित कर देता है।

विद्यालय के लिए उसके साफ-सुथरे प्रांगण और आकर्षक भवन का महत्व तो है पर ये अन्तिम नहीं है। किसी भी विद्यालय के इस बाहरी आवरण को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनाई जा सकती। विद्यालय भवन में ऐसा कुछ भी होना चाहिए, जिससे लगे कि यहाँ सीखने-सिखाने का कार्य गम्भीरता से हो रहा है। मैं और बोध शिक्षण समिति सलाहकार धीरेन्द्र जी इस विद्यालय के प्राथमिक कक्षाओं की विंग में थे। वहाँ पर दो डिस्पले बोर्ड लगे थे, जिनमें एक 'पोएट्री ऑफ द डे' तथा 'ड्रॉइंग ऑफ द डे' लगे हुए थे। एक बोर्ड में दो-चार अनमोल वचन, कुछ चुटकुले और कविता तीनों अलग-अलग कागजों में बोर्ड पर टांगे हुए थे। संस्था प्रधान द्वारा इसे भित्ति पत्रिका बताया गया। कक्षा-कक्षों में हिन्दी, गणित और अंग्रेजी से संबंधित फ्लैक्स चस्पा थे। इनमें चित्रात्मक कहानियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री थी। कविता, गिनती, अल्फाबेट्स जैसी, यह कहा जा सकता है कि विद्यालय सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण निर्मित करने की ओर अग्रसर है।

विद्यालय के भौतिक स्वरूप के अवलोकन से यह अनुमान तो लगता है कि शैक्षिक वातावरण उपयुक्त होना चाहिए परन्तु किसी भी विद्यालय की आत्मा उसकी कक्षाओं में बैठे विद्यार्थी हैं। यदि विद्यालय में प्राथमिक कक्षाएँ हैं तो उन्हें विद्यालय का दर्पण कहना गलत नहीं होगा। वहाँ जो इन कक्षाओं में देखा उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि इस दर्पण में यह विद्यालय अपनी उजली छवि प्रस्तुत करता है। नन्हें-नन्हें विद्यार्थियों को सीखने-सिखाने की कक्षागत प्रक्रियाओं में आनन्द के साथ भाग लेते हुए देखना आशान्वित करता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चलाए जा रहे एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में इस विद्यालय की कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया का अवलोकन किया जाना था। हम दोनों अलग-अलग कक्षाओं में चले गए। मैं कक्षा चार में था। अंग्रेजी का कालांश, अध्यापिका बच्चों को छठा अध्याय Save Water का अध्ययन करवाते हुए Poem का वाचन करवा रही थी। मैंने भी बच्चों के साथ बैठकर Water, Water all around/save every drop that can be found/wasting water is not good/ So you never should का वाचन हावभाव के साथ प्रारम्भ कर दिया। अध्यापिका का भी हौसला बढ़ चुका था। वह भी खुलकर हावभाव के साथ इस Poem को पढ़ाने का आनन्द लेने लगी थी। दो-चार बार के दोहराव के बाद मैंने बच्चों से चर्चा करने का प्रयास किया। अध्याय के प्रारम्भ में की गई चर्चा के कुछ बिन्दुओं पर बातचीत की जानी थी। कविता के इस आनन्दमय वातावरण से ओतप्रोत विद्यार्थियों से जब यह पूछा गया कि What Things do we need for living सब मौन थे। मैं यह जान रहा था कि बच्चों का अंग्रेजी में यह जवाब देना मुश्किल है। चर्चा आगे चलाई गई कहीं हिन्दी तो कहीं राजस्थानी में बात की गई बच्चे अब समझ चुके थे। चर्चा में भाग लेना शुरू कर दिया था। पहले हिन्दी में तो बाद में जीने के लिए आवश्यक चीजों यथा हवा (Air), पानी (Water), भोजन (Food) इत्यादि जवाब आने लगे थे। कक्षा में ग्रुप दो के बच्चे भी थे उनके साथ इस चर्चा को करते समय कुछ परेशानी तो थी पर उनसे, उनके स्तर के अनुरूप बातचीत के बाद वे भी हिस्सा ले रहे थे। अध्यापिका ने इस गतिविधि के बाद कक्षा को समूह में बाँट दिया। कक्षा स्तर के नीचे के बच्चों को विशेष समर्थन पैकेज की कुछ सीटें दी तथा कक्षा स्तर के बच्चों को अन्य प्रकार की सीटों में काम करवाना प्रारम्भ कर दिया।

मैं जिस समय कक्षा 4 में था उस समय मेरे साथी धीरेन्द्र जी कक्षा 1 में चले गए। वहाँ कक्षा में हिन्दी का अध्यापन चल रहा था। वे बताते हैं कि कक्षा चार समूहों में विभक्त थी और प्रत्येक समूह के साथ शिक्षक ने स्तरानुसार वर्ण एवं शब्द के फ्लेश कार्ड वितरित किए थे। सभी समूह अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे। जिन बच्चों को वर्ण की पहचान पुख्ता नहीं थी वे एक दूसरे को कार्ड दिखा कर वर्ण पूछ रहे थे। जबकि जिन बच्चों को वर्ण की पहचान हो चुकी थी शिक्षक द्वारा उन्हें इन्हीं कार्डों की सहायता से सरल शब्दों को बनाना और उनका उच्चारण करना सिखाया जा रहा था। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी सक्रिय था। शिक्षक प्रत्येक समूह में जाकर हिस्सा बनते हुए उनके द्वारा की जा रही गतिविधि को आगे बढ़ा रहे थे। इस कक्षा को देख कर कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण कक्षा अपनी सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सहजता से लगी हुई थी।

आधी छुट्टी की घंटी बज गई सभी बच्चों को पोषाहार के लिए जाना था। हम भी कक्षा में निकल कर प्रधानाचार्य के कक्ष में थे। अब समय था प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों से बातचीत करने का। बैठक में संस्थाप्रधान महोदय ने बताया कि विद्यालय में 682 बच्चे हैं और वरिष्ठ अध्यापक, लेवल-1 के 2-2 तथा व्याख्याता का एक पद रिक्त है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए समस्त शिक्षकों ने बताया कि किसी के पास कोई खाली कालांश

नहीं है। जिससे कक्षा नियोजन के लिए डायरी पोर्टफोलियो इत्यादि बनाने के कार्य में परेशानी होती है। उनकी समस्या जायज थी परन्तु समस्या का निदान उन्होंने ही बताया कि सभी लोग देर तक रुक कर या घर पर ले जाकर कार्य करते हैं। सभी बच्चों के पोर्टफोलियो तैयार थे। योजना डायरियों में पाक्षिक योजनाएँ बनी हुई थी। चैकलिस्टों में कार्य किया हुआ था। इस अनौपचारिक बैठक से ज्ञात हुआ कि तमाम तरह की व्यावहारिक परेशानियों के बावजूद एस.आई.क्यू.ई. के तहत इनके द्वारा किया जा रहा कार्य सन्तोष देने वाला जरूर है।

आधी छुट्टी समाप्त हो चुकी थी। अब हमें पुनः कक्षाओं में जाकर अवलोकन करना था। हम चाहते थे कि लगभग सभी विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाएँ देखें। चौथी कक्षा में गणित का शिक्षण प्रारम्भ हो चुका था। मैं एक बार फिर चौथी कक्षा में था। 50 बच्चों की कक्षा चार समूहों में बँटी थी प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्य के पास कंकड़-पत्थर थे। कक्षा स्तर के समूह के बच्चों के हाथ में कंचे थे। वे उन कंचों से तीन-तीन के समूह बनाकर गुणा के प्रत्यय को समझ रहे थे। दूसरे समूह में जोड़ बाकी की संक्रियाओं पर कार्य किया जा रहा था। शिक्षक बड़ी सक्रियता से चारों समूह के कार्यों का अवलोकन कर रहे थे। वे इस अवलोकन के दौरान किसी एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते और उनके साथ-साथ कार्य करने लग जाते। जब मैं कक्षा चार को देख रहा था तब मेरे साथी धीरेन्द्र जी कक्षा तीन की पर्यावरण की कक्षा में थे। उनके अनुसार वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। कक्षा में जीव-जन्तु अध्याय का अध्यापन चल रहा था। धीरेन्द्र जी ने जब बच्चों से चर्चा शुरू की तो बच्चे बड़ी मुखरता से चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ बच्चों को चर्चा के लिए उत्साहित करने के लिए पूरक और प्रतिपूरक बातों का अभाव दिखाई दे रहा था। धीरेन्द्र जी ने चर्चा की जिससे शिक्षक आगे बढ़ाने के लिए पूरक और प्रतिपूरक बातों को बच्चों के सामने रखने लगे थे।

किसी भी विद्यालय में सीखने-सिखाने का सही वातावरण बने इसलिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती। हालांकि इस विद्यालय में संस्था प्रधान अभी हाल ही में आए हैं परन्तु फिर भी वे विद्यालय को एक सधा हुआ नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। संस्था प्रधान महोदय ने बातचीत में बताया कि उन्हें एस.आई.क्यू.ई. के बारे में पहले जानकारी नहीं थी तब वे अपने शिक्षकों के साथ बैठकर इसे समझने का प्रयास करते थे। अब उन्होंने पीईईओ. के प्रशिक्षण के दौरान एस.आई.क्यू.ई. के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। हमारी प्राथमिकता सभी बच्चों को कक्षा स्तर तक लाने की है। देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं? हमने संस्थाप्रधान महोदय को इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। अब हमें लौटना था। बिसरासर से बीकानेर तक पूरे रास्ते में मेरी और धीरेन्द्रजी की चर्चा विद्यालय के बारे में चल रही थी। हमें लग रहा है कि हम कहाँ तक सफल होते हैं? इस प्रश्न में ही सफलता का राज छिपा है। उम्मीद तो है कि इस विद्यालय की टीम विद्यालय को सही मायने में लैब विद्यालय के रूप में स्थापित कर पाएगी। यह विद्यालय एस.आई.क्यू.ई. के लिए आसपास के विद्यालयों ही क्या समस्त हनुमानगढ़ जिले के लिए आदर्श बन सकेगा।

विद्यालय के शिक्षक जिनकी मेहनत से एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम सफलता के पायदानों की ओर अग्रसर है-

1. कर्मठता ही सब कुछ है:- इस विद्यालय के शिक्षक श्री रजिराम, अध्यापक लेवल-2, प्राथमिक कक्षाओं को हिन्दी पढ़ाते हैं। इनकी योजना डायरी को देखते ही इनकी एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम के प्रति समझ का अनुमान लगाया जा सकता है। इनसे जब इनकी योजना डायरी के बारे में बात की गई तो ये बताते हैं कि योजना को बड़ा सोच-समझकर बनाया जाना चाहिए। योजना ही हमारे सारी सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की नींव है। हिन्दी शिक्षण के बारे में वे बताते हैं कि बच्चे के लिए भाषा बहुत महत्त्वपूर्ण है। वह यदि इसे साध लेता है तो अन्य विषयों को सीखना उसके लिए आसान हो सकता है। वे यह भी कहते कि मुझे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों विशेष तौर पर कक्षा पहली के बच्चों के साथ काम करने में बहुत ही आनन्द मिलता है। जो बच्चे धीरे-धीरे सीखते हैं या कम सीखते है। उनको वहाँ चुनौती के रूप में लेते हैं। विद्यालय में हैड टीचर तथा शाला दर्पण जैसे दायित्वों का निर्वहन कर रहे रजिराम जी इन सब कार्यों के लिए विद्यालय समय के बाद रुकते हैं। ऐसे कर्मठ शिक्षक से मिलना सुखानुभूति देता है।

2. उम्र बाधा नहीं है-बिसरासर हनुमानगढ़ में प्राथमिक कक्षाओं में गणित पढ़ाने वाले लेवल-2 के 53 वर्षीय शिक्षक श्री कृष्ण कुमार बाना अपनी कक्षा में जिस सक्रियता से कार्य करते हैं उसे देख कर ऐसा लगता है कि उम्र सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में कहीं बाधक नहीं है। बातचीत के दौरान श्री बाना बताते हैं कि पहले की तुलना में अब कक्षा में पढ़ाने का अधिक आनन्द आता है। कक्षा के दौरान अलग-अलग समूहों में कार्य करने से बच्चों का सीखना ज्यादा सार्थक और स्थायी होता है। उनको अध्यापन करवाते हुए देखना सुविधादाता के रूप में शिक्षक की अवधारणा को पुख्ता करता है। इनका मानना है कि एस.आई.क्यू.ई. लागू होने के बाद से एक शिक्षक को अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे की स्थिति का पता चल जाता है। कृष्ण कुमार जी बताते हैं कि कक्षा में अपनी पाक्षिक योजना को लागू करने के लिए रोजाना दिमाग में योजना बनानी पड़ती है। वे बताते हैं कि रोजाना विद्यालय की छुट्टी के बाद रुककर कार्य करता हूँ। अपने कक्षा शिक्षण में छोटे कंकड़-पत्थर, ताश के पत्ते, लकड़ी के छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल कर गणित सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं। विद्यार्थियों के लोकल ज्ञान अर्थात् घर में पेड़ों की संख्या, मवेशियों की संख्या, फसल से प्राप्त उत्पादों की बोरियों को इकाई मानकर अपनी तरह के सवालों को निर्माण कर ये विद्यार्थियों के गणितीय दुविधाओं को सरलता से हल करने का अभ्यास से विद्यार्थियों में स्थायी ज्ञान के निर्माण में प्रोत्साहित करते हैं।

3. बच्चों के साथ बच्चा बन जाना ही असली बाल केन्द्रित शिक्षण है-श्री नेतराम जी इस विद्यालय में पर्यावरण विषय का अध्ययन करवाते हैं। इनकी कक्षा की जीवन्तता देखते ही बनती है। कक्षा एक से दो में जहाँ पर्यावरण के लिए अलग से किताब नहीं हैं वहाँ पर ये बच्चे के ज्ञान का उपयोग कर उसके आसपास के वातावरण को आधार बनाकर अवलोकन और वर्गीकरण जैसी दक्षताओं पर

कार्य करते हैं। पर्यावरण विषय के मूल को समझाते हुए ये बताते हैं कि बच्चे के आसपास जो भी है वह उसका पर्यावरण है। बच्चों से कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि अपने आसपास को जानता है। जरूरत बस इतनी है कि उसकी इस जानकारी को औपचारिक ज्ञान के साथ जोड़ दिया जाए। एस.आई.क्यू.ई. के माध्यम से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया आनन्ददायक हुई है। यह पूर्व की अपेक्षा अधिक कारगर है। गतिविधियाँ करवाने से बच्चों के जवाब आते हैं जो इन्हें उत्साहित करते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है इसको आधार बनाकर ये अपनी कक्षा को नियोजित करते हैं। इनका मानना है कि बच्चों के साथ काम करते हुए यदि हम अपने बचपन में लौट जाते हैं अर्थात बच्चे बन जाते हैं तो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया अधिक कारगर हो जाती है।

4. हम भी रोज सीखते हैं–श्रीमती रतन देवी इस विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी का अध्यापन करवाती हैं। हालांकि अंग्रेजी उनका मूल विषय नहीं है परन्तु वे अंग्रेजी सीखने-सिखाने को एक चुनौती के रूप में लेती है। जहाँ कहीं विषयगत परेशानी आती है अन्य शिक्षकों से उसके बारे में चर्चा कर उसे दूर कर लेती हैं। वे बताती हैं कि अंग्रेजी शिक्षण के दौरान वे स्वयं भी सीखती हैं। कई बार जटिल शब्दों के उच्चारण में जब वे परेशानी महसूस करती हैं तो अपने मोबाइल की डिक्शनरी में उस शब्द को डालकर पहले स्वयं उसका उच्चारण सीखती हैं फिर बच्चों को सिखाती हैं। बातचीत के दौरान वे बताती हैं कि कक्षा में जीवन्त वातावरण में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में आनन्द की अनुभूति होती है। सतत आकलन के माध्यम से हमें ज्ञात होता रहता था कि बच्चा कितना और कैसे सीख रहा है। कक्षा में बाल केन्द्रित शिक्षण अपनाने से कक्षा जीवन्त हो जाती है। इसमें सीखने वाला जितना आनन्द लेता है उतना ही आनन्द सिखाने वाला भी ले सकता है बशर्ते वह कक्षागत प्रक्रिया में गतिविधियों को सही और सार्थक ढंग से प्रतिपादित करे।

व्याख्याता
एस.आई.क्यू.ई प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
मो. 9414031050

बाल निर्माण नवाचार

शनिवार को हो बस्ते की छुट्टी

❒ संदीप जोशी

शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का आधार है। सा विद्या या विमुक्तये हो, विद्या ददाति विनयं हो, मन-बुद्धि आत्मा के विकास की बात हो अथवा बालक की अन्तर्निहित शक्तियों के प्रकटीकरण की बात। शिक्षा जीवन का आधार है, शिक्षा के बारे में मूल भारतीय चिंतन यही है। विभिन्न विद्वानों और विचारकों ने शिक्षा की परिभाषा में अलग-अलग शब्दों में इन्ही भावों एवं उद्देश्यों को रेखांकित किया है। किंतु वर्तमान शिक्षा व परीक्षा प्रणाली बालक को केवल रटना सिखा रही है, अधिकाधिक अंकों की दौड़ में प्रतिस्पर्धी मात्र बना रही है। सर्वांगीण विकास की बात अधूरी रह जाती है। बालकों की जन्मजात प्रतिभाएँ, रुचियाँ एवं नैसर्गिक बचपन इस होडा-होडी में उलझ कर रह गये है। भारी भरकम बस्ते के बोझ तले पिसता बचपन अभिभावकों एवं स्कूल की उच्च अपेक्षाओं की बलि चढ रहा है। बाल सुलभ जीवनचर्या के विपरीत उसका जीवन तनावपूर्ण हो रहा है। यह मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रीयों एवं शिक्षाविदों के लिए भी चिन्ता का कारण बना है।

बस्ता शिक्षा का आधार नहीं है, न ज्ञानार्जन की प्रक्रिया भारी भरकम बस्ते पर अवलम्बित है। विद्यालय से छुट्टी के बाद बालक घर जाकर जिस तरह से बस्ते को पटकता है उससे बालमन पर बस्ते और स्कूल के तनाव को सहजता से समझा जा सकता है। आइये कोशिश करें-बालक को तनाव मुक्त, आनंददायी, सृजनात्मक/प्रयोगात्मक शिक्षा देने की। वर्तमान में चल रही शिक्षा प्रणाली में बिना ज्यादा बदलाव किए, वर्तमान दायरे में रह कर भी शिक्षा को सहज, बोधगम्य, तनाव रहित, व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विकास करने वाला बनाया जा सकता है। ऐसी अनेक बातें है, विषय है जो क्रिया आधारित है। जिनके लिए पाठ्यपुस्तक, कॉपी या बस्ते आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान समेत अनेक राज्यों में कर्मचारियों के लिए 'फाइव डे वीक' है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी सप्ताह में पाँच दिन कार्य दिवस होते है एवं सीबीएसई. बोर्ड से संबद्ध केन्द्रीय विद्यालयों में भी शनिवार-रविवार की छुट्टी होती है। मेरा सुझाव है कि सप्ताह में एक दिन बस्ते की छुट्टी कर दी जाए।

शनिवार को विद्यालय की छुट्टी भले न करे पर बस्ते को छुट्टी अवश्य कर देनी चाहिए अर्थात् बच्चे एवं स्टाफ विद्यालय तो आवे किंतु बस्ते के बोझ से मुक्त होकर व होमवर्क के दबाव के बिना।

सहज प्रश्न खडा होता है कि यदि बच्चे बस्ता नहीं लाएँगे तो विद्यालय में करेंगे क्या? समाधान है सप्ताह में एक दिन बच्चे शरीर, मन, आत्मा का विकास करने वाली शिक्षा ग्रहण करेंगे। अपनी प्रतिभा का विकास करेंगे। शिक्षा शब्द को सार्थकता देंगे। आनंददायी वातावरण में उल्लासपूर्वक विद्यालय समय में हर गतिविधि में सक्रिय सहभागी होंगे।

शनिवार की अध्यापन एवं कालांश की योजना:– शनिवार को भी नियमानुसार कालांश तो लगेंगे पर उनका प्रकार कुछ बदला-सा होगा। सुझाव स्वरूप यह कालांश योजना प्रस्तुत है जिनके आधार पर दिनभर की गतिविधियाँ सम्पन्न होंगी।

प्रथम कालांश–योग, आसन, प्राणायाम–

व्यायाम :– प्रार्थना सत्र के पश्चात पहला कालांश योग-आसन, प्राणायाम, व्यायाम का रहे। बालक का शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत बनेगा तो निश्चित रूप से अधिगम भी

प्रभावी होगा। जीवनपर्यंत प्राणायाम–व्यायाम के संस्कार काम आएँगे। विश्व योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है वह भी लगभग 40 मिनिट का है उसका अभ्यास हो सकता है। उसमें खड़े होकर, बैठकर किये जाने वाले आसन, सामान्य व्यायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम–विलोम, भ्रामरी, ब्रह्मनाद, कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि का अभ्यास करवाया जाए।

द्वितीय कालांश–श्रमदान / स्वच्छता / पर्यावरण सरंक्षण

इस कालाशं में विद्यालय परिसर की स्वच्छता का कार्य, श्रमदान एवं पर्यावरण संबंधित कार्यों का निष्पादन होगा। विद्यालय में वृक्षारोपण, उनकी सार संभाल, सुरक्षा, पानी पिलाना, आवश्यकता होने पर कटाई–छंटाई, कचरा निष्पादन आदि कार्य। साल में एक बार सार्वजनिक स्थल की सफाई, श्रमदान जैसे आयोजन भी हो सकते है।

तृतीय कालांश–संगीत अभ्यास

इस कालांश में गीत अभ्यास, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा, प्रार्थना का अभ्यास हो। उपलब्ध हो तो वाद्ययंत्र का अभ्यास और डांस क्लास (नृत्य अभ्यास) भी इस कालांश में करवाया जा सकता है।

चतुर्थ कालांश–खेलकूद

कुछ खेल इनडोर हो सकते है कुछ आउटडोर हो सकते है सामान्यता खेल मैदान में हो, खेलते समय बच्चों को धूप सहन हो जाती है क्योंकि वे मस्ती में रहते हैं। दूसरा यदि धूप सहन न हो तो भी अभ्यास करना चाहिए। सब तरह के मौसम एवं परिस्थिति में ढलने वाले युवा ही तो तैयार करने है। अत्यधिक धूप की स्थिति में कक्षा कक्ष में ही बौद्धिक खेल, छोटे समूह के खेल इत्यादि हो सकते है।

पंचम कालांश–अभिव्यक्ति कालांश

कविता, नाटक, वाद–विवाद समूह चर्चा कर (ग्रुप डिस्कशन) अंत्याक्षरी (हिन्दी–अंग्रेजी) चित्रकला इत्यादि। बस्ता नहीं लाना है तो चित्रकला की कॉपी भी नहीं लानी है। श्यामपट्ट पर, कक्षा कक्ष अथवा बरामदे में फर्श पर चाक से, मैदान में पेडों की छाँव तले मिट्टी पर पानी छिड़क कर छोटी लकड़ी से भी चित्र बनाए जा सकते हैं। मैदान के कंकरों की सहायता से रंगोली भी बनायी जा सकती है।

षष्ठम कालांश–पुस्तकालय एवं वाचनालय

इस कालांश में सभी कक्षाओं में छात्र संख्या के अनुरूप पुस्तकें वितरित की जाए। पुस्तकालय प्रभारी संबंधित कक्षाओं के शिक्षकों को पुस्तकें देंगे। शिक्षक स्वयं भी कक्षा कक्ष में रहेंगे। छात्रों में पुस्तकें वितरित कर कक्षा में ही उनका पठन करना है। इस कालांश में पढ़वाकर पुन: शिक्षक के माध्यम से पुस्तकालय प्रभारी को

जमा करना है। कक्षा कक्ष में ही पढकर वापिस लौटानी है अत: रिकार्ड रखने के समय को बचाया जा सकता है। अन्यथा पूरे पीरियड में पुस्तकालय पंजिका में हस्ताक्षर ही चलते रहेंगे।

सप्तम कालांश–मौखिक गणित एवं भूगोल

पहाड़ा अभ्यास, सामान्य गणितीय क्रियाओं का मौखिक अभ्यास, जोड़ बाकी गुणा भाग, प्रतिशत बट्टा आदि। साथ ही इस कालांश में सामान्य ज्ञान, मानचित्र परिचय, विश्व, भारत, राजस्थान के राजनैतिक, प्राकृतिक मानचित्र का अवलोकन, उसमें शहर, नदी, पर्वत खोजना इत्यादि। उपलब्ध हो तो कम्प्यूटर शिक्षण भी हो सकता है।

अष्टम कालांश–अभिप्रेरणा

बालसभा, बोधकक्षा, नैतिक शिक्षा, कैरीयर गाईडेंस इत्यादि। सप्ताह भर में आने वाले सभी उत्सव एवं महापुरूषों की जयन्तियों का आयोजन भी इस कालांश में हो सकता है।

नोट–पहला एवं अन्तिम कालांश सामूहिक रहे। शेष कालांशों के विषय सुझाव स्वरूप उल्लेखित किए है। इनका क्रम विद्यालय स्तर पर सुविधानुसार निर्धारित किया जा सकता है, कक्षानुसार बदला जा सकता है।

इस प्रकार शनिवार को बस्ते की छुट्टी करके शिक्षा को बहुआयामी बनाया जा सकता है। पाँच दिन जमकर पढ़ाई छठे दिन व्यक्तित्व विकास, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति। मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बिना बदलाव के, बिना किसी वित्तीय भार के शिक्षा को इस एक छोटे से उपाय से विद्यालय परिसर को जीवन निर्माण केन्द्र बनाया जा सकता है। आनेवाली चुनौतियों (सामाजिक स्वास्थ्य एवं नैतिक मूल्यों) से सामना करने वाली पीढ़ी के निर्माण में इस विचार की क्रियान्विति महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है।

व्याख्याता
रा.उ.मा.वि रेवत, जालोर (राज.)
मो. 9414544197

पुस्तक समीक्षा

टांय टांय फिस्स

व्यंग्यकार : डॉ. नीरज दइया **प्रकाशक** : सूर्य प्रकाशन मंदिर, दाऊजी रोड (नेहरू मार्ग) बीकानेर **संस्करण :** 2017 **पृष्ठ :** 96 **मूल्य :** ₹ 200

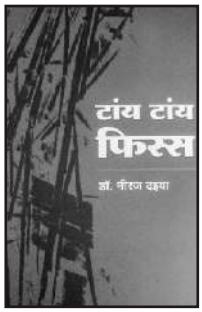

राजस्थान के व्यंग्य लेखन परिदृश्य में आज फारुख अफरीदी, अतुल चतुर्वेदी, अनुराग वाजपेयी, अजय अनुरागी, बुलाकी शर्मा, मधु आचार्य 'आशावादी', नवनीत पांडेय और अब नीरज दइया भी शामिल हो गये। डॉ. नीरज दइया के सद्य प्रकाशित व्यंग्य संग्रह 'टांय टांय फिस्स' में उनके चालीस व्यंग्य संकलित हैं। इन व्यंग्य रचनाओं से गुजरते हुए कहा जा सकता है कि डॉ. नीरज दइया उन व्यंग्यकारों में से एक हैं जिनके लेखन में भौतिकतावादी संस्कृति का एहसास हावी नहीं हुआ हैं। अथवा यूं कह लीजिए कि वे अपनी चिंताओं में मनन करने वाले अन्वेषी हैं। अन्वेषक का काम ही अनुसंधान करने का होता है। नए-नए तथ्यों को तलाशना और उस पर मौजूं तरीके से अपनी बात को कहना होता है, जिस पर नीरज दइया को विशेष अधिकार प्राप्त है।

नीरज दइया के व्यंग्य आज समकालीन परिदृश्य में गंभीरता से अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, उनकी यह चिंता व्यंग्यधर्मिता के प्रति उनके मौलिक चिंतन को जहां व्यक्त करती है, वहीं उनकी सक्रियता को भी दर्शाती है कि क्यों एक कवि-कथाकार व्यंग्य लिखने को विवश हुआ। उनका समाज के प्रति दायित्वबोध व्यंग्य के माध्यम से अपनी चिंताओं के साथ अभिव्यक्त हुआ है।

संग्रह के आरंभ में प्राक्कथन में वरिष्ठ साहित्यकार भवानीशंकर व्यास 'विनोद' ने लिखा है- 'डॉ. नीरज दइया एक बहुश्रुत और बहुपठित लेखक है।' इस उक्ति के साक्ष्य में देखें तो संग्रह में संकलित विविधवर्णी व्यंग्यों में नीरज के लेखन में एक ताजगी दिखती है, वह विषयों को समाज से ही उठाते है लेकिन उसको प्रस्तुत निराले ढंग से करते हैं।

संग्रह की सभी व्यंग्य रचनाओं में एक स्थाई चरित्र के रूप में 'पंच काका' की उपस्थिति से अपनी मौलिकता और निजता बनी है। 'पंच काका' के माध्यम से अनेक सत्यों को उद्घाटित किया है तो व्यंग्यकार नीरज दइया ने व्यंग्य करते हुए खुद को भी नहीं छोड़ा है। वे अपने आप पर व्यंग्य करने का कौशल रखते हैं इसीलिए उनके व्यंग्य में शालीनता और शिष्टता एक स्थाई भाव के रूप में देखी जा सकती है।

विगत दो वर्षों से मैं उनके लेखन का साक्षी रहा हूँ, वे नियमित रूप से कॉलम लेखन में भी हाथ आजमा रहे हैं। उनका यह हुनर पक्का तीरंदाज बनाने में कामयाब रहा है। रोजमर्रा के विषय कब व्यंग्य के विषय बन जाते हैं और कब विसंगतियाँ उस पर हावी हो जाती हैं। यह एक प्रकार की बेचैनी है, जो लेखक को औजार देती है कि अब आपका काम है कि रन्दे से उस वास्तविकता को निखार कर उसे नए अर्थ से भर दें, या उसे परिभाषित कर दें। नीरज दइया के लेखन में कहीं कोई दुराव या छिपाव नहीं है। जैसे बड़ी कंपनियाँ अपने उत्पाद को बेचने के लिए हथकंडे अपनाती हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कोई कंडीशन अप्लाई वाला बोर्ड यहाँ चस्पा नहीं। अपने लेखन से विशुद्ध सरोकार रखने वाले व्यंग्यकार नीरज दइया कभी किसी दौड़ में शामिल नहीं रहे। लेकिन लेखकीय गुण, माहौल उन्हें शुरू से ऐसा मिला कि वे खुद भी मौलिक लेखन के अंतर्गत कविता-आलोचना और अनुवाद-कर्म करते हुए व्यंग्य लेखन में पूरी ठसक के साथ आ गए।

समकालीन व्यंग्य रचनाओं में बदलती स्थितियों के साथ त्वरित टिप्पणियाँ भी शामिल होने लगी हैं। हर्ष का विषय है कि इस संग्रह में समकालीनता का आग्रह होते हुए भी स्थितियों पर गहनता से सोच-विचार कर उनको आधार बनाया गया है। जीवनानुभव और जीवन की स्थितियों से मुठभेड़ करते हुए नीरज दइया ने मीठी आलोचना का मीठा फल!!, रचना की तमीज, 'सामान्य' शब्द कैसे है सामान्य, खाने-पीने की शिकायत, विकास का गणित, साहित्य माफिया, याद नहीं अब कुछ, बेइमानों पर पड़ी बड़ी मार और टांय टांय फिस्स आदि व्यंग्य लिखते हुए व्यंग्य की लाठी को बचाए रखा है।

नीरज दइया का लेखन विश्वसनीय है। समाज के विषय अब उनके विषय होते जा रहे हैं। व्यंग्य लेखन का दर्द वे समझते हैं और तभी उनके पास विसंगतियाँ आकर मुस्कराने लगती हैं। उनके तेवर को देख कर लगता है कि उनकी आलोचना में भी अच्छी पकड़ हो सकती हैं। विषय में से अपने हिस्से की धूप निकाल लेना नीरज दइया भली-भांति जानते है। टांय टांय फिस्स व्यंग्य संग्रह के व्यंग्य निश्चित ही पठनीय हैं और पाठकों द्वारा पढ़े जा रहे हैं। व्यंग्य-यात्रा के सम्पादक डॉ. प्रेम जनमेजय का यह कहना कि व्यंग्य लेखन ऐसा धारदार विषय है कि वह इतना पैना है कि सामने वाले को भयभीत कर दे, लेकिन बिना अहित किए। इससे साफ जाहिर है कि नीरज दइया के पास एक सशक्त भाषा है जिसका उपयोग वे अपने लेखन में बेबाक तरीके से कर रहे हैं। कहीं-कहीं उनके लेखन में हरीश नवल जैसे अत्यंत शालीन व्यंग्यकार बोलते दिखते हैं तो लगता है कि 'टांय-टांय फिस्स' को पहिचान मिलने में अब देर नहीं। नीरज दइया को लेखन में श्रीलाल शुक्ल होना है, तो मार्के का सुभाष चन्दर भी। फिलहाल व्यंग्यकार डॉ. दइया को शुभकामनाएँ कि उनका लेखन यशस्वी हो, वे अपने पाठक अर्जित करें। पुस्तक के सुरुचिपूर्ण मुद्रण और आकर्षक प्रस्तुति के लिए प्रकाशक साधुवाद के पात्र हैं।

समीक्षक : डॉ. लालित्य ललित

सम्पादक, नेशनल बुक ट्रस्ट,इंडिया,
नेहरू भवन, 5, इंस्टिट्यूशनल एरिया,
फेज-2, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070

जीवन अमृत का प्याला

लेखक : कान्ता चाडा, **प्रकाशक** : स्वामी वीरेन्द्रानंद प्रकाशन, इन्द्रलोक, हनुमान हत्था, बीकानेर (राज.) **संस्करण** : 2015 **पृष्ठ संख्या** : 212 **मूल्य** : ₹ 250

मनीषियों ने काव्य सृजन के विविध प्रयोजन बतलाए हैं। कविता किसी के लिए आनंद की वस्तु है तो किसी के लिए संस्कारों का स्रोत भी। कविता हथियार भी है और कविता औजार भी। कवयित्री कान्ता चाडा ने कविता को एक औजार के रूप में बरता है। एक कुशल कारीगर औजारों के माध्यम से शिला-प्रस्तरों को तराशकर विश्व वंद्य प्रतिमाओं को आकार देता है, यहाँ 'जीवन अमृत का प्याला' की कविताएँ मानव को जीवन के तनावों, द्वंद्वों, उहापोहों से उबारकर उसे संस्कारित करने, राष्ट्रप्रेम, प्रकृति प्रेम एवं परस्पर आत्मीयता का भाव भरने में एक औजार के रूप में प्रयुक्त हुई है।

कवयित्री ने इस काव्य संग्रह को ग्यारह खंडों में विभाजित किया है- वंदना, राष्ट्र आराधना, प्रकृति, समरसता, युगदंश, जीवन स्त्री विमर्श, रिश्ते, सौंदर्य एवं प्रभु को नमन आदि उप शीर्षकों में विभाजित इस संग्रह की 101 कविताएँ मानव जीवन का एक सुंदर इन्द्र धनुष लेकर आई हैं जिसमें धरती और प्रकृति के प्रति अप्रतिम प्रेम प्रकट होता है, दरकते रिश्तों को बचाने का प्रयास है, नारी मन की संवेदनाएँ एवं पीड़ाएँ है, प्रभु के प्रति समर्पण भाव है, बालक के प्रथम गुरु माँ के प्रति असीम श्रद्धा के साथ मनुष्य के जीवन को अमृत का प्याला बनाने का स्तुत्य प्रयास है।

इस संग्रह की भूमिका में साहित्य जगत के मूर्धन्य विद्वान भवानी शंकर व्यास 'विनोद' लिखते हैं-''कविताओं में प्रेम है पर प्रेम का उन्माद नहीं, अध्यात्म है पर कर्मकाण्ड वाला आडम्बर नहीं, वैचारिकता है पर व्यर्थ की वाचालता तथा मिथ्या चमक दमक का आतंक नहीं, देह का सौंदर्य है पर देह की वासना नहीं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कविता के इस ब्रह्माण्ड में अंतर जगत और बाह्य जगत या व्यक्ति और समाज की विभाजन रेखा नहीं है बल्कि दोनों के बीच एक निरन्तर विकासशील द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध है।''

माँ सरस्वती की आराधना से काव्यारम्भ करते हुए श्रीमती कान्ता चाडा ने इस देश की माटी को प्रणाम करते हुए 'राष्ट्र आराधना' में सुन्दर गीतों की काव्यांजलि दी है-

युगों-युगों से जहाँ बह रही,
नेह प्यार की निर्मल धार

विश्व शांति का अग्रदूत भाईचारे का भाव यहाँ भारत की माटी को आओ मिलकर करें प्रणाम।

कवयित्री को राजस्थानी माटी से असीम स्नेह है। राजस्थान प्रकृति-संस्कृति में रची-बसी लेखिका सदैव स्वयं को राजस्थानी ही कहलाना चाहती हैं-

बार-बार इस धरा में आऊँ,
जनम-जनम माँ तुझे ही पाऊँ।
राजस्थान की जन्मी जाई,
राजस्थानी ही कहलाऊँ।।

ईश्वर की चाह में मानव कहाँ-कहाँ नहीं भटकता लेकिन तीर्थ, व्रत, उद्यापन, छप्पन भोग का प्रसाद सब निष्फल है यदि आत्मा का निश्चल स्नेह व आनंद नहीं है। 'समरसता' खंड में कवयित्री ने यही कुछ कहने का प्रयास किया-

नेह तरुवर की छावं में, बजती प्रेम की बंशी
आनंद भाव बहता है, वहीं रहते हैं भगवान।

'युगदंश' खंड की कविताएँ मानवीय करुणा को उजागर करती है। आतंक, कन्या भ्रूण हत्याएँ, विविध कारणों से त्रस्त मानव समाज की पीड़ा को प्रस्तुत करते हुए भी जीवन के प्रति सकारात्मक भाव उजागर हुए हैं-

लहुलुहान होती उम्मीदें
दम तोड़ते सपने/अंधेरे का सीना चीरती
आशा की एक नन्हीं किरण/फिर भी जीने की चाह। धुआँ होते शहर में।

वैसे तो पूरे काव्य संग्रह में ही नारी मन को टटोला गया है किंतु 'माँ', 'स्त्री विमर्श' व 'रिश्ते' खण्डों में नारी के व्यक्तित्व को असीम ऊँचाई भी दी है-

माँ का स्वरूप/प्रभु का पर्याय है/प्यार भरी गोद में/पुण्य चार धाम का/हर तीर्थ से बढ़कर/महान है माँ।

'अहिल्या' शीर्षक कविता में नारी को झकझोरते, झिंझोड़ते हुए कवयित्री ने उसी से प्रश्न भी किया है- 'युगों-युगों से अभिशप्त होती/कुलटा पतिता परित्यक्ता/क्या तुझे राम तारने आएँगे ???/पुरुष से अपमानित होती/क्या फिर वही तुझे उबारेंगे?

प्रस्तुत काव्य संग्रह में समसामयिक विषयों, जीवन की त्रासदियों, मानव जीवन की नश्वरता, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक व प्राकृतिक सौंदर्य सहित अनेक विषयों का समावेश है। काव्य संग्रह की भाषा सहज-सरल व भाव प्रधान है। गीतों में गद्य रूप की अनुभूति भी महसूस होती है। गीतों में लयात्मकता व गेयात्मकता की कमी अखरती भी है परंतु काव्य संग्रह का सर्वाधिक सबल पक्ष है कवयित्री का सकारात्मक दृष्टिकोण। इस संग्रह की कविताएँ जीवन में आशा व सम्भावनाओं का संचार करती है। जीवन के प्रति उत्साह व आनंद का नाद करती है। कवयित्री को सकारात्मक संदेश की कविताएँ सृजन करने हेतु साधुवाद।

समीक्षक : **शिवराज भारतीय**
प्रधानाचार्य,
मालियों का बास, नोहर-335523
मो: 9414875281

गजरो

गीतकार : शिवराज छंगाणी, **प्रकाशक** : राजस्थान साहित्य संस्थान जोशीवाड़ा, बीकानेर **प्रथम संस्करण** : 2015 **पृष्ठ संख्या** : 96 **मूल्य** : ₹ 195

श्री शिवराज छंगाणी, राजस्थानी के वरिष्ठतम साहित्यकार हैं। रेखाचित्रों के अद्वितीय चितेरे श्री छंगाणी गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में सृजनरत रहे हैं। गद्य में इन्होंने राजस्थानी में रेखाचित्र विधा को मान दिलाया वहीं पद्य में कविता, गीत और गजलें भी लिखी हैं।

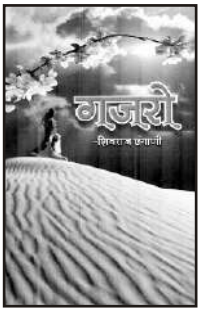

श्री छंगाणी राजस्थानी एवं हिन्दी के प्रतिनिधि एवं मूर्धन्य कवियों सर्वश्री मेघराज 'मुकुल', गजानन वर्मा, किशोर 'कल्पना कान्त', रेवत दान चारण, सीताराम महर्षि, मनुज देपावत, रघुराज सिंह हाड़ा, सत्य प्रकाश जोशी, भरत व्यास, लक्ष्मण सिंह रसवंत, कानदान 'कल्पित', भीम पांडिया, मो. सदीक, धनंजय वर्मा एवं हरीश भादाणी के साथ सैकड़ों मंच साझा कर अपने सुमधुर कण्ठों सें कवि सम्मेलनों में लाखों श्रोताओं से वाहवाही लूट चुके हैं।

आज तो मंचीय कवि सम्मेलनों का दौर दयनीय स्थिति में पहुँच चुका है। कवि सम्मेलनों का स्थान कवि गोष्ठियों ने ले लिया है, जिसमें श्रोताओं के अभाव में कवि-गीतकार स्वयं ही श्रोता बन एक-दूसरे को सराह देते हैं। गीत-कविताएँ आज पाठकीय सामग्री बन गए हैं। मंचीय कवि सम्मेलनों के माध्यम से उन कवियों ने जनजीवन में लोक चेतना जागृत कर राजस्थानी भाषा को उचित मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठित पद दिलाने में स्मरणीय भूमिका निभाई।

समय-समय पर रचित 47 गीत एवं 17 गजलों का गजरा बनाकर छंगाणी जी ने 96 पेज की पुस्तक का रूप देकर पाठकों को एक ही स्थान पर सभी रचनाओं को पढ़ने का सुख देने का सुअवसर दिया है।

इन गीतों की भाषा मन को छू लेती है। लोकगीतों की धुनों पर गाए इन गीतों में मानवता एवं जनचेतना जागृत करते हुए, सुधी पाठकों को भी गुनगुनाने हेतु बाध्य कर देते हैं, गीतकार छंगाणी। इन्होंने जीवन के विविध आयामों को समाहित करते हुए जीवन की घनीभूत पीड़ा दायी मानवीय अनुभूतियों सहित आनन्द के क्षणों को भी अपने गीत-गजलों के माध्यम से सहज एवं सुन्दर अभिव्यक्ति प्रदान की है।

ये गीत भाषा-शैली, भाव बिम्बों एवं प्राकृतिक-नैसर्गिक सौन्दर्य परक उपमानों के सुष्ठु प्रयोग द्वारा प्राणमय हो उठते हैं। छंगाणी के

गीतों में लोकगीत बन जाने की ऊर्जा है। ये गीत मनुष्य की मुक्ति, स्त्री-पुरूषों के निश्छल नेह की वाणी है। वीरों की वीरता की अनुगूंज है वहीं कृषकों के नवजागरण का आह्वान भी इसी वाणी में है। सावण-फागण जैसी ऋतुओं का मन मोहक चित्रण है वहीं मेहनतकश मजदूरों की आवाज को बुलन्दी दी है। ये सब आवाजें मिलकर बन जाती है राजस्थान की आवाज।

छंगाणी जी ने अपने गीतों के माध्यम से अनुभूत सत्य को वाणी देने का प्रयास किया है। कहने में सीधी-सरल-सी लगने वाली बातें हो सकती हैं परन्तु मर्म गहराई समेटे हुए बहुत ही हृदय स्पर्शी होता है। 'घणजायां घण हाण' मुहावरे का प्रयोग इसी शीर्षक से गाए गीत में मन को छू लेता है। इस गीत की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-

बधै मानखो दिन दूणो अर घटै जमी रो माण।
गजब गरीबी फोड़ा घालै, दुःखी हुए इनसाण।।
घणजायां...

कवि देश में प्रगति होते हुए देखने का इच्छुक है। इस हेतु देश को हरा-भरा बनाने का आह्वान करते हुए हमें श्रम की साधना का संदेश देता है। 'देश ने हर्‌यो बणावालां' गीत की ये पंक्तियाँ देखिए-

उठा कुदाली, उठा फावड़ा,
खुरपी कसियो ले रे बावळा।
हळ जोतण नै चालां अळसायै
भारत रा पाछा भाग जगावांला।।

सौंदर्य एवं रूप के पुजारी छंगाणी द्वारा सृजित गीत 'रूप री डळी' गीत को कवि सम्मेलनों में बहुत चाव से सुना जाता था। उसकी अग्रांकित पंक्तियाँ दिल को छू लेने में सक्षम हैं-

सुण ऐ कामणगारी, मिरगानैणी, रूप री डळी,
बागां, भंवरां सूं क्यूं मुळकै, ऐ जमाने री कळी।
कमळाया फूलां री सुंघ नै, कद भंवरा पाछा घिर जोवै,
ऐ भोळी! सौ-सौ मूरत ध्यावणै सूं आस कद फळी।।

कवि को प्रकृति से बड़ा लगाव है। प्रकृति-सौन्दर्य चित्रण में सिद्ध हस्त गीतकार रात्रि के सौन्दर्य को इन शब्दों में गा उठता है-

रात-रात भर चांदो जाग्यो सिस्टी सगळी सोई,
खेजड़ल्यां स्सै पौरा देवै, कुण कैवैआरिन्ध रोई।
घोळा-घोळा घोरां माथै, मधरी-मधरी चालै पून,
आंखड़ल्यां सुपना संजोया, मस्त रैवै मिनखा जूण।।

इसी भांति वर्षा ऋतु में गाए गीत 'धरा रो मोर नाचै रै' में प्राकृतिक सौन्दर्य चित्रण हरेक का मन मोह लेने में सक्षम है-

बादळ रिमझिम,रिमझिम बरस धरा रो मोर नाचै रे
चारू मेर बायरियो चपळो, धूम मचावै रे,
कीकर, कैरां, फोगसागै बीण बजावै रे,
तरूं-तरूं तीतरड़ा बोलै, धूड़ चिड़कल्याँ न्हावे रे।
पालर पाणी बरस, क्यूं कोरै अंबर गाजै रे।
धरा रो मोर.....

स्वतंत्रता प्राप्त होते देश में खुशहाली का वातावरण छा गया, गीतकार भी अछूता नहीं रहा। अपने मन के उद्‌गार प्रगट करते हुए गा उठता है 'आओ थानै मंत्र बताऊँ'। इसी गीत में कवि कहता है-

आओ थानै मंत्र बताऊँ, गीत गणतंत्र रा गाऊँ,
मीठी मिसरी राग सुणाऊँ, हिवड़ै मुळक-
मुळक हरखाऊँ। म्हारा भाईड़ा....
जाग्यो जनता रो विस्वास,
फळगी भारत मा री आस
हुयग्यो अंधियारै रो नास,
मिळसी अब तो सुख री सास।
धरती जनजीवण सरसावण
पाछो रामराज नै ल्याऊँ।। म्हारा भाईड़ा.....

कवि लोकतंत्र में द्रढ़ आस्था प्रगट करते हुए उसकी सफलता के गीत गाता रहा परन्तु लोकतंत्र में व्याप्त भाई-भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर कुछ ही वर्षों बाद कवि का स्वंर बदल गया और उसने गाया-

ढब्बां खेती ढब्बां न्याव,
म्हैं थानै चावूं थूं मानै चाव,
जुगरी रीत बदळती जावै
हेत-प्रीत सूं कुंण बिलमावै।
आप आपरी रोटी सेकण,
चूल्हा न्हारा सै सिळगावै
बदली हाट, बदळग्या भाव,
ढब्बां खेती ढब्बां न्याव....

लोकतंत्र में जनमत की मनोकामनाएँ अधूरी रह जाने पर गीतकार का हृदय आहत हो उठता है। वह हताशा के गीत गाने को बाध्य हो जाता है-

बाजै छः बाजै रुण झुणियो
ओ लोकराज रो रुण झुणियो,
ओ वोटराज रो रुण झुणियो,
ओ खोटराज रो रुण झुणियो,
बाजै छैः बाजै रुण झुणियो।

इसी भाँति 'जै गोविन्दा जै गोपाल' गीत में जनता जनार्दन की आवाज को मुखर करते हुए गा उठते हैंः-

जै गोविन्दा, जय गोपाल,
भजले कुरसी मालोमाल,
जिणरी लाठी उणरी भैंस,
राम राज री रास तिसळगी।
मनमरजी री चालै चाल,
जै गोविन्दा जै गोपाल।।

कवि 'दिवला सुणले म्हारी बात' गीत में दीपक के बहाने लक्ष्मी को उपालंभ देते हुए मध्यम वर्ग का दर्द बाँटते हुए कहते हैः-

दिवळा! सुणले म्हारी बात,
जळतो रैइजे सारी रात।
खुणै-खुणै ताक रैयो है
अंधियारो घण घालै घात।।
वानर माळ सजै निरवाड़ी,
धन धरती रो बहयो आंतरो।
लिछमी अब थूं किण ने व्हाली,
पूजा रै पानै में बांचूं, कियां थारी ख्यात।।

कवि हृदय से विरहिणी की पीड़ा भी असह्य हो जाने पर गीतकार उसकी पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त करता है-

तारां छाई रात, ढोला अब तो आजा रे,
मरवण जो वै बाट/ढोला अब तो आजा रे/ढोला अब तो सोनलिया धोरां री धरती, तन्नै नूंत बुलावै/हिवड़ै हरियाली छाई- सपना नींद छळावै/मैंदी रचिया हाथ/ढोला अब तो आजा रे, ओळूं आवै आथ ढोला अब तो आजा रे।

गीतकार छंगाणी ने गजलें भी सुनाई है। 'जिन्दगी' गज़ल में कवि संघर्ष को महत्त्व देते हुए गज़ल सुनाते हैं-

जीवण री जुगती जाणै, बा जिन्दगाणी
मिरतू री मनवार करै बा जिनगाणी।

'लोग' शीर्षक गजल में छंगाणी कहते हैं-

धापियोड़ा भासण, बधार रैया लोग।
ठूंठा हा सरवा, बणाय रैया लोग।।

रिश्वत को रोग घोषित करते हुए गज़लकार छंगाणी ऐसे गाते हैंः-

आंबौ मांय आकड़ा उगाय रैया लोग।
क्यारी मांय बध रैया थोरड़ा अण थोग।।
दूजां नै कैवां कियां, आपणां में दोष।
जड़ां तांई पूगग्यो रिस्वत रो रोग।।
भूमि चोर भोमियां री बध रैयी भीड़।
राजरोग लागताई खावै राज भोग।।

कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छंगाणी जी के गीत एवं गजलों का ये संग्रह सराहनीय है। सुमधुर एवं मनमोहक गीतों का यह बहुरंगी गजरा पठनीय तो है ही, संग्रहणीय भी है।

नयनाभिराम आवरण, सुन्दर साज सज्जा एवं कलात्मक मुद्रण के लिए बधाई।

समीक्षक : **भंवरलाल 'भ्रमर'**
रामजी री कुटिया, एम.एम. ग्राउण्ड के पीछे,
जवाहर नगर, बीकानेर-334004
मोः 9413769898

शाला प्रांगण से

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर **shalaprangan.shivira@gmail.com** पर भिजवाकर सहयोग करें। **-वरिष्ठ संपादक**

रा.मा.वि.बिंजासी (धोद) जिला-सीकर में भामाशाह सम्मान

रा.मा.वि. बिंजासी (धोद) जिला-सीकर में दिनांक 14.7.2017 को सायं शाला प्रांगण में स्थानांतरित शिक्षकों हेतु विदाई समारोह का भव्य आयोजन शाला कार्मिक, ग्रामवासी अभिभावकों की साक्षी में किया गया। इस अवसर पर विदाई लेने वाले शिक्षकगणों में श्री ख्यालीराम, श्रीमती निर्मला, विमला ढ़ाका, सीमा मीना, जयश्री जोशी, परमेश्वरी ओला, गंगा सोनी ने सहर्ष विद्यालय हेतु 1100 रुपये मूल्य का एक-एक पंखा भेंट किया।

इसी कार्यक्रम में अवस्थित ग्रामवासी भामाशाहों में श्री हनुमान सिंह शेखावत (भू.पू. सरपंच) ने 21,000 रुपये का फर्नीचर, श्री बन्नेसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह ने एक 'वाटर प्यूरिफायर' श्री हरिप्रसाद कुमावत ने एक पंखा व दो सेट फर्नीचर के भेंट किए। संस्थाप्रधान श्री ठाकर सिंह ने पूर्व संस्थाप्रधान व स्थानान्तरित शिक्षकों को शाला में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए तथा भामाशाहों का सहयोग देने के लिए शाला परिवार की ओर से सम्मान, आभार व धन्यवाद किया।

रा.उ.मा.वि रतननगर (चूरू) में सीसीटीवी. कैमरों का उद्घाटन

रा.उ.मा.वि रतननगर (चुरू) में मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना अन्तर्गत स्टाफ द्वारा प्राप्त सहयोग राशि से कक्षा-कक्ष के अन्दर-बाहर लगाए गए सीसीटीवी. कैमरों का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री गोविन्द सिंह राठौड़ एडीपीसी. रमसा., चूरू एवं विशिष्ट अतिथि श्री मुकनाराम नायक से. नि. अध्यापक थैलासर (चुरू) द्वारा बटन दबाकर किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विद्यालय में कैमरे स्थापित करने व श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पर संस्थाप्रधान व शाला स्टाफ को धन्यवाद दिया। भामाशह श्री नायक ने कहा कि इससे शाला में अनुशासन रखा जा सकेगा। संस्थाप्रधान के आग्रह पर 10,000 रुपये देने की घोषणा की। उक्त घोषणा पर धन्यवाद देते हुए संस्थाप्रधान श्रीमती कुसुम शेखावत ने कहा कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम का भरपूर प्रयास किया जाएगा। उपस्थित अतिथियों एवं शाला स्टाफ का संस्थाप्रधान में आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक श्री हरदयाल सिंह ने किया।

रा.उ.मा.वि नत्थूसर गेट के शिक्षक स्वामी को बेस्ट टीचर अवार्ड-2017

बीकानेर शहर के रा.उ.मा.वि. नत्थूसर गेट के अध्यापक श्री रामचन्द्र स्वामी का बेस्ट टीचर अवार्ड 2017 के लिए चयन कर 5, 6 अगस्त 2017 को जयपुर में आयोजित 'जयपुर फेस्टिवल ऑफ एज्यूकेशन' में सम्मानित किया गया। समापन समारोह पर माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, शिक्षामंत्री श्री वासुदेव देवनानी, उच्च शिक्षामंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने श्री स्वामी को प्रशस्ति-पत्र व एवार्ड देकर सम्मानित किया। विद्यालय में भी श्री स्वामी का सम्मान प्रधानाचार्य श्रीमती नीना भारद्वाज व स्टाफ ने किया।

रा.उ.मा.वि. जसाना में माता जी की स्मृति में भामाशाह ने बनवाया कक्षा-कक्ष

जिला-हनुमानगढ़ की तहसील नोहर के रा.उ.मा.वि. जसाना में सेवानिवृत्त अध्यापक श्री हेतराम मूण्ड ने अपनी स्वर्गीय माता की स्मृति में विद्यालय परिसर में स्वेच्छा से एक कक्षा-कक्ष मय बरामदा बनवाकर भेंट किया। इस निर्माण में कुल लागत 3.50 लाख (अक्षरे रुपये तीन लाख पच्चास हजार) आई। संस्थाप्रधान श्री नत्थूराम ने भामाशाह श्री हेतराम का शाला प्रांगण में स्वागत करते हुए कक्षा-कक्ष के लिए आभार जताते हुए धन्यवाद दिया।

भामाशाह मंगतूराम खत्री नवलगढ़ का स्वतन्त्रता दिवस पर सम्मान

झुंझुनूँ जिले के रा.उ.मा.वि. मानसिंह का नवलगढ़ में विकास कार्यों में 1,00,000 /- एक लाख रुपये देने पर उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़, जिला कलेक्टर झुंझुनूँ व स्थानीय नगर पालिका चैयरमैन की उपस्थिति में मनाए जा रहे स्वतन्त्रता दिवस समारोह 2017 के दौरान भामाशाह श्री मंगतूराम खत्री पुत्र श्री फताराम खत्री निवासी नवलगढ़ को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। संस्थाप्रधान ने भामाशाह का आभार किया।

रा.उ.प्रा.वि. डारों का मौहल्ला, बीकानेर में नई गणवेश का वितरण

बीकानेर के रा.उ.प्रा.वि. डारों का मौहल्ला की प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी पुरोहित, शिक्षिका चन्द्रकला, शा.शि राजेन्द्र मारू व अन्य जन सहयोग से विद्यालय में अध्ययनरत करीब 85 बालक बालिकाओं को नवीन विद्यालय गणवेश का वितरण भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, मीडिया सहप्रभारी अनवर अजमेरी, कार्यकर्त्ता मौहम्मद हुसैन डार व आर्ट ऑफ लिविंग के मनीष गंगल के आतिथ्य में किया। मुख्य अतिथि श्री आचार्य ने कहा कि समान गणवेश से समान भाव उत्पन्न होते है, भेदभाव मिटता है, विद्यालयों के कायाकल्प में भामाशाहों का बड़ा योगदान रहता है अतः स्थानीय भामाशाहों को आगे आते रहना चाहिए। उक्त सभी अतिथियों ने अपने सम्बोधन में स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत आदि योजना से बच्चों में सहयोग व सामंजस्य की भावना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हुए नवाचारों को अपनाने की बात कही। आर्ट ऑफ लिविंग के जितेन्द्र व्यास भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका चन्द्रकला आचार्य ने किया व प्रधानाध्यापिका ने आभार प्रकट किया।

रा.बालिका मा.वि. बाय (सीकर) में गणवेश वितरण, अक्षय पेटिका का उद्घाटन

सीकर जिले की राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बाय (सीकर) में दिनांक 9-8-17 को शाला प्रांगण में आयोजित स्वागत समारोह में नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सर्व श्री गजानन्द वर्मा, गणपत लाल मिश्रा, उसमान अली, चौथमल कुमावत ने शाला की 'अक्षय पेटिका' का उद्घाटन किया। भामाशाह श्री प्रहलाद कानूनगो ने 20000 रु. (बीस हजार), श्री नेमीचन्द कुमावत ने 13000 रु. (तेरह हजार) एवं श्री रतन लाल खूंटेटा ने 4500 रु. (चार हजार पाँच सौ) का शाला में आर्थिक सहयोग देकर सभी विद्यार्थियों के लिए नवीन गणवेश उपलब्ध करवाकर वितरित की। श्री रेखाराम गोरा द्वारा 5100 रु. (पाँच हजार एक सौ) का सहयोग देकर विद्यालय परिसर में पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। संस्था प्रधान श्री रमेश चन्द्र शर्मा एवं विद्यालय स्टॉफ ने सभी भामाशाहों अतिथियों का स्वागत सत्कार किया तथा सहयोग हेतु तहेदिल से आभार व्यक्त किया।

रा.उ.प्रा. संस्कृत वि. पोकरण में भामाशाहों द्वारा नवीन गणवेश वितरण

जैसलमेर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पोकरण में नवीन गणवेश वितरण कार्यक्रम शाला प्रांगण में किया गया। यह नवीन गणवेश आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों के बच्चों को भामाशाह श्री जगदीश शर्मा एवं स्थानीय जय अम्बे मिष्ठान भंडार (पोकरण) द्वारा संयुक्त रूप से व्यय वहन कर किया गया। संस्थाप्रधान ने भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। अध्यापक श्री जुगल किशोर जीनगर ने कार्यक्रम का संयोजन व संचालन किया।

रा.उ.मा.वि. मोटागाँव, बांसवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न

बाँसवाड़ा जिले के रा.उ.मा.वि. मोटागाँव में बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस पर शाखा प्रबन्धक ने शाला को 4 (चार) पंखे भेंट किए। इस अवसर पर शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की योजनानुसार शाला में अक्षय पेटिका का शुभारम्भ व उद्घाटन भी किया गया। छात्र-छात्राओं व अध्यापकों ने इसी दिन विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। संस्थाप्रधान श्रीमती करूणा पण्ड्या ने भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण रहा।

रा.उ.प्रा.वि. नारेडा में गणवेश वितरण कार्यक्रम

टोंक जिले के टोडारायसिंह तहसील की नारेडा के रा.उ.प्रा.वि. में आर्थिक रूप से निर्बल विद्यार्थियों को शाला परिवार की तरफ से निःशुल्क नवीन गणवेश वितरण का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों को शाला गणवेश वितरित की गई। इस अवसर पर शाला के प्रधानाध्यापक श्री यतीन्द्र सिंह खंगारोत, शारीरिक शिक्षक रामधन जाट, सीता पुरोहित तथा ग्रामीण अभिभावक जन उपस्थित रहे।

रा.मा.वि. हिंयादेसर, बीकानेर में हुए विभिन्न आयोजन

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति बच्चों एवं ग्रामीणों में जागरुकता लाने के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2017 एवं 31 जुलाई, 2017 को पोस्टर निर्माण, वाद-विवाद, लघु-नाटिका, कहानी, कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिसमें विद्यालय की बालिकाओं के साथ बालकों ने भी हिस्सा लिया। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ बेटियों की खूबियाँ गिनाते हुए कहा-''बेटियाँ परी होती हैं। बेटों से ज्यादा माता-पिता का ध्यान रखती हैं। घरेलू कामों में सहयोग करती हैं। विभिन्न कलाओं में दक्ष होती हैं। पढ़ाई में आगे हैं। लड़कों के समान कार्य करती हैं। डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर, पायलेट पुलिस होती हैं। देश के महत्त्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए।''

समय ही जीवन है।
अतः समय का
सदुपयोग करें।

साथ ही बच्चों ने कन्या भ्रूण-हत्या, दहेज आदि कुप्रथाओं का विरोध किया। ये सभी भावनाएँ बच्चों द्वारा बनाए पोस्टरों, कहानियों, कविताओं, वाद-विवाद एवं लघु नाटकों में दिखीं। दिनांक 1 अगस्त 2017 को प्रार्थना सभा में विद्यालय स्टाफ के साथ प्रधानाध्यापक मोहनलाल मीणा ने सभी विजेता बालक-बालिकाओं को पुरस्कार स्वरूप बाल रामायण एवं बाल-महाभारत के साथ पेन, पैंसिल, रबर, कटर, पैंसिल बॉक्स एवं 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' लिखा हुआ छल्ला दिया। संस्थाप्रधान ने सरकारी स्कूलों में बेटियों को मिलने वाले लाभ स्कालरशिप, साईकिलें, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं अन्य लाभ की जानकारी दी। विद्यालय स्टाफ ने बालिकाओं को अध्ययन के प्रति सचेत रहते हुए सभी गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया।

बीकानेर मण्डल का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, बीकानेर मण्डल का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक (प्रशासन) व मण्डल चीफ कमीश्नर, बीकानेर मण्डल श्री विजय शुकर आचार्य, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एवं मण्डल कमिश्नर (स्काउट) श्री ओम प्रकाश सारस्वत रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान बीकानेर मण्डल श्री आत्माराम टिबडेवाल द्वारा की गई। इसमें लगभग 300 स्काउटर/गाइडर व पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रधान पद पर श्री राजेश कुमार चूरा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया एवं नई कार्यकारिणी का गठन भी हुआ। प्रथम कार्यकारिणी बैठक में श्री देवानन्द पुरोहित को पुनः मण्डल सचिव एवं श्री मनोज तंवर (लेखाधिकारी) को मण्डल कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अधिवेशन में बीकानेर स्थानीय संघ की संयुक्त सचिव एवं गाइडर श्रीमती चंचल चौधरी (वरि.अ.) रा.बा.उ.मा. विद्यालय लक्ष्मीनाथ घाटी बीकानेर को दस वर्षीय दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संकलन : **नारायण दास जीनगर**
मो. 9414142641

चतुर्दिक समाचार

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

विद्यार्थी ने जेब खर्च से बनाया उभयचर ड्रोन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने हवा में और पानी के भीतर काम करने में सक्षम ड्रोन और ऐसा स्वचालित हंसिया विकसित किया है जिससे किसानों को फसलों की कटाई में बहुत मदद मिल सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संदीप कुमार मल्होत्रा ने बताया, दो छात्रों ने अपने जेब खर्च से पैसे जुटाकर ये नए उपकरण इजाद किए हैं। बीएएसी. द्वितीय वर्ष के छात्र अनुराग कश्यप ने बताया, इस ड्रोन के लिए पीसीबी चिप, मदरबोर्ड मैंने खुद तैयार किया और घर में बेकार पड़े स्मार्टफोन का कैमरा इसमें लगाया। अभी तक इस पर 25,000 रूपए खर्च हो चुके हैं। कुछ मदद गुरु प्रोफेसर संदीप मल्होत्रा ने व्यक्तिगत स्तर पर की।

मूड के हिसाब से रंग बदलेगा बल्ब

आप अपने मूड के हिसाब से बल्ब की रोशनी का रंग बदल सकते है। ऐसा अनोखा बल्ब अब बाजार में आ गया है। मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हासन की पुत्री और अभिनेत्री श्रुति हासन ने शुक्रवार को यहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम में इस अनूठे बल्ब को लॉन्च किया। सामान्य आकार से लगभग दस गुना बड़े गोल और चौकोर आकार के इस बल्ब को रिमोट कंट्रोल के अलावा मोबाइल एप के जरिए भी जलाया जा सकता है। इस एलईडी बल्ब में रंगों के पचास हजार शेड्स का उपयोग किया जा सकता है। रात में नींद के लिए अनुकूल माहौल बनाने, रोमांस, तनाव कम करने, अध्ययन आदि के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से बल्ब में अलग-अलग रंगों की मद्धम से तेज रोशनी सेट की जा सकती है।

भिक्षु बनेगा 12वीं में 99.9 प्रतिशत अंक हासिल करने वाला टॉपर

12वीं के नतीजे आने के बाद लड़कों-लड़कियों में यह बातें होती है कि वह आगे क्या करेगा और किस राह में अपना कैरियर बनाएगा। पर अहमदाबाद में रहने वाला एक लड़का, जिसने 12वीं टॉप किया है, की बातें सुन कर दंग रह जाएँगे। गुजरात के रहने वाले वार्शिल शाह का कहना है कि वह शाँति की राह में भिक्षु बनेगा। वार्शिल ने 12वीं में 99.9 प्रतिशत अंक हासिल कर सबको हैरान कर दिया था और गुजरात बोर्ड का टॉपर बना है।

मजबूत, लचीला सुपर कार्बन विकसित

वाशिंगटन। वैज्ञानिकों ने कार्बन का एक अत्यंत मजबूत और हल्का रूप विकसित किया है जो लचीला और विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग एयरो स्पेस इंजीरियरिंग से लेकर सेना की बख्तरबंद गाड़ियों तक में किया जा सकता है। अमेरिका के कारनिज इंस्टीट्यूशन्स फॉर साइंस के शोधकर्त्ताओं सहित कई अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया। वैज्ञानिकों ने नया मजबूत, लचीला कार्बन बनाने की ग्लासी कार्बन प्रारंभिक सामग्री को 25,000 गुना सामान्य वायुमंडलीय दबाव में 980 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर गर्म किया। इस कार्बन में ग्रेफाइट, डायमंड दोनों बॉन्ड के विशेष लक्षण थे और दोनों ने मिलकर अद्भुत गुण वाला कार्बन तैयार किया।

रोजाना के इंसुलिन इंजेक्शन से मुक्ति

लंदन। ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं ने ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला एक ऐसा इलाज ईजाद किया है जो रोजाना के इंसुलिन के इंजेक्शन से मुक्ति दिलाएगा। यह एक इंजेक्शन होगा जो डायबिटीज के मरीजों में हफ्तों ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने में सक्षम होगा।

भारतवंशी को मिला जापान में सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार

मूल रूप से भारत के कृषि माइक्रोबायोलॉजिस्ट श्रीहरी चंद्रघाटगी को जापान में वर्ष 2017 का पर्यावरण मंत्रालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने पर्यावरण संबंधी ज्वलंत समस्याओं से निबटने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित किया है। इकोसाइकल कॉर्पोरेशन के सीईओ. और अध्यक्ष चंद्रघटागी यह पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी हैं। कंपनी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक जापान में यह पर्यावरण क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार जापान का पर्यावरण मंत्रालय, जापान का 'नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंवर्मेंटल स्टडीज' और 'मीडिया समूह दी निबकान कोग्यो शिनबुन' हर साल संयुक्त रूप से देते हैं। पर्यावरण क्षेत्र का यह सर्वोच्च सम्मान है। चंद्रघाटगी को यह पुरस्कार तोक्यो के कासुमेगासेकी में एक समारोह में जापान के पर्यावरण मंत्री सेकी योशिहीरो ने दिया। चंद्रघाटगी मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और लगभग दो दशक से तोक्यो में रह रहे हैं। उनके नाम पर लगभग दर्जन भर पेटेंट हैं।

रूस रात में 'सूरज' चमकाने की तैयारी कर रहा

रूस अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी कल्पना को साकार करने की कोशिश कर रहा है। अगले दो हफ्तों में उसकी कोशिश आसमान में रात को भी 'सूरज' चमकाने की है। रूसी अंतरिक्ष विज्ञानी ऐसे उपग्रह पर काम कर रहे हैं, जो रात के समय धरती पर रोशनी भेज सकेगा। फिलहाल यह बात किसी कल्पना से कम नहीं लगती, लेकिन अपने इस अद्भुत अभियान के लिए रूस पूरी तैयारी कर चुका है। पिरामिड के आकार का रूस का यह 'मायक' उपग्रह आसमान में सबसे चमकीले तारे की तरह दिखेगा। इस अभियान के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने करीब 20 हजार डॉलर का फंड जुटाया है। यह राशि वहाँ की जनता ने अंतरिक्ष विज्ञानियों के कोष में डाला है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस की मदद से कजाखस्तान के कॉस्मोडोर स्थित बैकनूर से सोयुज-2 रॉकेट द्वारा 'मायक' अथवा 'बीकन' नाम के इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इसे मॉस्को स्थित मैकेनिकल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है।

संकलन : **नारायण दास जीनगर**

झुँझुनूं

रा.मा.वि., घुमनसर खुर्द तह. चिड़ावा को श्रीमती आचूकी (अ.) से 4 कुर्सी प्राप्त हुई जिसकी लागत 2,000 रुपये, श्री सूबेदार रामस्वरूप से पानी की मोटर, 5 कुर्सी प्राप्त हुई जिसकी लागत 8,500 रुपये, श्री सूबेदार तुलाराम से 2 कुर्सी प्राप्त हुई जिसकी लागत 1,000 रुपये, श्री कुरड़ाराम महला से लोहे की एक अलमारी प्राप्त हुई जिसकी लागत 6,500 रुपये, श्री अमर सिंह महला से एक कम्प्यूटर मेज प्राप्त हुई जिसकी लागत 2,500 रुपये, श्री खूबीचन्द महला (शा.शि.) से एक ऑफिस मेज प्राप्त हुई जिसकी लागत 2,500 रुपये, श्री केशरदेव गर्वा से 5 कुर्सी प्राप्त हुई जिसकी लागत 2,500 रुपये, श्री विजेन्द्र गोदारा से 2 कुर्सी प्राप्त जिसकी लागत 1,000 रुपये, नवयुवक मण्डल धुमनसर से 1,100 रुपये नकद प्राप्त हुए, सर्व श्री श्योचन्द बुडानिया, गोरधन ठेकेदार, रिछपाल गेट, सत्यवीर गेट, प्रकाश कुमावत, मूलचन्द सिरावता प्रत्येक से एक-एक पंखा प्राप्त हुआ तथा प्रत्येक की लागत 1,300 रुपये, श्री संदीप हलवाई से एक कुर्सी प्राप्त हुई जिसकी लागत 500 रुपये। **शहीद श्री सुरेश कुमार बड़सरा रा.मा.वि., पापड़ा तह. उदयपुरवाटी** को श्री विद्याधर सिंह चौधरी द्वारा कक्षा 6 से 10 तक प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष 1,360 रुपये प्रोत्साहन राशि सप्रेम भेंट। **रा.मा.वि., तेतरा** को श्रीमती रामप्यारी कस्वाँ (अ.) से 21 टेबिल स्टूल प्राप्त हुई जिसकी लागत 31,500 रुपये, श्रीमती कमलेश (सरपंच) से 11 टेबल व स्टूल प्राप्त हुई जिसकी लागत 11,000 रुपये। **रा.मा.वि. कसेरू, नवलगढ़** को श्री रणजीत सिंह के द्वारा 51,000 रुपये की लागत से सरस्वती की सुन्दर प्रतिमा सीसे के आवरण सहित विद्यालय को सप्रेम भेंट, श्री राम द्वारा विद्यालय को नाम से नामांकित गेट सप्रेम भेंट जिसकी लागत 5,100 रुपये, श्री ताराचन्द महला से 5 प्लास्टिक कुर्सी भेंट जिसकी लागत 2,200 रुपये, श्री गोपाल प्रसाद खरेशिया (से.नि. प्र.अ.) से एक अलमारी प्राप्त हुई जिसकी लागत 7,100 रुपये, श्रीमती अनिता सरपंच (कसेरू) द्वारा विद्यालय में 26 जनवरी 2016 को छात्र-छात्राओं को मिठाई वितरण खर्चा 4,000 रुपये। **रा.मा.वि., पाटोदा** में श्री मदनलाल थरड़ ने अपने पिताजी की स्मृति में एक कमरा (30×20 फुट) मय बरामदा का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 6,25,000 रुपये 100 टेबल व स्टूल, छात्रों हेतु 10 मेज व कुर्सी विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी लागत 2,00,000 रुपये, चौथमल पाटोदिया द्वारा पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-वरिष्ठ संपादक**

70,000 रुपये। **रा.बा.मा.वि. बाय तह. नवलगढ़** में श्री सुलतान सिंह केरोड़िया (से.नि.व.अ.) द्वारा विद्यालय के मुख्यद्वार का जीर्णोद्धार तथा लोहे की प्लेट पर विद्यालय का नाम लिखवाकर विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी लागत 11,000 रुपये।

टोंक

रा.उ.मा.वि., डारडा हिन्द को ग्रामवासियों से 15 नए छत के पंखें प्राप्त हुए जिसकी लागत 20,000 रुपये मात्र। **रा.उ.मा.वि., चान्दली तह. देवली** को श्री प्रभुलाल कुम्हार (से.नि.लि.) से एक वाटर कूलर एवं फिल्टर जिसकी लागत 35,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि., सांवतगढ़** में श्रीमती राम कँवर मीणा (से.नि.अ.) द्वारा रुपये

हमारे भामाशाह

2.40 लाख की लागत से 15×15 का एक कमरा (प्रधानाचार्य कक्ष) का निर्माण करवाया गया। श्री नोरतमल टेलर (से.नि. व.अ.) से एक वाटर कूलर विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी लागत 28,000 रुपये मात्र।

दौसा

रा.उ.मा.वि., सैंथल को श्री दुर्गाप्रसाद पटेल से एक वाटर कूलर तथा 8 पंखे प्राप्त हुए जिसकी लागत 51,000 रुपये। श्री महावीर प्रसाद जैन द्वारा विद्यालय को 11,000 रुपये के खेलकूद का सामान दिया गया। **रा.उ.मा.वि., सुरजपुरा** को भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा दौसा द्वारा स्टाफ के लिए पीजन बॉक्स आलमारी, एक 500 लीटर पानी की टंकी, 7 उषा पंखे जिसकी लागत 28,000 रुपये श्री रामावतार शर्मा (से.नि. च.श्रे. क.) से कार्यालय अलमारी जिसकी लागत 15,000 रुपये, श्री चन्द्रेश कुमार शर्मा (P.T.I.) 30 ऊनी स्वेटर जिसकी लागत 5,000 रुपये, श्री अनिल कुमार पनिहार व्याख्याता से 35 ऊनी स्वेटर जिसकी लागत 5,500 रुपये, श्री एल.सी. मीना से 70 ऊनी स्वेटर जिसकी लागत 11,000 रुपये, सर्व श्री प्रकाश सक्सैना, एम.बी. पाठक, अनिल कुमार गुप्ता, तुलसी कृपलानी, सुनील मोदी, महेश विजय, सुरेश गुप्ता से 140 ऊनी स्वेटर प्राप्त हुए जिसकी लागत 23,000 रुपये।

रा.उ.मा.वि., पीचू पाड़ा कलाँ में श्री सुरजन सिंह, श्री निहाल सिंह, श्री विक्रम सिंह खटाना द्वारा माँ सरस्वती मन्दिर एवं RCC युक्त रंगमंच का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 5.51 लाख रुपये, श्री किशन सिंह खटाना (सरपंच) द्वारा मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 11,000 रुपये, श्री अरविन्द अवस्थी (प्रधानाचार्य) से 10 ट्री गार्ड लागत 5,100 रुपये, श्री शिवलहरी शर्मा द्वारा मिट्टी भराई लागत 4,651 रुपये, श्री दामोदर प्रसाद शर्मा द्वारा मिट्टी भराई लागत 1,801 रुपये, सर्व श्री रणवीर गुर्जर, चिरंजी लाल शर्मा द्वारा मिट्टी भराई लागत 1,501 रुपये, कैलाश प्रसाद बोहरा, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा मिट्टी भराई प्रत्येक की लागत 4,501 रुपये, श्री कैलाश चन्द्र शर्मा मिट्टी भराई लागत 1,801 रुपये, गिर्राज पटेल द्वारा मिट्टी भराई लागत 901 रुपए, श्री देवी सहाय महावर द्वारा मिट्टी भराई व ट्री गार्ड लागत 5,100 रुपए। श्री राम चन्द्र द्वारा मिट्टी भराई लागत 1,800 रुपये, सर्व श्री कमल सिंह नरेन्द्र सिंह महाना द्वारा मिट्टी प्रत्येक प्रत्येक की लागत 1,200 रुपये। श्री गिर्राज प्रसाद बोहरा द्वारा ट्री गार्ड जिसकी लागत 2,500 रुपये, श्री महेश चन्द सैनी अनाउसिंग बूथ लागत 3,500 रुपये, सर्व श्री रामजी लाल खुराना, जगदीश प्रसाद शर्मा, सुमेर सिंह गुर्जर से प्रत्येक से एक-एक पंखा तथा प्रत्येक की लागत 1,200 रुपये, श्री धर्मेन्द्र प्रसाद शर्मा (पूर्व प्रधानाचार्य) से 2 पंखें, सर्व श्री रामावतार मिश्रा, हनुमान प्रसाद गुप्ता, नरेश कुमार से प्रत्येक से एक-एक पंखा प्राप्त हुआ।

नागौर

रा.उ.मा.वि. अड़वड़ को श्री भींवाराज जांगिड़ से एक H.P. कम्प्यूटर सैट प्राप्त हुआ जिसकी लागत 22,000 रुपये, सर्व श्री रामनारायण सारण, हरीश सारण, भंवर लोल, सुखराम चोयल, श्याम सिंह सोलंकी, लक्ष्मीनारायण गौड़, प्रत्येक से एक-एक पंखा प्राप्त हुआ तथा प्रत्येक की लागत 1,450 रुपये, श्री हेमराज बुगालिया द्वारा विद्यालय में श्याम पट्ट का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 3,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि., श्री बालाजी** में श्रीमती गीता देवी राठी द्वारा 5,00,000 रुपये की लागत से जल मन्दिर का निर्माण करवाया गया तथा एक वाटर कूलर, 15 छत पंखे, फिटिंग सहित कार्य करवाया गया। **रा.उ.मा.वि., मीठड़ी (लाडनूं)** को श्री भंवर लाल पटवारी द्वारा 70,000 रुपए की लागत से वाटर कूलर, मोटर, पाइप फिटिंग व 23 छात्राओं को शाला गणवेश प्रदान की।

शेष अगले अंक में.....

संकलन- रमेश कुमार व्यास

शिविरा पत्रिका (मासिक) : अक्टूबर 2017 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। © वरिष्ठ सम्पादक : डॉ सऊद अख्तर, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

शिक्षक सम्मान समारोह-2017 में सम्मानित शिक्षकगण

डाक पंजीयन संख्या : जयपुर सिटी/417/2017-19 शिविरा पत्रिका (मासिक) ● अक्टूबर, 2017 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 2 अक्टूबर, 2017 पृष्ठ 52 ● प्रेषण : माह की 5–6 तारीख

4 सितम्बर, 2017

शिक्षक सम्मान समारोह से पूर्व सांस्कृतिक संध्या

बिड़ला सभागार, जयपुर

राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह–2017 की पूर्व संध्या 4 सितम्बर, 2017 को बिड़ला सभागार, जयपुर में राज्य के विभिन्न जिलों से आए शिक्षक कलाकारों ने सांस्कृतिक संध्या के रूप में मनमोहक, आकर्षक एवं रंगारंग प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की।

पत्रिका अवितरित होने की स्थिति में इस पते पर भेजें : **वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर–334011**